लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price · Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 18, सोमवार, 9 दिसम्बर, 1974/18 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 18, Monday, December 9, 1974/Agrahayana 18, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		**पृष्ठ PAGES**
372. भगवान महावीर के 2500वें महा-परिनिर्वाण वर्ष का मनाया जाना	Celebration of Lord Mahavira's 2500th Mahaparinirvana	1–3
374. मध्य प्रदेश में सूरजमुखी खेती	Sunflower Cultivation in Madhya Pradesh.	3–5
375. केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परीक्षार्थियों की देखभाल तथा परीक्षा-कार्यों के लिए दिए जाने वाले अतिरिक्त भुगतान	Abolition of Extra Payment for Invigilation and Examination Duties in Central Universities. ..	5–6
376. आटा मिलों द्वारा खुले बाजार में गेहूं की खरीद पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव	Proposal for Ban on purchase of wheat by Flour Mills in Open Market.	6–8
377. दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी को आवंटित की गई भूमि के विकास पर व्यय	Expenditure incurred on Development of Land allotted to Delhi School Teacher's Cooperative House Building Society. ..	8–9
378. रामलाल आनन्द कालेज, दिल्ली को अधिकार में लेना	Taking over of Ram Lal Anand College Delhi.	9–11
380. कृषि मूल्य आयोग द्वारा हाल ही में की गई सिफारिशें	Recent Recommendations of Agricultural Prices Commission. ..	11–15
381. शिक्षा मंत्री द्वारा घोषित प्राइमरी शिक्षा में सुधार	Reform of Primary Education announced by Education Minister. ..	15–16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
379. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को बगैर सूद के कर्ज देना	Scheme to advance interest-free loans to landless persons in Rural Areas.	16
382. पुरातत्व सम्बन्धी नक्शे (एटलस) तैयार करना	Preparation of Archaeological Atlas.	16–17
383. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के होस्टलों की सस्ते मूल्य पर पंसारी का समान (ग्रोसरीज) सप्लाई करने के लिए प्रायोगिक परियोजना	Pilot Project for supply of groceries at cheaper rates to Hostels of Jawaharlal Nehru University ..	17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।
The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
384.	लैवी की चीनी तथा खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का रिलीज किया जाना	Release of Levy and Free Sale Sugar	17–18
385.	'आंसुका' के अन्तर्गत हजारीबाग में व्यापारियों को बन्दी बनाया जाना	Arrest of Businessmen in Hazaribagh under MISA	18
386.	सिंचाई जल का व्यर्थ जाना	Wastage of Irrigation Water	18–20
387.	उदयपुर विश्वविद्यालय में पी०एल० 480 तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की धनराशि का दुरुपयोग	Misuse of PL-480 and ICAR Funds in Udaipur University ..	20
388.	सिंचाई सुविधाओं वाली भूमि के गैर-कृषक मालिकों से खाद्यान्न की जबरन वसूली	Forcible procurement of Foodgrains from Non-Cultivating Land Owners owing wet land ..	20-21
389.	नगर सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति	National Urban Policy	21
390.	खजूरों का उत्पादन	Cultivation of Dates	21–22
391.	भवन निर्माण उद्योग में अनुकूलन समन्वय बढ़ाने के लिए कार्यकारी दल	Working Group to Promote Modular Coordination in Building Industry	22–23
अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.			
3585.	मध्य प्रदेश में सूखा-राहत कार्य	Drought Relief Measures in Madhya Pradesh	23
3586.	कृषि-सांख्यिकी प्रणाली में सुधार	Improvements in System of Agricultural Statistics	23–24
3587.	बिहार में जयनगर से आगे कमला नदी के तटबन्धों का विस्तार	Extension on River Kamala Embankment beyond Jayanagar in Bihar	24
3588.	गन्ने की उत्पादन लागत की प्रतिशतता	Percentage of Cost of Production of Sugarcane	24
3589.	मध्य प्रदेश में पशुपालन के बारे में दृश्य एवं श्रव्य उपकरण	Audio-visual Equipment in Cattle Rearing in M. P.	24–25
3590.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन खाद्य-भण्डार डिवीजनें	Food Storage Divisions under CPWD	25–26
3591.	राजस्थान को चीनी का कोटा	Sugar Quota to Rajasthan ..	27
3592.	अपंग हरिजनों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के पुनर्वास की योजना	Scheme for Rehabilitation of Handicapped Harijans and Scheduled Tribes	27
3593.	केरल में समुद्र भू-कटाव	Sea Erosion in Kerala	27–28
3594.	उड़ीसा को चीनी का कोटा	Sugar Quota to Orissa	28

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3595.	व्यक्तियों को बसाने विषयक सम्मेलन	Conference in Human Settlement ..	29
3596.	वनस्पति के उत्पादन में कमी के कारण	Reasons for decline in Production of Vanaspati	29–30
3597.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उड़ीसा सर्कल के अधीन बिजलीघर	Power Houses under Orissa Circle of CPWD	30–31
3598.	दिल्ली सेन्ट्रल इलैक्ट्रिकल सर्कल III तथा IV से कुछ पम्पों का स्थानान्तरण	Transfer of certain Pumps from Delhi Central Electrical Circles III and IV	31
3599.	इजीनियरिंग स्नातक	Engineering Graduates ..	31
3600.	लीज होल्डरों द्वारा चैकों का जमा कराया जाना	Cheques deposited by Lease Holders	31–32
3601.	कालागढ़ (उत्तर प्रदेश) में रामगंगा के श्रमिकों की छटनी	Retrenchment of workers of Ramganga at Kalagarh (UP) ..	32–33
3602.	सहायता-प्राप्त कालेजों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मानदण्ड	UGC Norms for giving Grants to Aided Colleges	33
3603.	पंजाब के निर्माण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई के लिए परियोजनाएं	Projects for drinking Water Supply in Rural Areas in Punjab ..	33
3604.	केरल में विझिनजाम में मत्स्य पत्तन	Fishing Harbour at Vizhinjam, Kerala	34
3605.	कनाट प्लेस गई दिल्ली में नई परिवहन व्यवस्था का पैट्रोल की खपत पर प्रभाव	Impact of Renovation of Traffic System in Connaught Place, New Delhi on Petrol Consumption ..	34
3606.	जलदूषण रोक तथा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत एक केन्द्रीय बोर्ड का गठन	Constitution of Central Board under Prevention and Control of Water Pollution Act ..	34–35
3607.	सीनियर लाइब्रेरी अटैन्डेंन्टों की पदोन्नति	Promotion of Senior Library Attendants	35
3608.	समुद्रीय भूमि-कटाव के कारण पत्तन से मद्रास तेल शोधक कारखाने तक बिछी पाइप लाइनों को खतरा	Sea Erosion posing threat to Pipelines from Port to Madras Refinery	35
3609.	कूच बिहार सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया से निकाली गई राशि	Amount drawn by Cooch Bihar Central Cooperative Bank Limited from R. B. I.	36
3610.	उड़ीसा में भूमि उपयोग बोर्ड	Land Use Board in Orissa ...	36

अतः० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3611. केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कार्य-करण की जांच	Inquiry into Working of Central Warehousing Corporation ..	37
3612. खेलकूद परिषदों को वित्तीय सहायता	Financial Support to Sports Councils	37
3613. समुद्री कटाव रोकने के लिए केरल को केन्द्रीय अनुदान	Central Grant to Kerala for Preventing Sea Erosion	38
3614. दिल्ली में अल्पसंख्यक वग द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में अध्यापकों को वेतन की अदायगी न करना	Non-Payment of Salary to Teachers in Minority run Schools in Delhi	38–39
3615. विद्यार्थी अशान्ति के सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही	CABE on Student Unrest ..	39
3616. भारत सेवक समाज को केन्द्रीय अनुदान	Central Grant to Bharat Sewak Samaj	39
3617. खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains	39–40
3618. राजा राम मोहन राय पुस्तकालय द्वारा पुस्तकें खरीदना	Purchase of Books by Raja Ram Mohan Roy Library	40
3619. पश्चिम बंगाल में कृषि विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loan for Agricultural Development in West Bengal ..	40–41
3620. पांचवीं योजना के दौरान बिहार के निरन्तर सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों की समस्याओं के हल की योजना	Scheme for Chronically Drought affected areas of Bihar during Fifth Plan.	41
3621. भगवान महावीर और जैन धर्म के जन्म और जीवन से सम्बन्ध रखने वाले स्थानों की खुदाई	Excavation of places having concern with birth and life of Lord Mahavira and Jain Religion. ..	41–42
3622. पाकिस्तान क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड का भारत को आमंत्रण	Pakistan Cricket Control Board Invitation to India	42
3623. भूमि के बड़े टुकड़े का अधिग्रहण	Acquisition of Iarge Tract of Land.	42–43
3624. गुजरात में भूमि के बेनामी सौदे	Benami Land Transaction in Gujarat.	43
3625. सिंचाई परियोजनाओं की लागत/लाभ अनुपात	Cost/Benefit Ratio of Irrigation Projects.	43–44
3626. महानगरों में 'बल्क मिल्क वैंडिंग मशीन' लगाना	Introduction of Bulk Milk Vending Machine in Metropolitan Cities.	44
3627. तकनीकी संस्थानों के होस्टलों के निर्माण के लिए मैसूर को अनुदान	Grants to Mysore for Construction of Hotels for Technical Institutions.	44–45

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3628.	किसानों और मिल मालिकों पर लैवी लगाने के बारे में विशेषज्ञ समिति तथा गेहूं तथा चावल के मूल्य निर्धारित करने के आधार	Expert Committee on Levy on Cultivaters and Millers and Basis for Fixing Prices of Wheat and Rice	45
3629.	दिल्ली दुग्ध योजना की कार्यकारी क्षमता	Working Capacity of Delhi Milk Scheme.	45–46
3630.	आपतकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम तथा ग्रामीण रोजगार दिलाने सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम	Emergency Agricultural Production Programme and Crash Programme for Rural Employment.	46–47
3631.	गन्ने का मूल्य	Sugarcane Prices	47–48
3632.	दिल्ली में अपना स्वयं का मकान रखने वाले संसद सदस्यों, न्यायाधीशों आदि को सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Government Accommodation to MPs, Judges etc., who own their own House in Delhi/N. Delhi	48–49
3633.	भारत तथा अन्य देशों में दूध तथा घी की खपत	Consumption of Milk and Ghee in India and other Countries. ..	49–50
3634.	पश्चिम बंगाल, आसाम और केरल में गिराए गए पेड़ों का तूफान और बाढ़ के प्रसार पर प्रभाव	Effect of Felling of Trees on ravages of Cyclone and Floods in West Bengal, Assam and Kerala.	50–51
3635.	नगर हवेली में भूमि सुधार अधिनियम	Land Reform Act in Nagar Haveli	51
3636.	रबी फसल के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Rabi Crop.	52
3637.	वर्ष 1973 में आयात की गई गायों तथा बैलों का वंशावली चार्ट	Pedigree Chart of Cow and Bulls imported during 1973.	53
3638.	संसद तथा राज्य विधान सभाओं के लिए प्राध्यापकों का चुनाव तथा नामांकन	Election and Nomination of Teachers to Parliament and State Legislatures.	53
3639.	राज्यों में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय निदेश	Central Directive to Improve Production of Agriculture in States	53–54
3640.	नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता एम्पलाइज इंश्योरेंश प्रीमियम के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच	C.B.I. Inquiry into National Library Calcutta Employees Insurance Premium.	54
3641.	पश्चिम बंगाल को चावल तथा गेहूं के मासिक कोटे की सप्लाई	Supply of Monthly Wheat and Rice quota to West Bengal. —	54–55
3642.	कर्नाटक, मालयी में मछली पकड़ने की बन्दरगाह	Fishing Harbour at Malpe, Karnataka. .. — —	55

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3643.	कमी वाले क्षेत्रों में अनाज के परिवहन के लिए डनमार्क द्वारा सैनिक परिवहन देने की पेशकश	Offer of Military Transport by Denmark for Transportation of food to scarcity areas.	55
3644.	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेना	Drawal of High Medical Reimbursement by Employees of F.C.I. ..	56
3645.	चावल के उत्पादन तथा निर्यात पर केन्द्रीय निदेश	Central Directive on Rice Production and Export.	56
3646.	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा कवार्टरों का निर्माण	Construction of Quarters by Education Department of Delhi Administration.	56–57
3647.	नई दिल्ली में मुनीरका के फ्लैटों का कब्जा	Possession of Munirka Flats in New Delhi.	57
3648.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	National Discipline Scheme.	57
3649.	केरल में संस्कृत विद्यालय के लिए मांग	Demand for Sanskrit University in Kerala.	57–58
3650.	ढोरों की नस्ल सुधारने सम्बन्धी योजना	Scheme for improving Cattle Breed.	58
3651.	नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन सम्बन्धी नीति की समीक्षा	Review of Policy regarding publication of books by N.B.T. .	58–59
3652.	इण्डियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेयरस द्वारा अतिरिक्त अनुदान के लिए अनुरोध	Additional Grants sought by ICWA.	59
3653.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा	Statue of Netaji Subash Chandra Bose.	59–60
3654.	चीनी के नए कारखानों की आर्थिक उपादेयता का अध्ययन करने के लिए समिति	Committee to study Economic viability of New Sugar Factories..	60
3655.	मत्स्य उत्पादन	Fish Production.	60–61
3656.	राज्यों में सिंचाई परियोजनाएं तथा बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाएं बनाना	Setting up of Irrigation Projects and Flood Control Projects in states.	61
3657.	दिल्ली विश्वविद्यालय में भरे न गए रिक्त स्थान	Unfilled vacancies in Delhi University.	61–62
3658.	विश्व भारती के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की शिकायतें	Complaint from Teaching and Non-teaching staff of Visvabharati	62

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3659.	काश्मीर में भारतीय जल-विद्युत परियोजना के डिजाइन पर पाकिस्तान की आपत्ति	Pakistan's objections to Design of an Indian Hydro Electrical Project in Kashmir.	62
3660.	फार्म-सैक्टर को संस्थागत ऋण देने में वृद्धि	Increase in flow of Institutional Credit to Farm Sector. ..	63
3661.	राज्य फार्म निगम के निदेशक	Directors of State Farms Corporation	63–64
3662.	उत्पादकों से फालतू चावल तथा धान मंगवाया जाना	Requisition of Surplus Rice and Paddy from Producers	64
3663.	मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में नई फसल प्रणाली	New Crop Pattern in Chhatisgarh M.P.	64–65
3664.	गोआ के लिए चीनी का अधिक कोटा	More Sugar Quota for Goa	65
3665.	गोआ में पांचवीं योजना के दौरान बेकार पड़ी भूमि की खेती के लिए उपयोगी बनाने हेतु धनराशि	Funds for use of waste land for Agricultural purpose in Goa during Fifth Plan, ...	65
3666.	पांचवीं योजना में गोआ में सिंचाई सुविधाओं हेतु बड़ी तथा मध्यम स्तरीय सिंचाई योजनाएं	Major and Medium Irrigation Schemes for Irrigation Facilities in Goa in 5th Plan	66
3667.	गोआ को पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में सिंचाई सुविधाएं	Irrigation Facilities in First year of 5th Plan in Goa	66
3668.	मध्य प्रदेश में रबी तथा खरीफ की फसलों के लिए उर्वरकों की खपत	Fertiliser consumption in M.P. for Rabi and Kharif crops ..	66–67
3669.	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विदेशी पशु प्रजनन फार्म	Central Foreign Cattle Breeding Farm in M.P.	67
3670.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक सर्किल के अन्तर्गत डिवीजन	Divisions under each Arunachal Pradesh Circle of CPWD ..	67
3671.	राजस्थान में बेकार पड़ी भूमि के क्षेत्र का कृषि के लिए प्रयोग	Area of waste Land for Agricultural purpose in Rajasthan	67–68
3672.	राजस्थान में नई फसल प्रणाली	New Crop Method in Rajasthan	68
3673.	राजस्थान में पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में सिंचाई सुविधाएं	Irrigation Facilities in First year of Fifth Plan in Rajasthan	68
3674.	राजस्थान में पांचवीं योजना में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं	Major and Medium Schemes during Fifth Plan to Rajasthan	68–69

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3675.	कालिज चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार लिए प्रत्याशियों का चयन करने हेतु माप दण्ड	Criteria for selecting candidates for interview before College Selection Board ..	69
3676.	दिल्ली "ग्रीन बैल्ट" योजना	Delhi "Green Belt Scheme"	69
3677.	देहरा कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हिमाचल प्रदेश को भारतीय खाद्य निगम पर राज सहायता की देय राशि	Amount of subsidy due from F.C.I. to Dehra Cooperative Marketing Society Himachal Pradesh	69–70
3678.	उड़ीसा में बेकार पड़ी भूमि का क्षेत्र तथा पांचवीं योजना में उसके प्रयोग के लिए धनराशि	Area and Funds for use of waste Land for Agricultural purposes in Orissa during Fifth Plan	70
3679.	उड़ीसा में नई फसल पद्धति	New Crop Method in Orissa	70–71
3680.	गुजरात में अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scales of teachers in Gujarat ..	71
3681.	उड़ीसा में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में सिंचाई सुविधाएं	Irrigation Facilities in First year of Fifth Five Year Plan in Orissa.	71
3682.	उड़ीसा में पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं	Major and Minor Irrigation Schemes during Fifth Plan Period to Orissa.	71–72
3683.	दिल्ली में निर्माण स्थलों के निकट सब-डिवीजनल कार्यालयों की स्थापना	Location of Sub-Divisional Offices near the Work Places in Delhi ..	73
3684.	आकाशवाणी में प्रतिनियुक्ति पर तैनात केन्द्रीय-लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी	CPWD Staff on Deputation to A.I.R.	73
3685.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों द्वारा प्रदर्शन तथा धरना	Demonstration and Dharna by Junior Engineers CPWD ..	73–74
3686.	जूनियर इंजीनियरों के लिए पदोन्नति के अवसरों की कमी को समाप्त करना	Removal of stagnation amongst Junior Engineers	74
3687.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इंजीनियरी स्नातकों की नियुक्ति के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश	Recommendation of Third Pay Commission on appointment of Engineer Graduates by CPWD	74–75
3688.	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से गोबर गैस संयंत्रों के लिए सहायता	Aid from United Nations Industrial Development Organisation for Gobar Gas Plants	75
3689.	वसन्त विहार, नई दिल्ली में एक भूखण्ड के उप-पट्टे को समाप्त करना	Termination of Sub-Lease of plot in Vasant Vihar, New Delhi	75–76

अता० प्र० संख्या U.S Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3690.	सरकारी फ्लैटों में आगे किराए पर देने की व्यवस्था और किरायेदारों का रखा जाना	Subleting System and keeping tenants in Government flats ..	76
3691.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विधानों में संशोधन	Amendments in Statutes of Central Universities	76-77
3692.	दिल्ली में वनस्पति घी के थोक व्यापार का अधिकार में लिया जाना	Take over of Wholesale trade in Vanaspati in Delhi	77
3693.	दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित चीनी के कोटे में वृद्धि	Increase in Sugar Quota distributed through Fair Price Shops in Delhi	77
3694.	पंजाब में बेरोजगार कृषि स्नातक	Unemployed Agricultural Graduates in Punjab.	77-78
3695.	भूमि अधिग्रहण के लिए राज्यों को प्रोत्साहन	Encouragement to States for land acquisition	78
3696.	दिल्ली क्लाथ मिल द्वारा वर्ष 1973-74 में वनस्पति घी के डिब्बों का उत्पादन	Vanaspati packs produced by D.C.M. during 1973-74.	78-79
3697.	अनाज के थोक व्यापारियों द्वारा लैवी दिया जाना	Levy given by Foodgrain Wholesalers	79
3698.	खंडवा (मध्य प्रदेश) में गहन ढोर विकास कार्यक्रम	Intensive Cattle Development Programme, Khandwa, (M.P.) ..	80
3699.	भिंड और मुरैना, मध्य प्रदेश में कृषि मंडियां स्थापित करना	Setting up of Krishi Mandies in Bhind and Morena, Madhya Pradesh.	80
3700.	मध्य प्रदेश के लिए 'रिंडरपेस्ट टिशु कल्चर वैक्सीन' सम्बन्धी योजना	Scheme for Rinderpest Tissue Culture Vaccine for M.P.	80-81
3701.	दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समिति बनाने पर प्रतिबन्ध	Ban on Formation of Cooperative House Building Socities in Delhi ..	81
3702.	उर्वरक बनाने में नीम का योगदान	Neem help save Fertilizer	81-82
3703.	भारत में 1980-81 तक उर्वरक के उपयोग में बहुत अधिक वृद्धि होने की आशा	Big rise in use of Fertilizer in India by 1980-81	82
3704.	अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action against persons for selling fertilizer at higher prices. ..	82
3705.	सीनियर लाइब्रेरी अटेन्डेंटों के लिये चयन ग्रेड	Selection Grade for Senior Library Attendants	83

4/Lok Sabha/75—2

अतां० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3707.	उर्वरकों की आवश्यकता पूरी करने के लिये कार्यवाही	Steps to meet the requirements of Fertilizer.	83
3708.	हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन के लिये अकादमियां	Academies for publication of Hindi Books.	83-84
3709.	9.7 प्रतिशत गांवों के लिये शुद्ध पानी	Safe water for 9.7 percent villages ..	84
3710.	गऊ रक्षा समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Cow Protection	84-85
3711.	कालेज स्तर पर पर्यटन को अध्ययन का विषय बनाना	Inclusion of tourism as a Subject of Study at College level	85
3712.	उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं	Fertilizer testing Laboratories ..	85
3713.	दिल्ली स्कूल टीचर्स कोपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के हिसाब खाते खोलना तथा उन्हें बनाये रखना	Opening and maintenance of Accounts pertaining to the Delhi School Teachers Cooperative House Building Society.	85-86
3714.	विदेशों को सांस्कृतिक शिष्टमंडल	Cultural Delegations to Foreign Countries.	86
3715.	सीमेंट के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य	Construction of private building after ban of use of Cement.. ..	86
3716.	बिहार में खाद्यान्नों की कमी	Shortage of Foodgrains in Bihar.	87
3717.	परामर्शदात्री समितियों की बैठक के नोटिस	Notices of Consultative Committees.	87
3718.	राज्यों में युवक मंडलों के लिये केन्द्रीय अनुदान	Central Grants for Youth Wings in States.	87-88
3719.	सामुदायिक विकास खण्डों के लिये राज्यों को केन्द्रीय अनुदान	Central Grants to States for Community Development Blocks. ..	88
3720.	देश में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग	Slum dwellers in the Country. ..	88
3721.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा महानगरों में किया गया निर्माण कार्य	Construction Work done by C.P. W.D. in Metropolitan Towns ..	88
3722.	सिंचाई सुविधाओं के लिये मध्यप्रदेश को केन्द्रीय वित्तीय सहायता	Central Financial Assitance to Madhya Pradesh for Irrigation facilities.	88-89
3723.	विश्वविद्यालयों और कालेज अध्यापकों के नये वेतनमान लागू करना	Implementation of new Pay Scales for University and College Teachers.	89

तारांकित प्रश्न संख्या U.S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3724.	आसाम के अकाल पीड़ित क्षेत्रों के बारे में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का दौरा	Visit of Staff of Dibrugarh University to famine striken areas of Assam. 89
3725.	आलू की खती	Potato Cultivation. 89-90
3726.	राजनीतिक दलों द्वारा छात्रों का उपयोग	Utilization of Students by Political Parties. 90
3727.	उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम को देय राशि का भुगतान करने में मिल मालिकों के एजेंटों द्वारा चूक	Default in payment of dues by Millers Agents of F. C. I. in Orissa. 90-91
3728.	बीज उत्पादन कार्यक्रम	Seed Production Programme .. 91
3729.	सरसों के तेल का उत्पादन बन्द किया जाना	Suspension of Mustard oil production. 91-92
3730.	गेहूं की वसूली	Procurement of Wheat 92
3731.	दिल्ली में अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों द्वारा कर्मचारी निधि का प्रारम्भ किया जाना	Opening of Staff Fund by Minority run Schools in Delhi. .. 92-93
3732.	वसन्तराव पाटिल कमेटी द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Vasantrao Patil Committee. 93-95
3733.	कुतुब मीनार	Kutab Minar. 95-96
3734.	आई० आई० टी० दिल्ली के कर्मचारियों और छात्रों में असन्तोष	Discontentment among Students and Employees of I.I.T., Delhi. .. 96
3735.	कुटकु बांध योजना (बिहार)	Kutku Dam Scheme (Bihar) .. 96-97
3736.	बागान श्रमिकों के लिये राज सहायता प्राप्त आवास योजना	Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers. 97
3737.	देश में दालों की उपलब्धता और उन की आवश्यकता	Availability and requirement of pulses in the Country. 97-98
3738.	दिल्ली में उचित दर दुकानों द्वारा वनस्पति का वितरण	Distribution of Vegetable oil through Fair Price Shops in Delhi. 98
3739.	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति	Delhi School Teachers Cooperative House Building Society. ... 98-99
3740.	खुला विश्वविद्यालय	Open University 99
3741.	गेहूं का निजी व्यापार	Private Trade in Wheat. 99

अता० प्र० संख्या। U.S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3742. 'टी' बोर्ड को आयातित उर्वरक का कोटा	Quota of imported fertiliser to Tea Board.	100-102
3743. आयातित उर्वरकों के मूल्य पर नियंत्रण	Control on price of Imported Fertiliser.	102
3744. कला का यक्षगण रूप	Yakshagana form of Art.	102-103
3745. स्वायत्तशासी कालेजों, परीक्षा सुधार तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित गोष्ठियां	UGC sponsored seminars on autonomous Colleges, Examination reform and Post Graduate Education.	103-104
3746. नर्मदा परियोजनाओं के बारे में विवाद	Dispute over Narmada Project.	104-105
3747. अन्तर्राष्ट्रीय लान टैनिस एसोसियेशन के सचिव की भारतीयों को डेविस कप से निकाल देने की कथित धमकी	Alleged threat of Secretary of International Lawn Tennis Association to expel Indians in Davis Cup.	105
3748. पांचवी योजना में सिंचाई के लिये प्रावधान	Provision for Irrigation in Fifth Plan.	105
3749. उत्तर प्रदेश में हरिजन छात्रों द्वारा स्कूल छोड़े जाने के कारण	Causes of School drop-outs among Harijans in U.P.	106-108
3751. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्डों के लिये अधिक किराये पर भवन लिया जाना	Hiring of a building by ICAR on higher rent for Agricultural Scientists Recruitment Board.	108
3752. विदेशों को भारतीय तब्ला कलाकार भेजना	Indian Tabla Artists for Foreign Countries.	109
3753. राष्ट्रीय ग्रंथालय कलकत्ता के लिये समिति	Committee for National Library Calcutta	109
3754. 2500वें महापरिनिर्वाण वर्ष के दौरान शिकार खेलने तथा मांस परोसने पर रोक	Ban on hunting and serving of meat during 2500th Mahaparinirvan year.	109-110
3755. रायपुर मध्य प्रदेश में धान की फसल की क्षति	Damage to Paddy Crop in Raipur, M.P.	110
3756. कर्नाटक में सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक विकास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत दी गई राज सहायता	Subsidy given under scheme of marginal Farmers and Agricultural Labourers Development in Karnataka.	110
3757. उत्पादकों तथा व्यापारियों से मोटा अनाज प्राप्त करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति मांगा जाना	Permission by M. P. Government to requisition coarse grains from producers and traders.	111

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3758.	तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री द्वारा सिंचाई हेतु और अधिक पानी की व्यवस्था करने के लिए सहायता की मांग	Assistance sought by Chief Minister of Tamil Nadu for provision of more water for irrigation purposes.	111
3759.	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में धान की नई किस्में	New strains of paddy developed at Andhra Pradesh Agriculture University.	111-112
3761.	अधिक खाद्यान्नों के लिए केरल से अभ्यावेदन	Representation from Kerala for more Foodgrains. ..	112-113
3762.	उर्वरक के व्यापक उपयोग सम्बन्धी सिद्धान्त	Principle of extensive use of fertilizer.	113
3763.	सरकारी कृषि कालेज, त्रिवेन्द्रम द्वारा धान से चावल निकालने वाली मशीन का विकास	Development of Paddy Threshing Machine by Government Agricultural College, Trivandrum. ..	113
3764.	हिमाचल प्रदेश के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय 'लेवी' चीनी पर राज सहायता की राशि	Amount of subsidy on levy Sugar due against F. C. I. for Himachal Pradesh.	113-114
3766.	उर्वरक का उत्पादन और मांग	Out-put and requirement of Fertilizers	114
3767.	कलकत्ता में 'हुडको' के फ्लैट	HUDCO Flats in Calcutta	114-115
3768.	नारायण बिहार में स्थानीय खरीदारी केन्द्र	Local Shopping Centre in Narain Vihar..	115-116
3769.	नये विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय अनुदान	Central Grants to new Universities	116
3770.	लारेंस रोड आवासीय योजना, दिल्ली के अधीन प्राप्त फ्लैटों की दोबारा बिक्री	Resale of flats acquired under Lowrance Road Residential Scheme, Delhi. ..	116
3771.	दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास आयुक्त के साथ इंटरव्यू	Interview with Commissioner of Housing, DDA.	117
3772.	वर्ष 1975 के रबी मौसम में किसानों पर 'लेवी' लगाया जाना	Imposition of levy on farmers in Rabi Season of 1975.	117
3773.	गंडक नहर	Gandak Canal.	117-118
3774.	उड़ीसा में बड़ी सिंचाई परियोजनायें	Major Irrigation Projects in Orissa.	118
3775.	भारतीय खाद्य निगम की आय	Earnings of F.C.I.	118
3776.	कटिहार के निकट बहुप्रयोजनीय बांध के निर्माण के बारे में तकनीकी समिति का प्रतिवेदन	Report of the Technical Committee on Construction of Multipurpose dam near Kathiar.	119

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGES
3777.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के कार्यकरण की जांच	Inquiry into working of I. T. I. New Delhi.	119-120
3778.	दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 की क्रियान्विति	Implementation of Delhi School Education Act, 1973. ..	120
3779.	दिल्ली प्रशासन में संगीत अध्यापकों के सलेक्शन ग्रेड	Selection Grade to Music Teachers in Delhi Administration.	120
3780.	पश्चिम बंगाल को गेहूं के बीज और उर्वरक की सप्लाई	Supply of Wheat Seed and Fertilizer to West Bengal.	120-121
3781.	बिजली मिस्त्री तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रीशियन्ज के वेतनमानों में असंगतियां	Anomaly in the Pay Scales of Electric Mistry and CPWD Electricians.	121-122
3782.	शिशु आहार की कमी	Scarcity of Baby Food.	122
3783.	चूहों के कारण फसल को क्षति	Damage to crop due to Rats. ..	122-123
3784.	राजस्थान नहर क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/जनजातियों को आवंटित की गई भूमि	Allotment of Land to Scheduled Castes/Tribes in Rajasthan Canal Area.	123
	आयात लाइसेंस कांड संबंधी केन्द्रीय जांच व्यूरो के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	Statements Re. C.B.I. Report on Import Licence Case.	123
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi.	123-125
	श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai.	125-126
	आयात लाइसेंस कांड के बारे में श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध विशेषधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Shri L. N. Mishra Re. Import Licence Case. — — — — ..	127
	श्री एल० एन० मिश्र—वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया	Shri L. N. Mishra—Statement Laid.	127-130
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table.	131
	चीनी के लेवी मूल्य के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Levy Price of Sugar.	131
	श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram. ..	131-132
	अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गुजरात), 1974-75	Supplementary Demands for Grants (Gujarat) 1974-75.	132
	विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented. ..	132
	तम्बाकू बोर्ड विधेयक—पुरःस्थापित	Tobacoo Board Bill—Introduced.	132

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to introduce.	132
श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhaya. ..	132
रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण), विधेयक	Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Bill.	133
खंडवार विचार करने का प्रस्ताव	Motion for clause by clause consideration.	133
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya. ..	133
आयात लाइसेंस कांड के बारे में	Re. Import Licence Case.	134-151

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 9 दिसम्बर, 1974/18 अग्रहायण, 1896 (शक)
Monday, December 9, 1974/Agrahayana 18, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भगवान महावीर के 2500वें महापरिनिर्वाण वर्ष का मनाया जाना

+

*372. **श्री भगतराम राजाराम मनहर :**
श्री कुशक बाकुला :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समिति ने भगवान महावीर के 2500वें महापरिनिर्वाण वर्ष मनाने के लिये कार्यक्रम बनाते समय (एक) भगवान महावीर के जीवन और उपदेशों संबंधी लेखों के प्रकाशन (दो) विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जैन धर्म शास्त्र संबंधी एक पीठ की स्थापना (तीन) विदेशों में स्थित हमारे मिशनों द्वारा समारोह आयोजित करना और (चार) भगवान महावीर के सिद्धान्तों का अध्ययन और अनुसंधान का संवर्धन करने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना जैसी बातों पर भी विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भगवान महावीर के निर्वाण की 2500वीं वर्षगांठ मनाने के लिये गठित राष्ट्रीय समिति ने, कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने के लिए, अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित विषय सुझाए थे :—

(i) भगवान महावीर के जीवन और उपदेशों से संबंधित कृतियों तथा इस अवसर के लिए उपयुक्त अन्य साहित्य का प्रकाशन;

(ii) एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय जैन धर्म अध्ययन एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना; और

(iii) विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा समारोहों का आयोजन ।

2. जहां तक प्रकाशन कार्यों का संबंध है, सम्पादक-मंडल द्वारा इस प्रयोजन हेतु योजना के विस्तृत ब्यौरे तैयार किए जाने हैं ।

3. गैर-सरकारी पहल के आधार पर, राष्ट्रीय जैन धर्म अध्ययन एवं अनुसंधान परिषद गठित होने के बाद, सरकार परिषद को अनावर्ती अनुदान देने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

4. विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा समारोहों के आयोजन के उद्देश्य से, प्रकाशन हेतु सामग्री तथा उन देशों की सूची तैयार की जा रही है जहां जैन समुदाय के लोग पर्याप्त संख्या में रहते हैं ।

5. भगवान महावीर के दर्शन शास्त्र के संबंध में अध्ययन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए कोई जैन पीठ अथवा विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Shri B. R. Manhar : Bhagwan Mahavir had propounded a theory 2,500 years ago and it has been proved useful not only for us but for the entire world. We should not have any narrow feelings about his teachings. There is tension in all parts of the world. If violence erupts, there will be total devastation. We should adopt the weapon of non-violence of Mahavira. There will be no exploitation or any sufferer if the policy of renunciation is adopted. The Government themselve should take steps to propagate the principles of Mahavira in the entire world and assist the institutions engaged in similar work.

I would like to know the number of such national and international institutions which have requested for financial assistance or any other type of co-operation and action taken by the Government thereon ?

Shri D. P. Yadav : A national committee has been set up and the 2500th Mahaparinirvana celebrations will take place under the degis of that Committee. Government has allocated a sum of Rs. 50 lakhs for this purpose and we will implement the suggestions propounded by the said Committee or sub-Committee.

Shri B. R. Manhar : Whether directions Government have given to the Governments of States and Union Territories that Mahavir Nirvana day should be celebrated every year in all the educational institutions so that our younger generation draws moral and spiritual force and the spirit of 'Ahinsa Parma Dharma' may prevail.

Shri D. P. Yadav : This is a suggestion and we also agree with it. Government of India has been writing to the State Governments from time to time so that violence is not spread, tension is lessened and spirit of mutual understanding could be encouraged.

Shri Kushak Bakula : I would like to know whether any proposal is under consideration of Government to construct a park to commemorate the 2500th Mahaparinirvana celebrations or inscriptions should be installed in prominent parts of the country highlighting Mahavira's life? Whether birth day of Mahavira will be celebrated as 'non violence day' or 'character building day' throughout the country every year and instructions will be issued to all concerned to celebrate this day accordingly. Government of India has declared Restricted Holiday on Mahavira Jayanti in the list of Holidays for the next year whereas government had agreed that it will be declared as public holiday. May I know the reasons for changing the earlier decision and not declaring public holiday on the occasion of 2500th parinirvana celebrations this year?

Shri D. P. Yadav : We should translate into action the principles laid down by Lord Mahavira in our own life. We should try to follow them. We agree with Shri Bakula in principle. The question of Holiday should have been addressed to the Ministry of Home Affairs.

Shri Bharat Singh Chowhan : If Government is serious about celebrating Lord Mahavira's 2500th Mahaparinirvana, I would like to ask whether cow-slaughter will be banned in India keeping in view the sentiments of the people of our country ?

Shri D. P. Yadav : We have chalked out an ambitions programme for maintenance of cows and maintenance of cows is cow protection in the real sense.

Shri Nawal Kishore Sinha : I congratulate Government for drawing up good plans to celebrate the day I would like to know the present position in regard to the research institutions set up in connection with Jainology and Lord Mahavira and whether any proposal is under consideration to improve their lot during this year ?

Shri D. P. Yadav : We have sufficient Jain literature in Vaishali which is the constituency of the hon'ble member. Government has allocated a sum of Rs. 2 1/2 lakh for its development provided the State Government agrees to allocate unequal amount therefor.

Shri Ram Singh Bhai : I would like to know whether there is any such member in the aforesaid Committee who believes in renunciation ?

Shri D. P. Yadav : Atleast I am one.

Shri Shankar Dayal Singh : I would like to know whether Government have any proposal to include the teachings of Lord Mahavira, Lord Budha and other saints in the syllabus so that the students of today may become good citizens of tomorrow ?

Shri D. P. Yadav : It is a good suggestion and we shall consider it.

मध्य प्रदेश में सूरजमुखी की खेती

*374. **श्री भारत सिंह चौहान :**
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में सूरजमुखी की खेती के वृहत् विकास के लिए कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को उक्त योजना कब प्राप्त हुई; और

(ग) इस योजना के कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) मध्य प्रदेश सरकार ने 1974-75 के दौरान राज्य के कुछ जिलों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित सूरजमुखी के विकास की एक योजना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

(ख) जून 1974 में ।

(ग) इसकी मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है ।

Shri Bharat Singh Chowhan : Mr. Speaker, Sir sunflower is in abundance in Madhya Pradesh. If it is produced in a planned manner, the oil extracted from it can be exported. I would, therefore, like to know whether Central Government has considered the scheme submitted by Madhya Pradesh Government so that foreign exchange could be earned ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर नहीं समझा है । मैंने कहा है कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना की मंजूरी दे दी थी ।

Shri Bharat Singh Chowhan : Madhya Pradesh is mainly an Adivasi area and the plant of sunflower is such that it can be produced easily in the forests without irrigation facilities. I want to known whether Government have any scheme for the economic development of Adivasi area so that adivasis could be encouraged to produce sunflower on a large scale ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अब तक इसे एक फसल के रूप में उगाया जाता रहा है । इस को बन आदि में विकसित करने के सुझाव पर हम विचार करेंगे ।

श्री अनन्तराव पाटिल : गत दो वर्षों में मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे कुछ अन्य राज्यों ने सूरजमुखी की खेती करना आरंभ कर दिया है परन्तु क्या यह सच है कि उसको बेचने की कठिनाई के कारण किसान हतोत्साहित हो रहे हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सूरजमुखी की बिक्री की कोई समस्या नहीं है । वास्तव में देश में सूरजमुखी की खेती का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है क्योंकि देश में खाद्य तेलों की कमी है और साधारण घानी में सूरजमुखी के बीज की पिराई की जा सकती है । अत: बिक्री की कोई समस्या नहीं है । यदि कोई समस्या पैदा हुई और वह हमें बतायेंगे तो हम आवश्यक कदम उठायेंगे ।

Shri Sarjoo Pandey : I want to know whether Government has tried to find out whether oil of sunflower can be used as edible oil or not ? What steps have been taken to cultivate it on large scale if it is useful ?

Mr. Speaker : This question pertains to Madhya Pradesh.

Shri Sarjoo Pandey : Sir, this is a general question.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं । सूरजमुखी में गैर-पैन्तविक गुण है और हृदय रोगी भी सूरजमुखी के तेल का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है । अत: सरकार ने इसको उगाने के लिये बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया है । मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि सूरजमुखी की खेती आरम्भ करने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं ।

श्री चपलेन्द्र भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि बिहार में सूरजमुखी की खेती के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में पहले कोई सूचना नहीं दी गई । इसके बाद आप सारी दुनिया के बारे में पूछने लगेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether it is a fact that the amount asked for by the Madhya Pradesh Government to make that scheme successful has not been given by the Centre. How can Madhya Pradesh achieve success without required money ? May I know whether any target for production of oil of sunflower has been fixed; if so what is the target ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : चालू वर्ष के लिये बनाई गई योजना के लिये हम मध्य प्रदेश को 4.19 लाख रुपये दे रहे हैं । इस वर्ष मध्य प्रदेश में 10,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती करने की योजना है । 5 वर्ष की अवधि में यह क्षेत्र 30,000 हेक्टेयर हो जाने की आशा है । हम योजना बना रहे हैं कि समस्त देश में 2.30 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाये ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परीक्षार्थियों की देखभाल तथा परीक्षा-कार्यों के लिए दिए जाने वाले अतिरिक्त भुगतान का समाप्त किया जाना

+

*375. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**
श्री गजाधर माझी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनमानों को दिसम्बर, 1974 से लागू होने पर जनवरी, 1973 से लेक्चरारों, रीडरों तथा प्रोफेसरों के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परीक्षार्थियों की देखभाल तथा परीक्षा कार्यों के लिए दिए जाने वाले अतिरिक्त भुगतान को समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने परीक्षार्थियों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए परिशोधित वेतन-मानों को लागू करने की एक शर्त यह है कि "विश्वविद्यालय/कालेज के अन्दर निगरानी सहित परीक्षा कार्य के लिए किसी भी शिक्षक अथवा प्रधानाचार्य को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा ।"

(ख) निगरानी सहित परीक्षा कार्य को शिक्षक के शिक्षण कार्य का एक अंग समझा जाता है ।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : मेरा प्रश्न निगरानी के काम के लिए अतिरिक्त भुगतान के बारे में था जबकि उत्तर में पारिश्रमिक को बिल्कुल समाप्त करने की बात कही गई है । क्या वर्तमान पारिश्रमिक बिल्कुल बन्द कर दिया जायेगा ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैंने उसका उत्तर दे दिया है । अब तक निरीक्षकों और परीक्षकों को उनके अपने विश्वविद्यालय में आंतरिक परीक्षा के काम अथवा निगरानी के काम के लिए दिये जाने वाला भुगतान बन्द कर दिया गया है ।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या उनको जब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन-मान क्रियान्वित नहीं होते तब तक वर्तमान पारिश्रमिक मिलता रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यही बात वह बता रहे हैं ।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या इससे निरीक्षकों की कार्यकुशलता कम नहीं हो जायेगी और यदि हां, तो उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? क्या मैं यह भी पूछ सकता हूं कि क्या यह निर्णय अन्य प्रादेशिक विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जहां तक कार्यकुशलता का सम्बन्ध है मैंने स्वयं 25 वर्ष तक निगरानी का काम किया है और मुझे इस काम के लिए कभी कोई भुगतान नहीं किया गया। मेरे विचार में काफी अच्छे निरीक्षक के रूप में मेरी बहुत प्रसिद्धि थी । जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, यदि राज्य विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लें और नये वेतनमान देना आरम्भ कर दें तो उनसे इस भाग को स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया जायेगा क्योंकि परीक्षा सुधार के लिए यह बहुत आवश्यक है ।

Shri D. N. Tiwary : I know that there is no question of any extra payment in so far as invigilation in one's own college is concerned but when one is sent to other colleges or Universities or when they have to mark papers of other colleges then extra labour is invalued so I would like to know whether that has also been stopped or the same will continue ?

Prof. S. Nurul Hasan : No payment is made in case of one's own college even at present. The question is if one does work for some other University ? In that case the University Grants Commission has not issued any order. (*Interruptions*)

If any specific suggestion is made in case of teachers who have to work for some other college of his own University, U. G. C. would consider it. These instructions are of general nature that they should not charge for the invigilation work of their own University. If for example there is a question of conveyance, they will certainly consider it.

श्री पी० आर० शिनाय : चूंकि परीक्षकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा तो क्या उन्हें परीक्षार्थियों द्वारा किये जाने वाले हमले तथा धमकी से संरक्षण दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री महोदय के 25 वर्ष के अनुभव में शामिल नहीं है । यह नई बात है ।

श्री पी० आर० शिनाय : उन्हें यह अनुभव न हो लेकिन अन्य व्यक्तियों को उक्त अनुभव हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप आक्रमण के लिये पारिश्रमिक चाहते हैं ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : राज्य सरकारों की यह नीति है कि परीक्षकों द्वारा संरक्षण की मांग पर वे उनके लिये संरक्षण की व्यवस्था करती है ।

आटा मिलों द्वारा खुले बाजार से गेहूं की खरीद पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

\+

***376. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आटा मिलों को खुले बाजार से गेहूं खरीदने की अनुमति देने की नीति को बदलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आटा मिलों द्वारा खुले बाजार से गेहूं खरीदे जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या मिलों को गेहूं की सप्लाई भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जायेगी; और

(घ) इस प्रकार की कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (घ) क्योंकि खुले बाजार में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध नहीं है, गेहूं के पदार्थ तैयार करने के लिये रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं सप्लाई करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से भी आवंटन किए जा रहे हैं ।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है कि खुले बाजार में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध न होने के कारण उक्त निर्णय लिया गया है । क्या उक्त निर्णय लिए जाने का एक मात्र कारण यही था अथवा इसके अन्य कारण भी हैं क्या इसके परिणामस्वरूप खुले बाजार में गेहूं की खरीद में वृद्धि हुई है और क्या इसके परिणामस्वरूप आवश्यकता से अधिक गेहूं का स्टाक जमा हुआ है और क्या इसके परिणामस्वरूप खुले बाजार में गेहूं के मूल्य में वृद्धि हुई है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : क्या माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में गेहूं ले जाने पर प्रतिबन्ध है । स्वभावतया, कमी वाले राज्यों में स्थित आटा पीसने की मिलों को केन्द्रीय पूल से गेहूं उपलब्ध न होने के कारण कठिनाई हो रही हैं । दूसरे, देश में आटा पीसने की मिलों की क्षमता इतनी अधिक है कि यदि उन्हें बड़े पैमाने पर खुले बाजार में प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो मूल्य बढ़ जायेंगे और साधारण उपभोक्ता को गेहूं प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी । इसलिये ही सरकार ने कुछ हद तक अपने पूर्व निर्णय में संशोधन किया है ।

श्री पुरुषोतम काकोडकर : जैसाकि माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि राज्य सरकारों का आवंटन किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि निजी आटा मिलों की सप्लाई को कौन नियमित करता है ? क्या उक्त कार्य राज्य सरकारें करती हैं अथवा भारतीय खाद्य निगम करता है और क्या उक्त निर्णय क्रियान्वित किये जाने के बाद आटे के मूल्य पर अधिकतम सीमा होगी और यदि हां, तो कितनी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमने कभी भी निजी आटा मिलों को भारतीय खाद्य निगम अथवा भारत सरकार के माध्यम से कोई आवंटन नहीं किया है । हम राज्य सरकारों को आवंटन करते हैं और राज्य सरकारें आटा मिलों को आवंटन करती हैं । जैसाकि मैंने उल्लेख किया था कि आटा मिलों की क्षमता लगभग 58 लाख टन की है जबकि आटा पीसने वाली मिलों की उपलब्धता लगभग 14 लाख टन है अर्थात यह क्षमता का 25 प्रतिशत है । जब केन्द्रीय पूल के माध्यम से गेहूं दिया जाता है तो उसके उत्पादों पर नियंत्रण होता है ।

श्री डी० डी० देसाई : माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है कि गेहूं की उपलब्धता सीमित है मूल्य पर नियंत्रण की आवश्यकता है और गेहूं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर रोक

है। क्या इन उपायों के कारण गेहूं की प्रति एकड़ बुआई में कमी हुई है और क्या किसान यह अनुभव कर रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन अलाभप्रद है और यदि हां, तो क्या इससे स्थिति और जटिल न होगी जिससे वह दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारा मूल्यांकन यह है कि इन नीतियों से गेहूं के प्रति एकड़ उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। गत वर्ष किसी समय बिजली के उपलब्ध न होने तथा सिंचाई आदि की अपर्याप्त व्यवस्था होने के कारण प्रति एकड़ उत्पादन में कुछ कमी हुई थी। लेकिन इस के परिणामस्वरूप गेहूं के प्रति एकड़ उत्पादन में कमी नहीं हुई है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : गेहूं की हमेशा कमी रहती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को उस कमी के कब तक दूर होने की आशा है। क्या वचनबद्ध अमरीकी सहायता रवाना हो चुकी है क्या उक्त सहायता वास्तव में पहुंच रही है और यदि हां, तो कब तक ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस बारे में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मिल का सम्बन्ध जहाज से जोड़ते हैं तो क्या प्रश्न तत्संगत हो जाता है अन्यथा नहीं।

Shri B. S. Bhaura : I want to know whether the hon. Minister is aware that the Rolling flour mills mix something in the flour and such quality of flour has been seized on many depots. I want to know whether Government has made some scheme to ensure supply of pure flour to the public.

Mr. Speaker. The Question relates to purchase of wheat by Flour Mill in the open market. Your supplementary should be at least 50 per cent relevant if not 100 per cent ?

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that the Centre allots wheat to the State Governments and then the state Governments re-allot wheat to flour mills. I want to know whether the Government is aware that the Flour Mill owners sends flour from one state to another whereas there is restriction on movement of wheat ? I also want to know whether the flour mill owners purchase wheat in black market, on the account of which they do not maintain ? The State Governments also have no knowledge of it.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य का अनुमान ठीक नहीं है क्योंकि जब कभी भी केन्द्रीय पूल से गेहूं दिया जाता है, राज्य सरकारें आवश्यक नियंत्रण रखती हैं। सर्वप्रथम एक राज्य से दूसरे राज्य में गेहूं लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध है। राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार जो भी उत्पादन होता है उसका वितरण राज्य में किया जाता है और उन्हें इस बारे में पूरे खाते प्रस्तुत करने होते हैं कि उन्होंने किस पार्टी को कितनी दर पर वितरण किया आदि। यह सामान्य बात है जिसका पालन किया जा रहा है।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को आवंटित की गई भूमि के विकास पर व्यय

*377. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन अथवा सरकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी को आबंटित की गई भूमि के विकास पर सम्बद्ध ठेकेदार द्वारा अब तक किये गये व्यय का कोई हिसाब लगवाया गया है और यदि हां, तो इस प्रकार

लगवाये गये हिसाब के अनुसार व्यय का ब्यौरा क्या है और क्या यह व्यय ठेकेदार द्वारा दिये गये विवरण के अनुरूप ही है ;

(ख) यदि नहीं, तो अभी तक ऐसा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या गबन की गई राशि को ठेकेदार अथवा अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों से वसूल किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) यह मामला समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है। समिति का कार्य एक सांविधिक जांच का विषय रहा है। जांच अधिकारी के निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात यथाविधि आगे आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की जायेगी।

Shri Ishwar Chaudhry: Delhi School Teacher's Co-operative House Building Society purchased 150 acres of land for Rs. 18,41,946-50 P. from Government. Government wants the houses to be built according to the plan prepared by D.D.A. I want to know whether the houses are being built according to that plan.

Shri Mohan Dharia: I have already told that the whole matter was under investigation. The report of the Enquiry Officer was received on 25th November. We cannot say anything in the matter unless we look into it.

Shri Ishwar Chaudhry: The Contractors have misappropriated lot of funds. The hon. Minister has stated that necessary action will be taken after studying the decision of the Enquiry Officer properly. I want to know how much time it will take to start action and whether the defaulters will be punished.

Shri Mohan Dharia: I will try to punish the defaulters. This thing has been going on since 1963-64. Once when an enquiry was ordered in this matter, a stay order was taken Enquiry was first made in 1966 and then in 1972. So far as the enquiry report is concerned, it has been received recently. I want to say that the Government will take action as early as possible on the basis of enquiry report.

Shri Ishwar Chaudhry: Those contractors should be black-listed.

Taking over of Ramlal Anand College, Delhi

*378. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Delhi University has taken over Ramlal Anand College, Delhi;

(b) if so, whether the management of the said College has appointed Professional Assistant in place of a Librarian in the evening shift of the College in violation of the rules; and

(c) if so, the reasons therefor and the reaction of Government thereto ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार रामलाल आनन्द कालेज में जुलाई, 1973 में 382 विद्यार्थियों की दाखिले की क्षमता सहित सायंकालीन कक्षाएं

आरंभ की गई थी । सायंकालीन कक्षाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कालेज की शासी निकाय ने, दिन के कालेज पुस्तकालय में कार्य कर रहे एक अनुभवी व्यावसायिक सहायक को फरवरी, 1974 में, अस्थाई आधार पर, सायंकालीन कक्षाओं के लिए पुस्तकाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया था । वर्तमान पदधारी की नियुक्ति की अवधि फरवरी, 1976 में समाप्त होने पर यह व्यवस्था समाप्त हो जायेगी ।

विश्वविद्यालय के अनुसार, उच्च वेतनमान वाले पदों को, नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के विवेक पर, आवश्यक समझा जाने पर, निम्न वेतनमानों में भरा जा सकता है ।

Shri Ramavtar Shastri : The Ram Lal Anand College Officials have taken a wrong step by appointing Professional Assistant in place of Librarian. I want to know whether it is a fact that a letter was written by the College on 27th September, 1973 for taking permission regarding reinstating the Professional Assistant in place of the Librarian ? I want to know whether it is also a fact that the University has also written a letter to the Vice-Principal of the College that the University cannot give such type of permission; if so, the reasons for appointing Professional Assistant in place of Librarian and whether it is not against the rules?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जैसा मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि मैंने जो मूल विवरण विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के उत्तर के बारे में आपके विचार के लिए सभा में प्रस्तुत किया है उसके बारे में जांच की है । विश्वविद्यालय का कहना है कि, उच्च वेतनमान वाले पदों को, नियुक्त करने वाले अधिकारी के विवेक पर, आवश्यक समझा जाने पर निम्न वेतनमानों में करा जा सकता है । उक्त उत्तर विश्वविद्यालय ने मुझे दिया है और स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में जो कुछ किया गया है, उससे विश्वविद्यालय असंतुष्ट नहीं है ।

Shri Ramavtar Shastri : Sir, I am also quoting from the University letter, and if you permit me, I quote:

> "The University regrets its inability to accept the proposal of the College for the appointment of a Professional Assistant against the post of Librarian."

Inquiry would have to be made in order to find out whether I am right or the hon. Minister is right. You kindly give us protection. I have got the College's letter dated 27th September, and the same was replied to by the Deputy Registrar of the University on 17-18th October. Which one of the two statements is correct? If the hon. Minister gives a proper reply, I would put my next question.

Prof. S. Nurul Hasan : I was submitting to you the authoritative statement given by the University. In case some question was raised or an opinion was given, the same was replied to. After deliberations the University formed an opinion which was communicated to me.

Mr. Speaker : Whatever had been stated on behalf of the University, was the same as was narratted by the Vice-Chancellor? He is considering the Deputy Registrar to be above the Vice-Chancellor.

Shri Ramavtar Shastri: I have brought here a copy of the letter. I am now asking the second question. The hon. Minister has not given a satisfactory reply, it is rather quite wrong and I am demanding an inquiry into it.

My second question is whether it is not a fact that according to the University rules the right of selection rests with three persons which include one nominee of the Governing Body, secondly the principal and thirdly, the College, Librarian; and if so, whether it is a fact that

the matter of appointment of the Library-Typist was left to the professional Assistant without securing any authority for the same in the meeting of the Committee; and thus the selection was made ? If it is a fact, may I know whether the appointment of the Library-Typist is not illegal, *ultra-vires* and also what action is being taken by the Government in this matter ?

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही हमने यह प्रश्न स्वीकार किया था। वस्तुत: यह मामला सैनेट के क्षेत्राधिकार में आता है—वही ऐसी नियुक्तियां करने वाला अधिकृत निकाय है। दुर्भाग्य से यह प्रश्न यहां आ गया और अब आपको इसका उत्तर देना है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : प्रश्न लाइब्रेरी-टाइपिस्ट के बारे में पूछा गया था। मेरे पास तो इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

Shri Ramavtar Shastri : The Library Assistant and the Library-Typist is one and the same person, and that very person is working on both the posts. The Committee itself is of the opinion that his speed is very slow and his work is not satisfactory. I am asking about the same person.

अध्यक्ष महोदय : टाइपिस्टों तथा ऐसी नियुक्तियों की देख-रेख सैनेट करता है। वही उचित प्राधिकरण है। कालेज के प्रबंधक ही समुचित प्राधिकारी हैं।

Shri Ramavtar Shastri : Let him say something whether he would hold an inquiry.

अध्यक्ष महोदय : मुझे वस्तुत: ही बड़ा आश्चर्य है कि यह प्रश्न इस सभा में पूछा जाना चाहिए था।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं कह चुका हूं कि मेरे पास जानकारी नहीं है।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा हाल ही में की गई सिफारिशें

*380. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग ने हाल में कौन कौन सी मुख्य सिफारिशें की हैं ;

(ख) किन बातों के बारे में इन सिफारिशों में और राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों में भिन्नता है;

(ग) केन्द्र सरकार ने इस बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया है; और

(घ) राज्य सरकारों की उस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) कृषि मूल्य आयोग ने खरीफ के 1974-75 मौसम के लिए खरीफ के अनाजों की मूल्य नीति विषयक अपनी हाल ही की रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिश की थी कि 1974-75 विपणन मौसम के लिए विभिन्न राज्यों में धान की मानक किस्म के लिए अधिप्राप्ति मूल्य देश भर में 74 रु० प्रति क्विंटल समान रूप से निर्धारित किया जाए और खरीफ के मोट अनाजों के अधिक

प्राप्ति मूल्य वही रख जाएं जोकि 1973-74 में थे अर्थात 70 रु० प्रति क्विंटल ज्वार, मक्का और रागी के लिए और 72 रु० प्रति क्विंटल बाजरे के लिए। कुछेक राज्य सरकारों ने कृषि मूल्य आयोग द्वारा धन और अन्य खरीफ के अनाजों के लिए अभिस्तावित मूल्यों से अधिक अधिप्रप्ति मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया था।

(ग) आयोग की सिफारिशों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, भारत सरकार ने 1974-75 मौसम के लिए देश भर में मोटी किस्म की धान के अधिप्राप्ति मूल्य समान रूप से 74 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किए हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी का अधिप्राप्ति मूल्य भी 74 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

(घ) कुछक राज्य सरकारों ने धान/चावल के मल्यों की समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया था, तथापि, कुल मिलाकर वे भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए अधिप्राप्ति मूल्यों पर खरीफ के अनाजों की अधिप्राप्ति कर रहे हैं ।

श्री एस० आर० दामाणी : आयोग द्वारा सिफारिश की गई है कि कीमतों के बारे में किसानों की मुख्य शिकायत इस प्रकार हैं कि बीज, खाद तथा उपकरणों आदि के बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए उनके उत्पादों के मूल्य लाभप्रद नहीं निर्धारित किये गये हैं। क्या इन्हीं कम मूल्यों के कारण वसूली पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और यदि हां, तो इस बात को दृष्टि में रखते हुए, जैसाकि बहुत सी राज्य सरकारों ने कहा है, क्या सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विचार करने की स्थिति में है कि क्या इन मल्यों में वृद्धि करना अथवा खाद्य, बीज तथा उपकरण किसानों को सुनियमित तथा उचित मूल्यों में प्रदान करना संभव है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मूल्यों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकारों तथा मुख्य मंत्रियों के इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया गया था। देश की अर्थव्यवस्था में मद्रा स्फीति के दौर को देखते हुए मूल्यों में वृद्धि न करने का निर्णय किया गया था ताकि मुद्रास्फीति में और आग वृद्धि न हो। इन सभी बातों तथा बीज, खाद, उपकरणों तथा उत्पादन लागत में वृद्धि के बारे में खूब विचार किया गया था; और यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि इस कारण वसूली पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वसूली हो रही है तथा कुछ राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा से तो धान आ रहा है।

श्री एस० आर० दामाणी : जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है उसके विस्तृत विवरण में तो मैं नहीं जाऊंगा परन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कम वसूली होने का यह कारण है कि कुछ राजनैतिक दलों ने किसानों को अपने खाद्यान्न सरकार को न देने तथा अधिक मूल्य मांगने के लिए भड़काने का प्रयास किया है ताकि सरकार की वसूली संबंधी नीति असफल हो जाये। क्या सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी मिली है तथा इस प्रकार का मुकाबला करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : गत वर्ष तो कुछ दलों ने ऐसा प्रचार अवश्य किया था परन्तु इस वर्ष हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। मौसम के उपेक्षाकृत खराब होने पर भी हमारी वसूली गत वर्ष जितनी ही रही है। बाजार में खरीफ की कुल वसूली गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रही है।

Shri Narsingh Narain Pandey : I want to know whether the Agricultural Prices Commission has also considered the cost of inputs which are used for agricultural products ? Consider-

ing these two aspects, would you adopt such a policy as may fetch remunerative price to the farmers thereby augmenting the production which may prove conducive in achieving the procurement targets ? Have you received any suggestion to this effect from the Chief Minister and whether Ministry of Agriculture or the Government are examining such a suggestion ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस मामले पर हमने मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। हमें विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए थे और प्रत्येक मामले के गुणों दोषों पर विचार करने के बाद और इस विचार से कि मूल्यों को 54 रुपये से बढ़ाकर 76 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, सरकार ने इस मूल्य में आगे वृद्धि न करने का निर्णय किया है। अन्यथा, इसके फलस्वरूप मूल्य-ढांचे में और वृद्धि हो जाती तथा समूची अर्थ व्यवस्था को अत्याधिक हानि पहुंचती। कृषि मूल्य आयोग ने खाद, बीज आदि के मूल्यों के बारे में विचार किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वर्तमान मूल्य ढांचा ठीक है।

Shri Sarju Pandey : The farmers of the entire country and in particular those of our State have been agitating over the sugar-cane prices. There was a conference in Orissa as well as a Conference of MPs here and it was demanded that the sugar-cane prices should be fixed at least at Rs. 15 a quintal. The sugar price in the world market has gone quite high. Accordingly may I know whether the Government are prepared to enhance the price of sugar-cane?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह प्रश्न खाद्यान्नों के मूल्य के बारे में है; गन्ने के बारे में नहीं। यदि माननीय सदस्य गन्ने के मूल्यों के विषय में उत्सुक हैं तो वह अन्य प्रश्न का नोटिस दें।

Shri Onkar Lal Berwa : Price of Paddy has been fixed at Rs. 74 a quintal. The prices of fertilizers have already gone up double in the country. In Punjab you have fixed the price of paddy at Rs. 104 whereas in Rajisthan, it is Rs. 80. I want to know whether there is any scope for reducing, or slashing, the prices of fertilizers to half so that it may prove helpful in the procurement thereof ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के जो कारण हैं, वे सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। उनके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ गये हैं और सरकार का उस पर कोई वश नहीं चलता है। मेरे विचार से तुरन्त ही कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे निश्चय ही यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Minister should reply why the price of paddy in Punjab is Rs. 104 *vis-a-vis* Rs. 75 in Rajasthan why so much a difference ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि यह बात सही नहीं है।

Shri Darbara Singh : Quite wrong. No body gives us at Rs. 104.

Shri Satpal Kapur : We have demanded that.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मंत्री महोदय ने अभी अभी कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हो रही है। क्या सरकार धान पर शुल्क का पुनरीक्षण कर रही है अथवा नहीं ? यह देखते हुए कि उर्वरकों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ रहे हैं तथा उनका भार विशेषतया कृषकों पर नहीं डाला जाना चाहिए सरकार यह सुनिश्चय करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि किसानों को दिये जाने वाले मूल्य कम से कम खले बाजार में व्याप्त 350 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्यों के अनुरूप तो हों परन्तु इस

समय तो उनके बीच कोई संबंध नहीं है ? अत: वह किस औचित्य की बात कर रहे हैं । क्या यह बात केवल कागज पर ही है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक खाद, बीज आदि के मूल्यों का प्रश्न है, कृषि मूल्य आयोग ने इन सभी पहलुओं पर विचार किया है । यदि माननीय सदस्या प्रतिवेदन को पढ़ें तो शायद वह स्वयं समझ जायेंगी कि बाजार मूल्य के अनुसार वह कितना है । माननीय सदस्या यह भी मानेंगी कि वसूली मूल्य बाजार मूल्य पर आधारित हैं । परन्तु बाजार मूल्य तो बढ़ते ही जा रहे हैं और हमें उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करनी है ।

Shri Darbara Singh : The prices of fertilizers has doubled, tube-wells are not functioning and water is not available in time power is available only for one or half an hour and that too with tripping. Have the Agricultural Prices Commission considered these expects also; or are there such Members in this commission as are able to reach these consideration?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ने जिन कठिनाइयों का जिक्र किया है सरकार उनसे अवगत है बात तो उर्वरकों के मूल्यों की है । इस मामले पर विचार करने के बाद कृषि मूल्य आयोग ने स्वयं उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की है ।

श्री के० सूर्यनारायण : क्या सरकार ने सभी प्रकार के खाद्यान्नों के लिए देश भर में 74 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय किये हैं ? उपभोक्ता कितना मूल्य अदा करते हैं तथा वसूली मूल्यों, विभिन्न उत्पादकों के विक्रय मूल्यों या उपभोक्ताओं द्वारा अदा किये जाने वाले मूल्यों के बीच क्या अन्तर है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार चावल की वसूली पर कितना प्रतिशत अधिभार ले रही है और विभिन्न राज्यों के उपभोक्ताओं को वह किन दरों पर बेच रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उपभोक्ता मूल्य अलग अलग हैं । स्तर की किस्म की न्यूनतम दर 125 रुपये है । फिर चावल की किस्म के हिसाब से अलग अलग दरें हैं । वस्तुत: सरकार ने आंशिक राज सहायता देकर कुछ खर्च ही किया है । सरकार को इससे कोई मुनाफा नहीं हुआ है ।

Shri Jamilurrahaman : Some parts of Bihar, particulary Purnia and Assam Benga and Meghalya etc. bring out good crops of jute. Does not the hon. Minister think that keeping in view the increase in the prices of inputs the present price of Rs. 125 a quintal is quite inadequate and whether Government propose to increase that.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं फिर कहना चाहूंगा कि खाद्यान्नों के वसूली मूल्यों में वृद्धि करने से हमारी अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ेगा । खाद्यान्नों के मूल्यों के अनुसार ही देश में अन्य वस्तुओं के मूल्य भी गिरते-चढ़ते हैं । इस लिए मेरे विचार से इन मूल्यों में और आगे वृद्धि करना वांछनीय नहीं होगा ।

Shri Bhan Singh Bhaura : Is it a fact that paddy price in Punjab has been fixed at Rs. 74 but IR-8 and Begami varieties of rice were also purchased as coarse grains. May I know whether the Gevernment of Punjab and also the political parties have demanded that bonus should be paid on the procurement prices; if so, what steps are the Government taking in this regard ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : आई० आर०-8 किस्म को मोटा चावल नहीं माना जाता है । इसे स्तर की किस्म समझा जाता है । इस लिए उसका मूल्य 74 रुपये नहीं बल्कि 76 रुपये है ।

श्री भानसिंह भोरा : बोनस के बारे में बताइये ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये ।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that in Haryana cost of production of wheat is Rs. 102 a quintal whereas the Government pays less ? Similarly the price of paddy too is less than the cost of production. Are the Government prepared to pay to the farmers a remunerative price *vis-a-vis* the cost of production.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : आंध्र तथा उड़ीसा की उत्पादन लागत का ब्यौरा तो उपलब्ध है । सरकार को वह लागत देश-भर के उत्पादन लागत से कम ही मिली है ।

श्री बी० एन० रेड्डी : मूल्य निर्धारित करते समय सरकार को किसानों के लिये उचित मूल्य तथा उपभोक्ताओं के लिये सस्ती दरें रखने की बात सोचनी चाहिए । इस संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भारत सरकार की तो नीति ही यही है ।

शिक्षा मन्त्री द्वारा घोषित प्राइमरी शिक्षा में सुधार

+

*381. **श्री सरजू पांडेय** :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय प्राइमरी शिक्षा सम्मेलन के समक्ष भाषण देते हुए, शिक्षा मन्त्री ने प्राइमरी शिक्षा की नई प्रणाली और उसमें सुधारों की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के शिक्षा जगत की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) 15 से 18 नवम्बर, 1974 तक हुए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा सम्मेलन के उदघाटन भाषण में शिक्षा मन्त्री ने, शिक्षा के क्षेत्र में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों और उन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अध्यापकों और जन समुदाय के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला था । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने उन पर विचार किया था और उन्हें अनुमोदित कर दिया था । प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकसित किया जाने वाला सब से महत्वपूर्ण कार्यक्रम विद्यमान पद्धति को, जिसमें लगभग औपचारिक शिक्षा पर ही बल दिया जाता है, ऐसी पद्धति में बदलने का था जिसमें औपचारिक व अनौपचारिक तत्वों का सम्मिश्रण हो । परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण मद यह थी कि बहु-स्थलीय प्रवेश पद्धति लागू की जाए और साथ ही शिक्षा पद्धति के एक अभिन्न अंग के रूप में अनौपचारिक शिक्षा प्रारम्भ की जाए । एक अन्य कार्यक्रम उन बड़े बच्चों की सुविधा के लिए विशेष अंशकालीन कक्षाएं संचालित करने का था, जो स्कूल में नहीं गये थे अथवा जो स्कूल छोड़ गए थे । ऐसे बच्चों के लिए उपयुक्त सचन पाठ्यक्रमों और नए अध्यापन तरीकों को अपनाया जाएगा ।

अन्य कार्यक्रमों में, पाठ्यचर्या सुधार, कार्य अनुभव आरम्भ करना, परीक्षा सुधार, अच्छी पाठ्य पुस्तकें, अनिवार्य सुविधाएं तथा सुख साधन तथा पर्यवेक्षण में सुधार जैसे कोटि सुधार कार्यक्रम शामिल हैं। सेवा निवृत अध्यापकों, बेरोजगार स्नातकों, साक्षर महिलाओं, शिल्पियों आदि जैसे प्राथमिक अध्यापकों की सहायता हेतु स्थानीय समाज में सभी उपलब्ध अध्यापन संसाधनों का उपयोग करना इस कार्यक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है।

उपरोक्त कार्यक्रमों का शैक्षिक क्षेत्रों में आमतौर पर स्वागत किया गया है।

Shri Sarjoo Pandey : This issue has been in talks for a long time in the country. I want to know by what time would the recommendations be implemented.

Shri D.P. Yadav : We are acting upon the recommendation of the C.A.B.E.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Scheme to advance Interest-Free Loans to Landless Persons in rural areas

*379. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to advance interest-free loans to landless persons in rural areas for construction of houses or to provide constructed houses to them; and

(b) the outlines of the scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Preparation of Archaeological Atlas

*382. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) the time when work on the project of the preparation of Archaeological Atlas was started and the time by which the project would be over; and

(b) the amount of expenditure incurred so far thereon ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) & (b) In 1956, on the recommendations of the Central Advisory Board of Archaeological, a project was launched to prepare a comprehensive series of maps illustrating, the distribution of principal archaeological industries, cultures or phases of India from the prehistoric times to the Middle Ages. The work on the project, though initiated in 1958, came in full swing from January 1961, when the staff requirements and other equipments were completed. When the project was still in progress, the Archaeology Review Committee appointed by the Government in March 1965 observed that the project was inadequately worked out and recommended its discontinuance. However, the committee also felt that some part of the work, viz. collection of data, was painstakingly done and as such was likely to be of lasting use. It, therefore,

further recommended that a Documentation Wing should be set up at the Central Archaeological Library where all the data collected could be made available to the scholars. Thereafter, the recommendations of the Archaeology Review Committee were referred to the Central Advisory Board of Archaeology for their considered views. The Standing Committee of the Board did not agree with the Review Committees recommendations relating to this project and favoured resumption of the work. Meanwhile, the collection of data had continued which was to be used for the Documentation Wing. The Government very carefully considered the views of the Standing Committee and decided in May 1970 that the Atlas Project should be wound up and that a Documentation Wing created at the Headquarters. Accordingly, the Documentation Wing was created with effect from May 1970. The total amount spent till March 1970 was Rs. 7.5 Lakhs.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के होस्टलों को सस्ते मूल्य पर पंसारी का सामान (ग्रोसरीज) सप्लाई करने के लिए प्रायोगिक परियोजना

*383. **श्री के० मालन्ना** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चार होस्टलों में एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ करने के लिए गत अप्रैल मास में प्रयास किया था; और

(ख) यदि हां, तो होस्टलों को सस्ते मूल्य पर पंसारी का सामान सप्लाई करने संबंधी योजना के निष्पादन के क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ख) सहकारिता भंडार लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली में, जबाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चार छात्रावासों की 4 अप्रैल, 1974 से, किराये की कुछ वस्तुएं रियायती दरों पर, लगभग बिना लाभ बिना नुक्सान के आधार पर मुहैया करना शुरू कर दिया है। पता चला है कि इस विश्वविद्यालय के चार छात्रावासों के विद्यार्थियों के भोजनालय के मासिक बिलों में कमी होने के अलावा इन छात्रावासों में छात्रों को अब उपलब्ध किये जा रहे खाने की कोटि में भी सामान्य सुधार हुआ है। यह योजना अब दिल्ली विश्वविद्यालय के चार छात्रावासों में भी शुरू कर दी गई है।

लेवी की चीनी तथा खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का रिलीज किया जाना

*384. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा क्रमश: अगस्त तथा सितम्बर महीनों के दौरान लेवी की चीनी तथा खुले बाजार में बिकने वाली चीनी की कुल कितनी मात्रा रिलीज की गई;

(ख) इन दो महीनों के दौरान कारखानों ने वस्तुत: कितनी चीनी सप्लाई की थी; और

(ग) जुलाई से सितम्बर, 1974 तक प्रति मास, चीनी का प्रति क्विंटल औसतन मूल्य कितना रहा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) अगस्त और सितम्बर, 1974 के महीनों के लिए लेवी और खुली बिक्री की आवंटित मात्रा और इन महीनों के दौरान फैक्ट्रियों द्वारा भेजी गई मात्रा इस प्रकार है :—

(आंकड़े मीटरी टन में)

मास	आवंटित		भेजी गई मात्रा	
	लेवी	खुली बिक्री	लेवी	खुली बिक्री
अगस्त, 1974	1,80,213.3	80,000	2,37,067	79,956
सितम्बर, 1974	1,82,352.5	80,000	1,87,197	77,949

भेजी गई लेवी चीनी की वास्तविक मात्रा में (क) अगस्त/सितम्बर, 1974 के लेवी बंटनों के प्रति भेजी गई मात्रा, (ख) 31-7-1974 के बाद पूर्व महीनों की बढ़ाई गई वैधता अवधि की मात्रा सम्मिलित है ।

(ग) जुलाई से सितम्बर, 1974 तक चीनी फैक्ट्रियों द्वारा (उत्पादन शुल्क सहित) खुले बाजार में चीनी की बिक्री से प्राप्त मासवार अखिल भारतीय मूल्य भारित औसत क्रमशः 311.14, 328.95 और 431.86 रुपये प्रति क्विंटल थी । 1973-74 की लेवी चीनी के अधिसूचित जोनवार निकासी मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट) । यह उत्पादन 15 दिसम्बर, 1973 से लिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8702/74**)

Arrest of Businessmen in Hazaribagh under MISA

*385. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether two multimillionaire businessmen of Ramgarh Industrial Area in Hazaribagh were arrested in the first week of November 1974 under MISA in foodgrain scandal; and

(b) if so, the action taken by Government so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) The State Government of Bihar have reported the arrest and detention of two wholesale foodgrain licencee of Ramgarh in Hazaribagh District under MISA for their activities prejudicial to the maintenance of supplies and services essential to the community. Suitable further action is being taken by the Bihar Government.

सिंचाई जल का व्यर्थ जाना

*386. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री पी० ए० स्वामीनाथन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1974 के एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में "70 परसेंट इरिगेशन वाटर गोज वेस्ट" (70 प्रतिशत सिंचाई जल व्यर्थ जाता है) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रैस सूचना में ये दो मुख्य बातें दी गई हैं :—

1. राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं पर उठायी गई भारी वित्तीय हानियां।

2. सिंचाई स्कीमों में जल का भारी अपव्यय ।

एक—राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं पर उठाई गई भारी वित्तीय हानियां

सिंचाई राज्य विषय है तथा सिंचाई स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी विकासात्मक योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। पिछले कुछ समय से, सिंचाई परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन लाभ-लागत के अनुपात के आधार पर किया जाता है, जिसमें बढ़े हुए कृषि-उत्पादों के मूल्यों के साथ-साथ परियोजना के वार्षिक वित्तीय उत्तरदायित्व पर भी विचार किया जाता है। बहरहाल, सिंचाई स्कीमों से राजकोष को लाभ कम होते हैं जिसका मुख्य कारण बहुत कम जल दरें लगाना है। केन्द्रीय सरकार ने अकसर राज्य सरकारों पर जल-दरों को बढ़ाने तथा जहां अनुज्ञेय हो विकास-कर उगाहने की आवश्यकता पर बल दिया है। कम वित्तीय लाभों के अन्य कारण ये हैं :—

(एक) सिंचाई परियोजनाओं की लम्बी निर्माणावधि,

(दो) निर्मित सिंचाई शक्यता के समुपयोजन में कमी,

(तीन) परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन की लागतों में वृद्धि।

राज्य सरकारें, समय-समय पर, जल-दरों को बढ़ाती रहती हैं। बहरहाल, यह वृद्धि अपर्याप्त है।

दो—सिंचाई स्कीमों में जल का भारी अपव्यय

सिंचाई स्कीमें दो प्रकार की हैं नामश: (क) नदी बहाव पर और (ख) जल संचयन।

जल संचय स्कीमों में जलाशयों से वाष्पीकरण के कार हानि होती है। य हानि एक परियोजना से दूसरी परियोजना पर भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। सामान्यता उनकी मात्रा संचय क्षमता के 10 से 20 प्रतिशत के बीच में होती है।

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये जलाशयों में वाष्पीकरण की हानियों को न होने देना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

वितरण प्रणाली में जिसका नियंत्रण सरकारी मोगा तक परियोजना प्राधिकारियों द्वारा और इससे आगे किसानों द्वारा किया जाता है; जल को क्षति होती रहती है। बहुत सी सिंचाई प्रणालियां पक्की नहीं है और नहरों से जल-निस्सरण हानियां होती रहती हैं जो उस भूमि की किस्म पर निर्भर करती हैं जिसमें से नहर गुजरती है। सामान्यत: सरकारी मोगे तक हानियों का मूल्यांकन नहर-शीर्ष पर लिए गए पानी के लगभग 25 से 40 प्रतिशत तक किया गया है। नहरों तथा उनके अन्तर्गत वितरण प्रणाली को लाइनिंग पर बहुत अधिक परिव्यय की आवश्यकता है। बहरहाल, जहां पर जल निस्सरण की हानियां अधिक हैं और संभव उपयोग की तुलना में जल का अभाव है, लाईनिंग

करना आवश्यक है। जल के उपयोग में किफायत करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) पुरानी नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण ।

(2) जहां पर जल-निस्सरण हानियां अधिक हैं, नहर प्रणाली को लाइनिंग करना ।

(3) कमानगत क्षेत्र का विकास जिसमें जल का वैज्ञानिक प्रबन्ध और प्रयोग शामिल है।

(4) सिंचाई परियोजनाओं के कमानगत क्षेत्र में तलवर्ती और भू-जल का समेकित प्रयोग ।

(5) जल के अपव्यय तथा उसकी चोरी को रोकना ।

उदयपुर विश्वविद्यालय में पी० एल० 480 तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की धनराशि का दुरुपयोग

*387. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर विश्वविद्यालय के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा पी० एल० 480 तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की धनराशि का दुरुपयोग किये जाने का मामला सरकार के नोटिस में आया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच करने सम्बन्धी आदेश दिये गये हैं; और

(ग) इसमें कितने व्यक्ति सम्बद्ध हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग) उदयपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की धनराशि के दुरुपयोग के किसी मामले की सूचना अब तक सरकार को नहीं प्राप्त हुई है। फिर भी, उदयपुर विश्वविद्यालय को यह संदेह है कि विश्वविद्यालय के दो वैज्ञानिकों—प्रमुख और सहायक प्रमुख अन्वेषक द्वारा कुछ वित्तीय एवं प्रशासन संबंधी अनियमितताएं बरती गई हैं। ये पी० एल० 480 कोष की वित्तीय सहायता से चलाई जा रही एक परियोजना के प्रभारी अधिकारी थे। प्रस्तुत परियोजना के कार्य सम्बन्धी आरंभिक जांच पड़ताल की रिपोर्ट के आधार पर, विश्वविद्यालय ने दोनों वैज्ञानिकों को निलम्बित कर दिया है और उन्हें एक आरोप-पत्र भी दे दिया गया है।

सिंचाई सुविधाओं वाली भूमि के गैर-कृषक मालिकों से खाद्यान्न की जबरन वसूली

*388. **श्री नुरुल हुडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजनैतिक दलों एवं किसान संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि 30 बीघा से अधिक सिंचाई सुविधाओं वाली भूमि के गैर-कृषक मालिकों से खाद्यान्न की जबरन वसूली की जाये; और

(ख) क्या सरकार उक्त प्रस्तावों को स्वीकार करेगी और उन्हें कार्यान्वित करने की कार्यवाही करेगी और यदि हां, तो उन्हें कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) भारत सरकार को राजनैतिक दलों तथा किसान संगठनों से अभी तक एसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

*389. **श्री वसन्त साठे :**
श्री धामन कर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से नगर सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) विकास की समस्याओं को हल करने, भूमि का समुचित उपयोग करने और बृहद योजनाओं को लागू करने के लिए नगर की भूमि और जहां नगर बनाये जा सकते हैं उस भूमि का समाजीकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) शहरी सम्पत्तियों पर अधिकतम सीमा संबंधी एक विधेयक को अधिनियमित करने में कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) 31 मई से 2 जून, 1974 तक मद्रास में हुए आवास तथा नगर विकास के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन ने, राज्य मुख्य नगर आयोजकों की बैठक जो मद्रास में 30 मई, 1974 को हुई की इस सिफारिश पर सहमति प्रकट की थी कि राष्ट्रीय नगरीकरण तथा नगर विकास की भावी योजना यथा संभव शीघ्र बनाई जानी चाहिए तथा इस प्रकार की नीति के पहलुओं को तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति या आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की थी। निर्माण और आवास मन्त्रालय में इस मामले पर और आगे विचार किया जा रहा है।

2. नगरीय तथा नगरीकरण योग्य भूमि के समाजीकरण करने के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इस दौरान, राज्य सरकारों को नगरों तथा उपनगरों के लिए बृहत्त योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में प्रोत्साहन देने की दृष्टि से तथा समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भूमि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को एक नगरीय भूमि तथा आवास नीति अपनाने की सिफारिश की है। नगरीय सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने संबंधी विधेयक बनाने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

खजूरों का उत्पादन

*390. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**
श्री मानसिंह भौरा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या देश में खजूरों का वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन करने के लिए संघ सरकार कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार खजूरों के आयात पर प्रति वर्ष लगभग 4 करोड़ रुपया खर्च कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया है और उसके परिणाम क्या हैं; और

(घ) इसके लिए किन क्षेत्रों को चुना गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं । तथापि, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने खजूर पर एक अनुसन्धान योजना का प्रस्ताव किया है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने अबोहर और गंगानगर के फल अनुसन्धान केन्द्र में खजूर पर कुछ प्रारम्भिक अध्ययन किया है और इसके परिणाम उत्साहजनक हैं ।

(घ) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने एक परियोजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत देश के कुछ अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में बागबानी अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है जिनमें से एक चन्दनवाल (राजस्थान) में होगा । इसमें खजूर पर अनुसंधान किया जाएगा ।

भवन निर्माण उद्योग में अनुकूलन समन्वय बढ़ाने के लिए कार्यकारी दल

***391. श्री वी० मायावन :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भवन निर्माण उद्योग में अनुकूलन समवन्य बढ़ाने के लिए एक कार्यकारी दल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दल अल्प लागत आवास सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यकारी दल के मुख्य कार्य क्या होंगे और क्या इस विशेषज्ञ समिति की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) भवन निर्माण उद्योग में प्रमापीय समन्वय आरंभ करने हेतु सरकार ने 25 अगस्त, 1972 को एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी। बड़े बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर कम लागत के मकानों का निर्माण करने के तरीकों के उपार्जन के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर इस कार्यकारी दल की स्थापना की गई है । कार्यकारी दल का मुख्य कार्य प्रमापीय समन्वय आरम्भ करने में आने वाली समस्याओं को ढूंढना था और ऐसे उपाय निकालना तथा अपनाना था कि जिससे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रमापीय समन्वय मान्य हो जाए तथा भवन निर्माण उद्योग में प्रमापीय समन्वय के कार्यान्वयन के लिये मानक प्रमापीय परिमापों के अनुसार भवन निर्माण सामग्री तथा उस के घटकों के उत्पादन के लिए तथा उनका निर्माण कार्य में प्रयोग करने के लिये सिफारिशें करें तथा उपाय सुझाये ।

2. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, पूर्व-विरचित भवन निर्माण संघटकों के उत्पादन हेतु कारखाने स्थापित करने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिये संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई थी। समिति की सिफारिशों का बड़े पैमाने पर प्रसार किया गया था तथा निदेशक, राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा भी रिपोर्ट की प्रतिलिपियों को विभिन्न निर्माण अभिकरणों, आवास बोर्डों तथा अन्य व्यक्तियों को परिचालित की गई थी। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित विशिष्ट सिफारिशों को उचित कार्यवाही हेतु उन्हें भी अग्रेषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से दिल्ली में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के कार्य को सरल और कारगर बनाने तथा सुधारने का प्रश्न भी उठाया गया है। प्रमापीय समन्वय पर कार्यकारी दल का गठन करने के अतिरिक्त, भवन निर्माण सामग्री तथा निर्माण पद्धति संबंधी एक विकास दल का भी गठन किया गया है।

मध्य प्रदेश में सूखा-राहत कार्य

3585. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई ईस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों ने सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 हजार स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार ने रामपुर, दुर्ग तथा राजनन्दगांव, जहां कि 75 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है, के गांवों को सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) सूखा-राहत कार्यवाही के रूप में वहां अन्य क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि सांख्यिकी प्रणाली में सुधार

3586. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि संबंधी सांख्यिकी की वर्तमान प्रणाली में कुछ वैज्ञानिक सुधार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) हाल के वर्षों में कृषि संबंधी आंकड़ों की प्रणाली में कई सुधार आ चुके हैं और इस संबंध में और उपाय किये जा रहे हैं। किये गये उपायों में मुख्य रूप से विभिन्न राज्यों में अपनाई जा रही प्रणालियों, परिभाषाओं तथा प्रक्रियाओं में समानता लाना, उपज की दर का अनुमान लगाने के लिये वस्तुगत प्रक्रिया प्रारम्भ करना और फसलों के पूर्वानुमान का विस्तार करना शामिल है। अन्य प्रस्तावों में कृषि सम्बन्धी आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाना तथा उनको समय पर एकत्र करना, केन्द्र द्वारा फसलों के

क्षेत्र तथा उपज के आंकड़ों की देख-रेख करने की व्यवस्था करना और कृषि सम्बन्धी नई मदों के आंकड़ों का संचयन करना शामिल है ।

बिहार में जयनगर से आगे कमला नदी के तटबंधों का विस्तार

3587. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री 7 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1749 तथा 1750 के उत्तर के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयनगर से आगे नेपाल में मिरचैया तक कमला नदी के तटबंधों के विस्तार संबंधी आंकड़े (डेटा) इस बीच प्राप्त कर लिये गये हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या जयनगर में वर्तमान कमला नदी के उत्तर की ओर से पश्चिम कोसी नहर के प्रस्तावित रेखांकन को बदलने के लिए क्षेत्रीय जांच पूरी हो चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कोठाठ में छत्तरा से ऊपर बहुउद्देशीय बांध बनाने के प्रस्ताव पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि ये आंकड़े अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु इनके शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है ।

(ख) राज्य सरकार ने क्षेत्रीय-अन्वेषण पूरे कर लिए हैं परन्तु रेखांकन के ब्यौरों को अंतिम रूप, दिसम्बर, 1974 में किए जाने वाले अनुसूचित केन्द्रीय तथा राज्य अधिकारियों द्वारा वैकल्पिक रेखांकन के संयुक्त निरीक्षण के बाद, दिया जाना है ।

(ग) ऐसा प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नेपाल सरकार को औपचारिक रूप से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा है ।

गन्ने की उत्पादन लागत की प्रतिशतता

3588. **श्री दिनेश सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 12 महीनों में गन्ने की उत्पादन लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : गन्ने की खेती की लागत के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु लगभग गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न आदानों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण गन्ने की खेती की लागत में भी वृद्धि हुई होगी ।

Audio-visual Equipment on Cattle Rearing in M.P.

3589. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the absence of audio-visual materials and equipments to educate the people on cattle rearing and prevention of diseases among the animals is being acutely felt in Madhya Pradesh as a result of which the extension programmes are being hampered; and

(b) the measures being taken by Government to make available the material and equipment to the State on priority basis in view of the position ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) No such complaint has been received by the Ministry from the State Government of Madhya Prndesh.

(b) As a general measure the Government of India through its Central Farm Information Unit of the Directorate of Extension in the Ministry of Agriculture and Irrigation has been regularly producing and widely distributing audio-visual materials to the various field agencies throughout the country. The State Agricultural Information Units and other agencies on their own are also producing similar materials under the guidance of the Farm Information Unit at the Centre.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन खाद्य भंडार डिवीजनें

3590. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में खाद्य-भण्डार डिवीजनों तथा खाद्य-भण्डार विद्युत्तीय डिवीजनों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं तथा उनके डिवीजनल मुख्यालय कहां-कहां हैं ;

(ख) प्रत्येक डिवीजन के अधीन उप-डिवीजनों के नाम क्या हैं तथा उनके उप-डिवीजन के मुख्यालय कहां-कहां हैं; और

(ग) प्रत्येक उप-डिवीजन के अधीन कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

क्रम सं०	मण्डल का नाम	मंडल के मुख्य कार्यालय का स्थान	क्रम सं०	उप-मण्डल का नाम	उप-मण्डल के मुख्य कार्यालय का स्थान
1	2	3	4	5	6
(क)	**सिविल मंडल**				
1.	खाद्य भंडार मंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, कानपुर ।	कानपुर	1.	खाद्य भंडार उप-मंडल	कानपुर
			2.	---वही---	इलाहाबाद
			3.	---वही---	गया
2.	खाद्य भंडार मंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, करनाल ।	करनाल	1.	खाद्य भंडार उप-मंडल I	हिसार
			2.	---वही--- II	---वही---
			3.	---वही---	करनाल

1	2	3	4	5	6
3.	खाद्य भंडार मंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, लुधियाना ।	लुधियाना	1.	खाद्य भंडार उप-मंडल	लुधियाना
			2.	—वही—	भटिण्डा
			3.	खाद्य भंडार उप-मंडल	फगवाड़ा
			4.	—वही—	अमृतसर
			5.	बकाया उप-मंडल	लुधियाना
4.	खाद्य भंडार मंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली ।	नई दिल्ली	1.	खाद्य भंडार उप-मंडल	नई दिल्ली
			2.	—वही—	जबलपुर
			3.	—वही—	उदयपुर
5.	खाद्य भंडार मंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, बम्बई ।	बम्बई	1.	खाद्य भंडार उप-मंडल	बम्बई
			2.	खाद्य भंडार उप-मंडल	मनमगड़
			3.	खाद्य भंडार उप-मंडल	अहमदाबाद
6.	खाद्य भंडार मंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मद्रास ।	मद्रास	1.	खाद्य भंडार उप-मंडल	मद्रास
			2.	—वही—	अरनाकुलम
			3.	—वही—	राजामुन्दरी
			4.	—वही—	बंगलौर
7.	खाद्य भंडार मंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रायपुर ।	रायपुर	1.	खाद्य भंडार उप-मंडल	रायपुर
			2.	—वही—	बिलासपुर
	(ख) विद्युत मण्डल				
1.	खाद्य भंडार विद्युत मंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली ।	नई दिल्ली	1.	खाद्य भंडार विद्युत उप-मंडल	नई दिल्ली
			2.	—वही—	बीना
			3.	—वही—	कानपुर
2.	खाद्य भंडार विद्युत मंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण, लुधियाना ।	लुधियाना	1.	खाद्य भंडार विद्युत उप-मंडल	लुधियाना
			2.	—वही—	अमृतसर
			3.	—वही—	भटिण्डा
3.	खाद्य भंडार विद्यत मंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, बम्बई ।	बम्बई	1.	खाद्य भंडार विद्युत उप-मंडल	बम्बई
			2.	—वही—	मद्रास
			3.	—वही—	अहमदाबाद
			4.	—वही—	रायपुर

टिप्पणी:— सिविल मंडलों के सूची में क्रम संख्या 5, 6 तथा 7, और विद्युत मंडलों की सूची में क्रम संख्या 3 में उल्लिखित बम्बई तथा मद्रास और रायपुर के मंडल मुख्य इंजीनियर, दक्षिण-पश्चिम अंचल, बम्बई के नियन्त्रणाधीन हैं । शेष मंडल मुख्य इंजीनियर, खाद्य अंचल, नई दिल्ली के नियन्त्रणाधीन हैं ।

राजस्थान को चीनी का कोटा

3591. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से अपने चीनी के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ख) क्या सरकार ने नवम्बर, 1974 तक राज्य को चीनी का कोई अतिरिक्त कोटा दिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

अपंग हरिजनों तथा अनूसूचित आदिम जातियों के लोगों के पुनर्वास की योजना

3592. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपंग हुए हरिजनों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के पुनर्वास की कोई योजनायें हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए अनेक योजनाए शुरू की हैं । विकलांग व्यक्तियों में हरिजन और अनुसूचित आदिम जातियों के विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं ।

चलाए जा रहे मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा नेत्रहीन, बधिर तथा मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए क्रमशः देहरादून, हैदराबाद और नई दिल्ली में स्थापित किये गये राष्ट्रीय संस्थान;

(2) विकलांग विद्यार्थियों को 9वीं कक्षा से अगली कक्षाओं तक के लिए छात्रवृत्तियां ;

(3) विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार सम्बन्धी सहायता ;

(4) नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु केन्द्र ।

सरकार राज्य सरकारों की सिफारिश पर उन सुस्थापित स्वयं सेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देने की प्रार्थनाओं पर भी आवश्यकता अनुसार विचार करती है । जो उन क्षेत्रों में सेवाओं की स्थापना या विकास करना चाहते हैं, जिन में हरिजनों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की काफी संख्या होती है ।

केरल में समुद्र द्वारा भू-कटाव

3593. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में समुद्र द्वारा भू-कटाव की समस्या पर राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तत्संबंधी कार्यक्रम के लिए अनुदान के रूप में पूरी सहायता देगी, बजाय ऋण के रूप में देने के जैसे अब तक दी जाती रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) समुद्र-कटाव रोधी उपाय राज्य योजनाओं के बाद नियंत्रण सैक्टर का भाग होते हैं, और इस लिए, समुद्र-कटाव रोधी उपायों का आयोजन तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

उड़ीसा को चीनी का कोटा

3594. **श्री अनादिचरण दास :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अपने चीनी के कोटे में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) उड़ीसा को वर्ष 1973-74 में नवम्बर, 1974 तक कितनी मात्रा में चीनी का आवंटन किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार को अक्तूबर, 1973 से नवम्बर 1974 तक की अवधि के दौरान लेवी चीनी की निम्नलिखित मात्राएं आवंटित की गई थीं :—

महीना	आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
अक्तूबर, 1973	5468
नवम्बर, 1973	4947
दिसम्बर, 1973	4947
जनवरी, 1974	5214
फरवरी, 1974	5214
मार्च, 1974	5214
अप्रैल, 1974	5214
मई, 1974	5214
जून, 1974	4945
जुलाई, 1974	4676
अगस्त, 1974	4676
सितम्बर, 1974	4676
अक्तूबर, 1974	4676
नवम्बर, 1974	

व्यक्तियों के बसाने विषयक सम्मेलन

3595. **श्री वेकारिया :**
श्री बनमाली बाबू :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान व्यक्तियों को बसाने विषयक प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत में प्रत्येक मास 10 लाख लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने वाले एक नगर की आवश्यकता होगी और इस लिए सरकार की मानवीय बस्ती के विषय पर एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जनसंख्या की वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार को ज्ञान है तथा इनका समाधान पंच-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत किए जा रहे विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों द्वारा किया जा रहा है ।

वनस्पति के उत्पादन में कमी के कारण

3596. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री 11 नवम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न सं० 14 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति के उत्पादन में वर्ष 1972 के 6.02 लाख टन से घट कर वर्ष 1974 में (अक्तूबर तक) 2.91 लाख टन हो जाना कच्चे तेलों का उपलब्ध नहीं होना था;

(ख) यदि हां, तो कच्चे तेलों की इस कमी के क्या कारण थे; और

(ग) वर्ष 1972 तथा 1974 में कच्चे तेलों का देश में कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ और देशीय उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) ऐसा लाभकारी मूल्यों पर कच्चे तेलों के न मिलने के कारण हुआ था ।

(ख) ऐसा मुख्यत: 1971-72 की तुलना में फसल वर्ष 1973-74 के दौरान तिलहनों के कम उत्पादन के कारण हुआ था और इस लिये भी क्योंकि 1973-74 के प्रारम्भ में प्राय: कोई पिछला बचा अथवा यहां तक कि पाइप लाइन का भी कोई स्टाक नहीं था ।

(ग) वनस्पति तेलों के देशी उत्पादन के पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि तेल की पेराई करने वाला उद्योग मुख्यत: असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है । इसके अलावा, तिलहनों की समस्त पैदावार की पिराई नहीं होती है, क्योंकि उनकी अधिकांश लेकिन अनिर्धारित मात्रा का बीज, सीधे मानव उपभोग और यहां तक कि चारे के लिए (बिनौले के बारे में) इस्तेमाल किया जाता है । प्रत्येक वर्ष के आरम्भ और अन्त को बचे स्टाक की मात्रा से भी पेरी गई मात्रा उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होती है, जिसके बारे में ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

तथापि, फसल वर्ष 1971-72 और 1973-74 के दौरान मूंगफली, बिनौले और तिल के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है। ये उन कच्चे तेलों के प्रमुख स्रोत हैं, जिनका क्रमशः 1972 और 1974 में वनस्पति के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया गया था :—

लाख मीटरी टन

	मूंगफली	बिनौले	तिल
1971–72	61.80	23.64	4.50
1973–74	57.98	20.97	4.86

देशी कच्चे तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो पग उठाये गए हैं, उनमें ये भी शामिल हैं :—

1. पांचवी योजनावधि के अन्त तक पांच प्रमुख तिलहनों (मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, अलसी और केस्टर) के उत्पादन को बढ़ाकर 125 लाख मीटरी टन करना जोकि मुख्यतः केन्द्र द्वारा समर्थित योजना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, के माध्यम से किया जाएगा :—

(i) सघन तिलहन विकास कार्यक्रम चुनींदा राज्यों में प्रत्येक प्रमुख तिलहन फसल के बारे में क्षेत्र के आधार पर पैकेज योजना को लागू करना जिसके अधीन—1978-79 तक कुल 23.56 लाख हैक्टर क्षेत्र को लाया जाएगा।

(ii) नये सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों की पैदावार करना: प्रमुख सिंचित परियोजना क्षेत्रों में तिलहनों की खेती करना और खेती की उन्नत तकनीक को लोकप्रिय बनाना।

(iii) अपरम्परागत तिलहनों का विकास : 1978-79 तक सूरजमुखी के अधीन क्षेत्र को बढ़ाकर 10.60 लाख हैक्टर करना और सोयाबीन के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाकर 4.30 लाख हैक्टर करना।

2. बिनौले और चावल की भूसी जैसे उपलब्ध स्रोतों का निम्नलिखित के माध्यम से पूर्ण इस्तेमाल करना :—

(i) चावल की भूसी के तेल की किस्म में सुधार करने के लिए प्रयत्न करना ताकि वनस्पति तैयार करने के लिये इस तेल का और अधिक इस्तेमाल किया जा सके।

(ii) वनस्पति के कम से कम 15 प्रतिशत बिनौले के तेल के इस्तेमाल को अनिवार्य कर देना और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से इसके और अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। वनस्पति में चावल की भूसी के तेल को इस्तेमाल करने के लिए भी इसी प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उड़ीसा सर्कल के अधीन बिजली घर

3597. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री अनादिचरण दास :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उड़ीसा सर्कल के अधीन जिले-वार कितने बिजली घर हैं; और

(ख) प्रत्येक बिजली-घर में श्रेणीवार कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) :(क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली सैण्ट्रल इलैक्ट्रिकल सर्कल III तथा IV से कुछ पम्पों का स्थानान्तरण

3598. **श्री भोला मांझी : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेन्ट सुन्दर नर्सरी में मेकेनीकल वर्कशापों तथा कुछ पम्पों के रख-रखाव का कार्यभार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली सेन्ट्रल इलेक्ट्रिकल सर्कल iii तथा iv से उद्यान निदेशालय को स्थानान्तरित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया):(क) सुन्दर नगर की कार्यशाला को उद्यान-निदेशालय को हस्तान्तरित किया गया था । केन्द्रीय विस्तार के चार पम्प भी उद्यान निदेशालय को केवल संचालन के प्रयोजनों हेतु हस्तान्तरित किये गये थे । कार्यशाला के आन्तरिक बिजली संस्थापनाओं तथा चार पम्प सेटों का रख-रखाव संबंधी कार्य अभी भी विद्युत मण्डल के पास है ।

(ख) कार्यशाला का हस्तान्तरण, नर्सरी तथा कार्यशाला के समस्त कार्य पर समन्वित नियंत्रण रखने के उद्देश्य से किया गया था । पम्पों के संचालन का हस्तान्तरण, भूमिगत जल निकालने तथा उसका लानों की सिंचाई के लिये उपयोग करने के कार्य में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया है ।

इंजीनियरिंग स्नातक

3599. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का चीफ इंजीनियर तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रथम खंड में परिच्छेद 14 के अनुछेद 70 में उल्लिखित तीसरे वेतन आयोग के इस दृष्टिकोण से सहमत है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग स्नातकों को जूनियर इंजीनियर के पदों पर नियुक्त करके उनकी कार्यक्षमता का कम लाभ उठाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन इंजीनियरिंग स्नातकों की क्षमताओं का पूरा लाभ उठाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) :(क) तथा (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों को सामान्यतया आयोजना तथा डिजाईन कार्य पर लगाया जाता है जो उनकी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए बिल्कुल ठीक है; अतः उनको उपयुक्त रूप से उपयोग में न लाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

लीज होल्डरों द्वारा चैकों का जमा कराया जाना

3600. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान लीज होल्डरों द्वारा अपने प्रीमियम की अदायगी के रूप में उनके मन्त्रालय के भूमि तथा विकास में जमा कराये गये अथवा उसे भेजे गये बहुत-से चैकों की अवधि

उन चैकों को भुनाने में विलम्ब किये जाने के कारण समाप्त हो गई है; और यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी संख्या में चैक रद्द हुए ;

(ख) क्या लीज़ होल्डरों से चैक प्राप्त करते समय उन्हें कोई रसीद देने की प्रणाली नहीं है और वे लीज़ होल्डर भी, जिन्होंने अदायगी कर दी है, विभाग द्वारा अदायगी न करने के दोषी ठहराये जाने पर, रसीद के अभाव में यह प्रमाणित नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने अदायगी कर दी है; और

(ग) लीज होल्डरों को उस व्यर्थ की परेशानी से बचाने के लिये प्रक्रिया को सुनियोजित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) गत दो वर्षों के दौरान केवल एक चैक काल-बाधित हुआ ।

(ख) कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से दिए गए चैकों की रसीदें तुरन्त दे दी जाती हैं। चैकों को भुनाने के बाद पट्टेधारियों को रसीदें डाक द्वारा भी भेजी जाती हैं ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

कालागढ़ (उत्तर प्रदेश) में रामगंगा के श्रमिकों की छंटनी

3601. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कालागढ़ स्थित रामगंगा सिंचाई व विद्युत परियोजना के पूरा हो जाने के कारण लगभग 3500 श्रमिकों को नवम्बर, 1974 के अन्त तक छंटनी किये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या सरकार ने इन वफादार श्रमिकों को सेवा में बनाये रखने तथा उन्हें देश में कहीं ऐसी ही किसी परियोजना में काम पर लगाने की कोई योजनायें बनाई हैं;

(ग) क्या सरकार उन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार देने तक कोई सहायता भत्ता प्रदान करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उन श्रमिकों तथा उनके परिवारों के पालन-पोषण के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) परियोजना प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि नवम्बर, 1974 में 1426 कार्य प्रभारी (वर्क-चार्ज) कर्मचारियों की छंटनी हुई है ।

(ख) इन कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि यदि वे इच्छुक हों तो उन्हें राज्य के सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अन्य परियोजनाओं पर मिट्टी की खुदाई के कार्य पर लगाया जा सकता है । जिन कर्मचारियों ने ऐसी इच्छा व्यक्त की है, उन्हें शारदा सहायक परियोजना और हरिद्वार-ऋषिकेश जल-विद्युत परियोजना पर कार्य पर लगाया जा रहा है ।

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(घ) इच्छुक व्यक्तियों के लिये वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, छंटनी शुदा कर्मचारियों को नियमों में स्वीकार्य छंटनी मुआवजा और एक महीने के वेतन का भुगतान किया गया है।

सहायता प्राप्त कालेजों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मानदंड

3602. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायता प्राप्त कालेजों को अनुदान देने के लिए नये मानदंड निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह मानदंड निर्धारित किया है कि (इंजीनियरिंग, कृषि तथा मेडिकल कालेजों को छोड़कर) प्रत्येक कालेज को अपने विकास कार्यक्रमों के लिए आयोग से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र बनने के लिए उसमें पूर्व विश्वविद्यालय/पूर्व डिग्री/इंटरमीडिएट कक्षाओं को छोड़कर, न्यूनतम 400 छात्र दाखिल होने चाहिएं तथा समुचित रूप से अर्हताप्राप्त कम से कम 20 स्थायी अध्यापकों का स्टाफ होना चाहिए। दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कालेजों के मामले में, न्यूनतम अपेक्षित दाखिला 270 छात्र तथा समुचित रूप से अर्हताप्राप्त कम-से-कम 15 स्थायी अध्यापक होंगे।

तथापि (i) नवीन शैक्षिक कार्यक्रमों के कालेजों (ii) पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित कालेजों (iii) छात्राओं के लिए कालेज; और (iv) व्यावसायिक कालेजों के मामले में न्यूनतम दाखिले तथा स्टाफ संख्या की शर्तों में छूट दी जा सकती है।

पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई के लिये परियोजनाएं

3603. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई के लिए किन्ही परियोजनाओं पर मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान चालू ग्रामीण जलपूर्ति के त्वरित कार्यक्रम की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत, 204 ग्रामों को नलों द्वारा जल प्रदान करने की 235.65 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 22 योजनाएं पंजाब राज्य के लिये मंजूर की गई थीं।

इन योजनाओं के कार्यान्वियन के लिये पंजाब सरकार को 1972-74 में 130 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता अनुदान दिया गया। मार्च, 74 तक 52 ग्रामों की 4 योजनाएं पूर्ण हो गई थीं। शेष 18 योजनाओं की मार्च, 1975 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

केरल में विझिनजाम में मत्स्य-पतन

3604. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में विझिनजाम स्थान पर एक मत्स्य-पतन का विकास करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या उक्त परियोजना निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रगति नहीं कर रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) तथा (ख) विझिनजाम में मत्स्य-पत्तन परियोजना 1968 तक राज्य सरकार की परियोजना थी, लेकिन इसके पश्चात भारत सरकार ने बकाया कार्यों की शेष मदों के लिये इसे 173 लाख रु० की केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के रूप में स्वीकृति दी थी ।

निविदा करने वाली फर्मों की कठिनाइयों के कारण परियोजना के कार्य में 1969-70 तक संतोषजनक प्रगति नहीं हुई थी । 1970 के अन्त में संविदा रद्द की गई थी और यह कार्य विभागीय रूप में शुरू किया गया था । परियोजना का कार्य अब प्रगति कर रहा है और जेटी तथा स्लिपवे का शेष कार्य '1974-75' के अन्त तक पूरा हो जायेगा । जल रोक बांध, पहुंच सड़कें, कार्यालय के भवन, भंडार, क्वार्टर, कर्मशाला आदि का कार्य लगभग पूरा हो गया है ।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली में नई परिवहन व्यवस्था का पैट्रोल की खपत पर प्रभाव

3605. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनाट प्लेस, नई दिल्ली में इस वर्ष परिवहन व्यवस्था में सुधार करने पर कितना व्यय हुआ ;

(ख) क्या इस नई परिवहन व्यवस्था के कारण कनाट प्लेस से होकर जाने वाली हर गाड़ी को 2 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता है और इस क्षेत्र से गुजरने वाली 10,000 गाड़ियों को प्रतिदिन लगभग 2000 लीटर पैट्रोल की बेकार खपत करनी पड़ती है; और

(ग) क्या पैट्रोल पर खर्च होने वाली इस विदेशी मुद्रा की बरबादी को रोकने और पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) 18.00 लाख रुपये ।

(ख) जी नहीं । विद्युत स्वचालित एककालिक सिगनलों के कारण कोई बाधा न पड़ने पर कुछ वाहनों द्वारा इस अतिरिक्त फासले को पार करने पर पैट्रोल की खपत नहीं बढ़ती ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Constitution of Central Board under Prevention and Control of Water Pollution Act

3606. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have constituted a Central Board under the Prevention and Control of Water Pollution Act;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) whether any country-wide programme has been chalked out; and

(d) if so, the outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia): (a) Yes, Sir.

(b) The Central Board will have representatives of the concerned Departments of the Central Government, and public sector undertakings representatives of the State Boards for the Prevention and Central of Water Pollution, besides non-officials to represent the interests of agriculture, fisheries and industries.

(c) & (d) The Central Board has been constituted only recently and the Board is already on the job of chalking-out a country wide programme in collaboration with the State Boards for the Prevention and Control of Water Pollution.

सीनियर लाइब्रेरी अटेन्डेन्टों की पदोन्नति

3607. **श्री बनमाली पटनायक :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के ग्रंथालयों में नियुक्त सीनियर लाइब्रेरी अटेन्डेन्टों की उस संवर्ग में कुछ वर्ष सेवा करने के बाद अगले संवर्ग में पदोन्नति देने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) सभी केन्द्रीय राजकीय पुस्तकालयों में वरिष्ठ पुस्तकालय परिचरों के पद विद्यमान नहीं हैं। तथापि, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय में, वरिष्ठ पुस्तकालय परिचर, भर्ती नियमों के अनुसार, निर्धारित सेवा अवधि के पश्चात् अगले ग्रेड के लिए पात्र हो जाते हैं ।

समुद्रीय भूमि-कटाव के कारण पत्तन से मद्रास तेल शोधक कारखाने तक बिछी पाईप लाइनों का खतरा

3608. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन न्यास ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को समुद्रीय भूमि- कटाव के कारणों की जांच करने को कहा है जिसके फलस्वरूप पत्तन से मद्रास तेल शोधक कारखाने तक बिछी पाईप लाइनों को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) से (ग) हाल में, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट से एक अनुरोध केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला पूना में प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस मामले पर पत्तन प्राधिकारियों से विचार-विमर्श किया था । इसके परिणामस्वरूप, इस समस्या के माडल-अध्ययन करने का प्रस्ताव किया है ।

कूच बिहार सेंट्रल कोग्रोपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया से निकाली गई राशि

3609. **श्री वी० के० दासचौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व कूच बिहार सेन्ट्रल कोग्रोपरेटिव बैंक लिमिटेड ने किसानों को कृषि ऋण देने के लिए ग्रपने ऋण स्थगन काल की तिथि तक रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया से कुल कितनी राशि निकाली;

(ख) किसानों ग्रौर ग्रन्य व्यक्तियों ग्रथवा कृषि ऋण सहकारी समितियों को कितनी राशि वितरित की गई ग्रौर उक्त बैंक के ग्रन्तर्गत कूच बिहार जिले में तथा ग्रन्य स्थानों पर ऐसी कितनी ऋण सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं ग्रौर उनसे ग्रब तक कितनी राशि वसूल की गई ;

(ग) इस कारण रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया को कुल कितनी हानि हुई; ग्रौर

(घ) क्या सरकार का विचार इस भारी हानि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जांच कराने का है जिसका तत्कालीन संयुक्त सचिव, वित्त मन्त्रालय, बैंकिंग विभाग के प्रति स्पष्ट उल्लेख किया गया है ग्रौर सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कूच बिहार केन्द्रीय सहकारी बैंक को ग्रल्पकालीन कृषि प्रयोजनों के लिये वर्ष 1972-73 में 15.00 लाख रुपये की ऋण सीमा मंजूर की गई थी। तथापि, 27 जनवरी, 1973 ग्रर्थात ऋण स्थगन काल की तारीख तक कोई धन नहीं निकाला गया था। तथापि, 30 जून, 1973 को बकाया ऋण सीमा के ग्रन्तर्गत कुल 9,76,500 रुपये निकाले गये थे।

(ख) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ग्रौर राज्य सरकार से एकत्र करनी होगी। इसमें काफी समय लगने की सम्भावना है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक को हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार को कूच बिहार केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० में कथित हानि के बारे में वित्त मन्त्रालय (बैंकिंग विभाग) के किसी संयुक्त सचिव की किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

उड़ीसा में भूमि उपयोग बोर्ड

3610. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण के ग्रनुसार राज्य में एक भूमि उपयोग बोर्ड की स्थापना करना स्वीकार कर लिया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बोर्ड की स्थापना ग्रब तक हो चुकी है।

कृषि ग्रौर सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कार्यकरण की जांच

3611. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गत तीन वर्षों के कार्यकरण की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में उक्त अवधि की कौन-कौन सी अनियमितताएं आई हैं; और

(ग) इस निगम के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कार्यचालन की कोई विशिष्ट जांच नहीं करवाई है। समूचा-काम-काज इस तथ्य से संतोषजनक दिखाई दे रहा है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान निगम द्वारा कर से पूर्व अर्जित लाभ 1.35 लाख रुपये से बढ़कर 1973-74 में 122.85 लाख रुपये हो गया है।

खेलकूद परिषदों को वित्तीय सहायता

3612. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इन्डिया स्पोर्टस कौंसिल (अखिल भारतीय खेल कूद परिषद्) जैसी लगभग सभी राज्य खेलकूद परिषद अपने खेलकूद कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार से कम वित्तीय सहायता मिलने के कारण प्रभावित हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इन संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय करने का है, जिससे खेलकूद कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सके ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् एक सलाहकार निकाय है और यह देश में खेलकूदों के विकास से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देती है। परिषद कोई भी कार्यक्रम सीधा कार्यान्वित नहीं करती अतः उसके सुपुर्द कोई भी सार्वजनिक निधि नहीं की जाती। खेलकूदों के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निधियों की व्यवस्था विद्यमान वित्तीय कठिनाई के अन्तर्गत यथासंभव सीमा तक शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय के बजट में की जाती है और यह निधि-परिषद की सलाह से विभिन्न अनुमोदित प्रयोजनों के लिए खर्च की जाती है।

शिक्षा और खेलकूद राज्य विषय है और यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वे अपने अपने राज्यों में खेलकूदों के विकास के लिए निधियों की व्यवस्था करें। जैसा कि अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के मामले में है, राज्य खेलकूद परिषदें भी सामान्य रूप से सलाहकार निकाय हैं और संबंधित राज्यों में खेलकूदों के प्रवर्धन और विकास के बारे में सलाह देती हैं।

समुद्री कटाव रोकने के लिए केरल को केन्द्रीय अनुदान

3613. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने समुद्री कटाव से प्रभावित होने वाले तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र के साथ दीवारें बना कर कटाव रोकने के लिए केन्द्र सरकार से सीधा अनुदान मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है।

दिल्ली में अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में अध्यापकों को वेतन की अदायगी न करना

3614. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में बहुत से अध्यापकों को अक्तूबर तथा नवम्बर, 1974 के वेतनों की अदायगी नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 126 के अनुसरण में, दिल्ली प्रशासन ने, सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को वेतन आदि देने की नई प्रक्रिया के सम्बन्ध में तथा साथ ही अन्य बातों के साथ साथ 'स्कूल कर्मचारी लेखा' खोलने की जिसमें वेतन और भत्तों आदि से संबंधित प्रबन्धकों का हिस्सा तथा दिल्ली प्रशासन का सहायक अनुदान जमा कराया जाना है, व्यवस्था करते हुए, एक अधिसूचना 29 अक्तूबर, 1974 को जारी की थी। कुछ उन सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबन्धकों ने, जो स्वयं को अल्पसंख्यक संस्थाएं कहलाने का दावा करते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर कर दी हैं तथा दिल्ली प्रशासन की दिनांक 29-10-1974 की विवादग्रस्त अधिसूचना के कार्यान्वयन के विरुद्ध अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं।

राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के सम्बन्ध में अक्तूबर, 74 तथा नवम्बर, 74 के महीनों के लिए सहायक अनुदान तथा कर्मचारियों के वेतनों के भुगतान के लिए स्वीकृति तथा चेक अलग अलग 'स्कूल स्टाफ लेखा' के नाम में जारी किए गए थे, किन्तु कुछ उन स्कूलों को छोड़ दिया गया था, जिनके मामलों में चेक प्रबन्धकों के नाम में जारी किए गए थे, क्योंकि उन स्कूलों के प्रबन्धकों ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने के संबंध में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए थे। उक्त अधिसूचना दिनांक 29-10-74 के अनुसार, सहायक अनुदान स्वीकृत होने के बाद भी कुछ प्रबन्धकों ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। ऐसी संस्थाओं ने 'स्कूल स्टाफ लेखा' के नाम में जारी किए गए चेक लौटा दिए हैं। ऐसे मामलों में दिल्ली प्रशासन स्कूल स्टाफ लेखा की बजाय प्रबन्धकों के नाम चेक पुनः जारी करने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई कर रहा है।

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली उच्च न्यायालय में इन सभी समादेश याचिकाओं का प्रतिवाद कर रहा है तथा अन्य उपचारात्मक उपायों पर भी विचार कर रहा है ।

विद्यार्थी अशांति के सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही

3615. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :**
श्री सी० जनार्दन :
श्री समर गुह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा देश में विद्यार्थी अशांति के बारे में गठित स्थायी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और इस बात को देखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि छात्र गतिविधियों का देश के विकास के लिए समुचित रूप से उपयोग हो ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा छात्रों में असंतोष के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उस पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा विचार किया जायेगा ।

Central grant to Bharat Sewak Samaj

3616. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of the States in the country where there are branches of Bharat Sewak Samaj;

(b) the number of districts where they are functioning state-wise;

(c) the amount given to Bharat Sewak Samaj by Government during in 1973-74;

(d) the number of persons working in the Bharat Sewak Samaj in each state; and

(e) the expenditure incurred on their salaries and allowances ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaj Khan) : (a) to (e) The information, which is to be collected from various outside sources, is being collected and will be laid on the Table of the House when received.

खाद्यान्नों की वसूली

3617. **श्री के० लकप्पा :**
श्रीमती रोजा विद्याधर देश पांडे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 नवम्बर को केन्द्रीय मंत्री ने यह कहा था कि वसूली अभियान के फलस्वरूप देश में खाद्यान्नों की स्थिति में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार तथा उसकी एजेन्सियों ने अब तक कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की वसूली की है; और

(ग) क्या इस संबंध में निर्धारित किये गये लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) खरीफ विपणन मौसम पहली नवम्बर, 1974 से शुरू हुआ है और अब तक चावल और मोटे अनाजों की निम्नलिखित मात्रा अधिप्राप्त की गई है :—

चावल	7.02 लाख मीटरी टन
मोट अनाज	0.40 लाख मीटरी टन

बाजारों में धान की आमद भी मिल पर लेवी के माध्यम से सम्भावी अधिप्राप्ति का दूसरा सूचक है जोकि पंजाब में 95 प्रतिशत और हरियाणा में 90 प्रतिशत है। पंजाब और हरियाणा में 6 दिसम्बर, 1974 तक, बाजार में धान की आमद क्रमश: 13.26 लाख मीटरी टन और 2.90 लाख मीटरी टन हुई है।

(ग) लक्ष्य के निर्धारित करने का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है। इसके अलावा, इस समय समूचे विपणन मौसम के दौरान कुल उपलब्धि के बारे में अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

Purchase of Books by Raja Ram Mohan Roy Library

3618. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the value of the books purchased so far for Raja Ram Mohan Roy Library set up by his Ministry and the details of their distribution;

(b) the names of the publishers from whom these books were purchased indicating the value of each of these books and the basis on which these books were selected; and

(c) the annual expenditure incurred on running this library and also its other functions besides the purchase and distribution of books?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The value of books purchased (upto November, 1974) is of Rs. 49.48 lakhs and these have been distributed to libraries in the States of Assam, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Karnatak, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Delhi, Goa Daman & Diu, Mizoram and Pondicherry.

(b) the information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The Foundation does not run any library of its own ; its expenditure on administration and other functions besides purchase and distribution of books is Rs. 1.37 lakhs during 1973-74.

पश्चिम बंगाल में कृषि विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण

3619. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री डी० के० पण्डा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कृषि विकास परियोजनाओं में धन लगाने के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं, कितनी राशि की सहायता मांगी गई है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के कुछ ग्रामीण इलाकों का समन्वित विकास करने के लिए 50.64 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत की एक परियोजना रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन (विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था) से परियोजना के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु सहायता लेने के लिए भेजी थी। इस परियोजना में विकास की ये मदें शामिल की गई हैं--लघु सिंचाई योजनाएं(उथले नलकूप, गहरे नलकूप तथा नदियों की उठाऊ सिंचाई) और नियंत्रित मंडियों और सहायक सड़कों के विकास की योजनाएं। भारत सरकार ने यह परियोजना अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन को प्रस्तुत की थी, जिन्होंने भारत में भेजे गए मिशनों के माध्यम से प्रस्तावों की जांच कराई है। इस बारे में अगली कार्यवाही की प्रतीक्षा है ।

पांचवी योजना के दौरान बिहार के निरन्तर सूखा-ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों की समस्याओं के हल की योजना

3620. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान बिहार के निरन्तर सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खाँ): (क) राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन पालमाऊ जिले, मुंगेर जिले के जमुई उप-मण्डल और नदवाहा तथा रोहतास जिलों के एक यूनिट, जिसमें बेहद सूखाग्रस्त इलाके शामिल हैं, का विकास करने के लिए योजनाएं बनाई हैं। पांचवीं योजना अवधि के दौरान इन इलाकों के लिए केन्द्र की ओर से 8 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध होगा और इतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

(ख) इस कार्यक्रम की मुख्य बातें भू-संरक्षण, सिंचाई, वन रोपण, मरु-भूमि पर खेती करना, पशुपालन, कुक्कुटादि पालन, सूअर पालन आदि हैं ।

भगवान महावीर और जैन धर्म के जन्म और जीवन से संबंध रखने वाले स्थानों की खुदाई

3621. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान महावीर की 2500वें महापरिनिर्वाण समारोह के अवसर पर भगवान महावीर के जन्म व जीवन से संबंध रखने वाले देश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों के पुरातत्वीय सर्वेक्षण और खुदाई कार्य के लिए धनराशि देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य अनुसार कितनी धनराशि दी जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ख) पुरातत्व संबंधी खुदाइयां अनिवार्यत: समस्यापूर्ण होती हैं तथा केवल ऐसे ही स्थलों की खुदाई की जाती है जिनसे भारतीय पुरातत्व संबंधी कुछ प्रमुख समस्याओं को हल करने की सम्भावनाएं हों। तथापि,

भगवान महावीर के जीवन से संबंध रखने वाले अनेक स्थलों में से, वैशाली (जिला मुजफ्फरपुर), पाटल पुत्र (आधुनिक पटना), राजगीर तथा नालंदा (जिला नालंदा) तथा सरावस्ती (जिला बहराईच) में खुदाई शुरू की जा चुकी है इनमें से वैशाली (इसका उपनगर कुंडाग्राम के नाम से जाना जाता है) परंपरागत रूप से भगवान महावीर के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है, जबकि अन्य स्थानों पर उनके द्वारा एक अथवा अधिक वर्षा ऋतुएं बिताए जाने का पता चलता है ।

वर्तमान क्षेत्र-सत्र, 1974-75 के दौरान, मथुरा के कंकाली टीला में खुदाई करने का भी निर्णय किया गया है, जहां पर पहले जैन धर्म से संबद्ध महत्वपूर्ण अवशेष तथा मूर्तियां प्राप्त हुई थी । प्रस्तावित खुदाई कार्य पर लगभग 60 हजार रुपये खर्च होंगे ।

पाकिस्तान क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड का भारत को आमन्त्रण

3622. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 1975-76 के मौसम में भारत को पाकिस्तान के द्वौरे का आमंत्रण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड से एक पत्र प्राप्त होने के संबंध में सरकार को जानकारी दी है । इस पत्र में पाकिस्तान के विरुद्ध टैस्ट मैच खेलने के लिए वर्ष 1975-76 के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पाकिस्तान का दौरा करने की संभावना तथा उस पर दिसम्बर, 1974 के दौरान पाकिस्तान में होने वाले एशियाई क्रिकेट, सम्मेलन के अवसर पर दोनों देशों द्वारा विचार-विमर्श करने का सुझाव दिया गया है ।

इस प्रस्ताव के संबंध में भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा और आगे कार्रवाई करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

भूमि के बड़े टुकड़े का अधिग्रहण

3623. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अधिग्रहण आयुक्त, दिल्ली प्रशासन ने सागरपुर गांव और नालाहपार नांगल राया में विभिन्न खसरों में भूमि के एक बहुत बड़े टुकड़े के अधिग्रहण के नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली संघ क्षेत्र में जून, 1972 से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने और बृहत्त योजना में तदनुसार संशोधन के सुझाव देने विषयक समिति के कार्यरत होते हुए हुए इस प्रकार के नोटिस जारी करने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रभावित लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण आयुक्त के पास दायर की जा चुकी आपत्तियों को देखते हुए उक्त कालोनी में भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव का त्याग करने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त कालोनी को नियमित करने और वहां पर पर्याप्त नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करने के मामले को उक्त समिति को निर्देशित करने का भी है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया):(क) भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत नांगल रा ग्राम में लग भग 67 बीघे तथा सागरपुर में लगभग 233 बीघे भूमि अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचित की गई है ।

(ख) दिल्ली की बृहत्त योजना के अनुसार यह भूमि "वेयर हाउसिंग स्टोरेज डिपो' के लिए अपेक्षित है ।

(ग) प्रभावित व्यक्तियों द्वारा भेजी गई आपत्तियों पर भूमि अर्जन समाहर्ता की रिपोर्ट मिलने पर इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

(घ) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के प्रश्न का पुनरीक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति उन सभी अनधिकृत कालोनियों के बारे में प्रत्येक मामले का अलग-अलग अध्ययन करेगी जो दिल्ली में समय-समय पर और विशेषकर 15 जून, 1972 से पूर्व बनी हैं ताकि सरकार ऐसी कालोनियों के भविष्य के बारे में निर्णय ले सके ।

गुजरात में भूमि के बेनामी सौदे

3624. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि के बेनामी सौदों पर गुजरात में कोई रोक लगायी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल):(क) तथा (ख) गुजरात के पट्टेदारी कानूनों के अनुसार कृषि भूमि को गैर-कृषकों के पास हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता । कृषि भूमि का स्वामित्व बना रहने के लिए स्वयं खती करना जरूरी है इस प्रकार बेनामी भूमि के हस्तान्तरण पर पूरी रोक लगी हुई है ।

सिंचाई परियोजनाओं की लागत/लाभ अनुपात

3625. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे, मध्यम तथा बड़े दर्जे के क्षेत्र में सिंचाई परियोजनायें लागत के आधार पर बनाई गई हैं ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या ये लाभ के आधार पर बनाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो लागत और लाभ के बीच कितना अनुपात बनाये रखने की अनुमति है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (ख) सिंचाई राज्य विषय है परन्तु राज्यों द्वारा प्रस्तावित बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की, उनकी तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता के लिए एवं अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से जांच की जाती है और इन्हें राज्यों की विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने से पूर्व योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाता है । परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन लाभ-लागत की अनुपात के आधार पर किया जाता है ।

(ग) लाभ-लागत अनुपात की सामान्य अनुज्ञेय सीमा पूंजीगत लागत पर 10 प्रतिशत ब्याज दर पर 1.5 है। अभावग्रस्त तथा पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के लिए लाभ लागत अनुपात की सीमा में 1 तक की छूट है।

महानगरों में "बल्क मिल्क वैंडिंग मशीन" लगाना

3626. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने दिल्ली जैसे महानगरों में प्रयोग करने के लिए "बल्क मिल्क वैंडिंग सिस्टम" बनाई है और जिसका पेटेंट कर लिया गया है;

(ख) इसकी तुलना बोतल पद्धति से किस प्रकार की जा सकती है और क्या यह व्यवस्था अधिक कुशल तथा किफायती है ;

(ग) क्या सरकार को यह रिपोर्ट की गई है कि डेरी बोर्ड के इस पेटेंट को चुराने का प्रयास किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि इस भारतीय आविष्कार की चोरी न की जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) "बल्क वैंडिंग प्रणाली" के जरिये दूध का वितरण करने से ग्राहक प्रत्येक दिन लम्बे समय तक दूध ले सकेंगे। इस प्रणाली से शीशे की बोतलों का प्रयोग किए बिना ग्राहकों द्वारा सीधे अपने बर्तनों में दूध लेना भी सम्भव हो सकेगा। यह अनुमान है कि बोतलों में भरने की पुरानी प्रणाली की तुलना में "बल्क वैंडिंग प्रणाली" की प्रक्रिया और वितरण की लागत भी लगभग 10 पैसे प्रति लिटर कम होगी।

(ग) तथा (घ) जी हां। भारत में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का अपने 'बल्क वैंडिंग' यूनिट का डिजाइन पहले ही पेटेंट करा लिया है और एक अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने के प्रश्न पर बोर्ड विचार कर रहा है।

तकनीकी संस्थाओं के होस्टलों के निर्माण के लिये मैसूर को अनुदान

3627. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्य की तकनीकी संस्थाओं के लिए होस्टलों का निर्माण करने हेतु भारत सरकार ने मैसूर सरकार को कितनी राशि के ऋण दिये हैं;

(ख) कितने होस्टलों का निर्माण किया जायेगा; और

(ग) इन होस्टलों की बर्तमान स्थिति क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन): (क) और (ख) भारत सरकार ने, 21 सरकारी तकनीकी संस्थाओं के लिए कुल 2880 स्थानों की क्षमता वाले छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार को 107.43 लाख रुपये के ऋण अनुमोदित किए थे। पहले संस्वीकृत 62.93 लाख रुपये के अलावा पिछले तीन वर्षों के दौरान 28.59 लाख रुपये की राशि और संस्वीकृत की गई थी।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 7 संस्थाओं के सभी छात्रावास भवन और वार्डन के क्वार्टर पूरे हो चुके हैं। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि छात्रावासों के भवन अच्छी हालत में हैं और उनमें कोई दरार अथवा बड़ी खराबी के चिन्ह नहीं हैं। पानी, बिजली और मल-निर्यात की व्यवस्था की गई है और आवास सन्तोषजनक है।

किसानों और मिल मालिकों पर लेवी लगाने के बारे में विशेषज्ञ समिति तथा गेहूं तथा चावल के मूल्य निर्धारित करने के आधार

3628. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विशेषज्ञ समिति ने किसानों, बड़े मिल मालिकों तथा भूसी निकालने वाले छोट मिल मालिकों पर लगायी जाने वाली लेवी की मात्रा को निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विशेषज्ञ समिति के विचारों की रूपरेखा क्या है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में लेवी के रूप में वसूल किये गये चावल तथा गेहूं के मूल्य निर्धारित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चावल अथवा गेहूं के उत्पादन की लागत तथा किसान की पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो गेहूं तथा चावल के उत्पादन की लागत को निर्धारित करने तथा कृषक परिवार की आवश्कताओं संबंधी मूल तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने और बफर स्टाक बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा चावल और गेहूं की खरीदारी करने हेतु लेवी मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) अधिप्राप्ति मूल्यों के बारे में अपनी सिफारिशें करते समय कृषि मूल्य आयोग रबी और खरीफ फसलों की उत्पादन लागत संबंधी उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखता है जिन्हें विभिन्न राज्यों में प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए विस्तृत योजना के अधीन एकत्रित किया जाता है। इस योजना के अधीन, पूर्णकालिक फील्डमैन द्वारा लागत लेखा-विधि के जरिए अध्ययन करने के लिये विधिवत चुने गए किसानों के सेम्पुल से विभिन्न आदानों और उत्पादनों के बारे में विस्तृत सूचना एकत्रित की जाती हैं। ये फील्डमेन उन गांवों में रहते हैं जोकि विभिन्न कृषि संबंधी अभियान चलाते समय प्रतिदिन के अवलोकन और किसानों के सम्पर्क के आधार पर जांच के लिए चुने जाते हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना की कार्यकारी क्षमता

3629. **श्री राज राजसिंह देव :**
श्री आर० वी० बड़े :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकत्रीकरण, उत्पादन तथा बितरण की दृष्टि से दिल्ली दुग्ध योजना का कार्यकरण असंतोषजनक रहा है ;

(ख) क्या इसके द्वारा वितरित किये जाने वाले दूध की कुल मात्रा तथा दुग्ध उत्पादों का उत्पादन इसकी अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम है;

(ग) क्या 'फ्लड स्कीम' के संचालन के अन्तर्गत दिल्ली में एक नये बड़े डेरी संयंत्र का निर्माण किया गया है ;

(घ) क्या दूध के ठेकेदारों द्वारा, जो दिल्ली दुग्ध योजना को अधिकांश दूध सप्लाई करते हैं, इस नये डेरी संयंत्र को अपने कब्जे में रखने का प्रयास किया गया है ताकि उनके निहित स्वार्थों को बढ़ावा मिल सके; और

(ङ) सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि नयी डेरी को दिल्ली दुग्ध योजना में पाई गई त्रुटियों से बचाया जा सके ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) जी नहीं । दिल्ली दुग्ध योजना अपनी 100 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करते हुए प्रतिदिन 3.07 लाख लिटर दूध सप्लाई कर रही है । मशीनों की खराबी के कारण थोड़ी-बहुत कमी के सिवाय, योजना अपने ग्राहकों की सारी मांग को पूरा कर रही है । योजना की मुख्य जिम्मेदारी पास्तुरीकृत दूध की व्यवस्था करना है, अत: सबसे पहले तरल दूध की मांग पूरी करने के पश्चात् ही दुग्ध उत्पादों का निर्माण करना सम्भव है । अत: दुग्ध-उत्पादों के निर्माण के सम्बन्ध में योजना की पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है । फिलहाल, योजना मुख्य दुग्ध उत्पादों, अर्थात् मक्खन तथा घी की अपनी अनुकूल क्षमता का उपयोग कर रही है ।

(ग) से (ङ) जी हां । दिल्ली में आपरेशन फ्लड स्कीम के अन्तर्गत एक दूसरे डेरी संयंत्र की स्थापना की जा रही है, जिसकी अधिष्ठापित क्षमता प्रतिदिन 4.0 लाख लिटर होगी । दूध का वितरण प्रशीतित "बल्क मिल्क वेंडिंग यूनिटों" के माध्यम से किया जाएगा । सरकार को दूध के ठेकेदारों द्वारा सप्लाई को अपने एकाधिकार में लाने के किसी प्रयास के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है । सरकार आशा करती है कि दूसरी डेरी के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम तथा ग्रामीण रोजगार दिलाने संबन्धी द्रुत कार्यक्रम

3630. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1972-73 का आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम तथा वर्ष 1971/72 में आरम्भ की गई ग्रामीण रोजगार दिलाने संबंधी द्रुत योजना, ये दोनों कार्यक्रम असफल हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वे जिले कौन-कौन से हैं जहां ये योजनायें असफल हुए हैं ;

(ग) क्या इन असफलताओं के परिणामस्वरूप, इस योजना को बिल्कुल छोड़ दिया गया है; और

(घ) क्या सरकार इसका पुनर्निर्धारण करने के बाद इन योजनाओं को दोबारा आरम्भ करने के लिए तैयार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8703/74]**

गन्ने का मूल्य

3631. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी पेराई मौसम में उपलब्ध होने वाले गन्ने की फसल का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) देश के विभिन्न भागों में गन्ने के मूल्य क्या निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) क्या गन्ना उत्पादकों ने विरोध प्रकट किया है कि जहां निर्माताओं को भारी मुनाफा हो रहा है वहां सरकार गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने के मामले में बहुत मितव्ययी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 1974-75 के लिए गन्ने के पहले अखिल भारतीय अनुमान के अनुसार गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्रफल 26.10 लाख हेक्टर है जबकि 1973-74 के लिए उस अवधि के समायोजित अनुमान के अनुसार यह क्षेत्रफल 24.73 लाख हेक्टर था। अतः गन्ने की उपलब्धता पिछले वर्ष की अपेक्षा कम होने की सम्भावना नहीं है।

(ख) 1974-75 के दौरान विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने का निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्यों के परिसर बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार को कुछ राज्यों में गन्ना उत्पादकों के बीच चल रहे असंतोष के बारे में शिकायतें मिली हैं । केन्द्रीय सरकार ने जो निर्धारित किया है वह केवल गन्ने का न्यूनतम मूल्य है । आंशिक नियन्त्रण की प्रणाली के अधीन फक्ट्रियों से पिछले वर्षों की भांति अधिसूचित न्यूनतम मूल्य में अधिक मूल्य देने की आशा की जाती है। यह प्रणाली 1974-75 के मौसम में भी लागू होगी । राज्य सरकारें यथावश्यक इस मामले में उद्योग से कह रही हैं । हाल ही में पारित सांविधिक आदेश से फैक्ट्रियों को हर हालत में चालू चीनी वर्ष से खुली बिक्री की चीनी से प्राप्त अपनी आधी अधिक राशि को गन्ने के अतिरिक्त मूल्य के रूप में गन्ना उत्पादकों में बांटना होगा ।

विवरण

1974-75 मौसम में विभिन्न राज्यों में फक्ट्रियों के लिए अधिसूचित गन्ने के मूल्यों के रेंज को बताने वाला विवरण

(आंकड़े रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य/जोन	अधिसूचित न्यूनतम मूल्य
उत्तर प्रदेश	8.50 से 10.40
बिहार	8.50 से 9.60
पंजाब	8.50 से 8.80
हरियाणा	8.50 से 9.00
राजस्थान	8.50 से 10.00

1	2
असम	8.50
उड़ीसा	8.50 से 9.10
पंश्चिमी बंगाल	8.60
मध्य प्रदेश	8.50 से 9.90
महाराष्ट्र	8.50 से 12.40
गुजरात	8.50 से 11.40
आन्ध्र प्रदेश	8.50 से 10.30
तमिलनाडु	8.60 से 10.30
कर्नाटक	8.80 से 11.30
केरल	8.50 से 9.20
पांडिचेरी	9.00
नागालैण्ड	8.50
गोआ	8.50

दिल्ली में अपना स्वयं का मकान रखने वाले संसद सदस्यों, न्यायाधीशों आदि को सरकारी आवास का आबंटन

3632. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में अपना स्वयं का मकान रखने वाले संसद सदस्यों, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मंत्रियों, सचिवों तथा भारत सरकार के अन्य उच्च अधिकारियों की कुल संख्या क्या है जिन्हें सरकारी आवास का आबंटन किया गया है, इससे किस दर पर किराया लिया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार दिल्ली में मकानों की कमी अनुभव करती है ;

(ग) यदि हां, तो भाग (क) में उल्लिखित इन व्यक्तियों को सरकारी आवास का आबंटन करने का औचित्य क्या है ;

(घ) इन व्यक्तियों के खिलाफ, किस दवाब के कारण, कार्यवाही नहीं की जा रही है; और

(ङ) क्या इस प्रकार से आबंटित किए गए आवास को खाली कराने अथवा इन व्यक्तियों से बाजार भाव के अनुसार किराया वसूल करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) ऐसे लोगों के बारे में कोई सांख्यिकीय ब्यौरा उपलब्ध नहीं है जिनके अपने मकान हैं तथा उनको सरकारी आवास आवंटित किये गए हैं। तथापि, सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) मंत्रीगण, योजना आयोग के सदस्य, संसद के अधिकारी तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार बिना किराये के वास के आबंटन के पात्र हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सचिव तथा अन्य उच्च पदाधिकारी, जिन्हें सामान्य पूल का वास आबंटित किया गया है, उनसे उनकी परिलब्धियों के 10 प्रतिशत की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क अथवा मूल नियम 45 ए के अधीन पुलित मानक शुल्क, इनमें जो भी कम हो, देना अपेक्षित है। उन संसद सदस्यों से, जिन्हें संसद सदस्य पूल से निवास आबंटित किए गए हैं, मूल नियम 45 ए के अधीन मानक अनुज्ञप्ति शुल्क लिया जाता है जो अधिक से अधिक 105 रुपये प्रति मास तक सीमित है। उन संसद सदस्यों से, जिन्हें सामान्य पूल से वास आबंटित किए गए हैं, पूर्ण पूलित अनुज्ञप्ति शुल्क लिया जाता है तथा उनको कुल मांग पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(ग) से (ङ) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास की परितुष्टि की समग्र प्रतिशतता 41.5 है। नियुक्ति के स्थान पर स्वयं के मकान वाले सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के मामलों का 1966 में पुनरीक्षण किया गया था तथा यह निर्णय किया गया था कि नियुक्ति के स्थान पर स्वयं का मकान रखने वाले सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को भी सामान्य दरों पर अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान पर सरकारी वास के लिए आबंटन का पात्र घोषित किया जाना चाहिए। इस नीति का पुनः 1968 तथा 1970 में पुनरीक्षण किया गया था तथा यह निर्णय किया गया था कि यथा-पूर्व-स्थिति जारी रखी जाए। सरकार अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके मामलों का पुनः पुनरीक्षण कर रही है।

Consumption of Milk and Ghee in India and other Countries

3633. **Shri R. V. Bade :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the per capita consumption of milk and ghee in the rural and urban areas and metropolitan cities in the country ;

(b) how this consumption compares with the consumption in Denmark, Russia, U.S.A. and Australia;

(c) ths position in regard to demand and supply of milk and ghee in the country during the last three years, year-wise;

(d) the steps taken for increasing the supply thereof and the results achieved; and

(e) whether there is any scheme to supply milk and ghee to poor people at concessional price and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The per capita consumption of milk and ghee is not available for the rural and urban areas and metropolitan cities separately. The figures of per capita consumption relate to these available for consumption as milk and milk products including ghee. The per capita consumption or availability of milk is estimated for the country as a whole on the basis of production of milk and the projected human population. In the absence of sample surveys in all the States at a particular point of time, which should be the basis of working out the total production in the country, milk production is estimated only every five years on the basis of cattle and buffalo population census. Since these are conducted every five years, it is not possible to give yearwise break-up of the consumption level.

The production of milk in the country during 1973-74 was estimated to be 23.2 million tonnes. The estimated per capita availability of milk for consumption as milk and milk products including ghee, is 110.2 grams per day.

(b) The per capita availability in India at present is below the levels of consumption in countries like Denmark, Russia, U.S.A. and Australia. The figures of consumption in Denmark, Russia, U.S.A. and Australia are given below :—

Country	Year	Per capita availability/consumption per day (gms)
Denmark	1970-71	731
U.S.S.R.	1964-65	476
U.S,A	1970	689
Australia	1969-70	646
ia	1673-74	110.2

(c) The demand for milk depends on the human population, income level and price levels. During the last three years, the demand for milk has been around 33 million tonnes and the production around 22 to 23 million tonnes.

(d) Government have undertaken several measures for the improvement of the milk-yields of our animals and have taken up a large programme for crossbreeding of cattle to attain this objective. These consist in particular of the setting up of Intensive Cattle Development Projects and Key Village Blocks in areas with potential for good milk production and breed improvement. Use of artificial insemination technique is being made extensively, and the facilities for obtaining, producing and distributing high-quality semen not only in liquid but also in frozen state are being continuously expanded. Schemes have also been taken up for progeny testing to identify and select high performance bulls for breeding. In addition, attention is also being given to providing adequate health cover to the milch cattle. Development of feed and fodder have also been receiving increasing attention.

The impact of these measures is now becoming visible in the form of milk surpluses in several areas of Haryana, Maharashtra, Punjab and Gujarat, Andhra Pradesh and there is evidence that the country is on the threshold of a new break-through in milk production.

To increase the supply of quality and hygenic milk, a number of dairy plants, 141 in all, have also been set up to serve the needs of urban and semi-urban areas.

(e) There is no scheme as such at present to supply milk and ghee to poor people at concessional price, due to financial constrains as this involves considerable subsidy. However, in some states, like Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal and Delhi as scheme limited supply of low cost milk aimed to serve the poor and vulnerable sections of population, is in operation.

पश्चिम बंगाल, आसाम और केरल में गिराये गये पेड़ों का तूफान तथा बाढ़ के प्रसार पर प्रभाव

3634. **श्री आर० एन० वर्मन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई मूल्यांकन किया है कि पेड़ों के अंधाधुंध गिराये जाने के कारण देश में तूफान तथा बाढ़ के प्रसार पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल, आसाम तथा केरल में इस बारे में की गई जांच के क्या परिणाम रहे;

(ग) गत तीन वर्षों में सुदंरबन में बनों का कुल कितना क्षेत्र काटा गया; और

(घ) क्या पूरी स्थिति का कोई पुर्नमूल्यांकन किया जा रहा है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी नहीं। (ख) नरोपण के जरिए तूफान तथा बाढ़ का प्रकोप कुछ सीमा तक कम हो सकता है। पेड़ों के काटे जाने से तूफान और बाढ़ किस हद तक आते हैं, इस संबंध में विभिन्न राज्यों में कोई जायज़ा नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उड़ीसा की तूफान सहायता समिति ने 1972 में तूफान के प्रकोप को कम करने के लिए तट से एक किलो मीटर तक वृक्षों की पट्टी लगाने की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल और केरल के लिए इसी प्रकार की समितियां गठित की गई हैं, परन्तु उन्होंने अपनी रिपोर्टों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है। जब ये समितियां तटीय वनरोपण के लिये उपायों की सिफारिश करेंगी तो राज्य सरकारों से आवश्यक कार्यवाही की आशा की जाएगी।

नगर हवेली में भूमि सुधार अधिनियम

3635. **श्री आर० आर० पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधार अधिनियम के क्रियान्वयन के विरुद्ध कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में यह कानून क्यों नहीं लागू किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार दादरा और नगर हवेली में ऐसा कानून लागू करने का है ताकि बड़े जमींदार निर्धन किसानों को तंग न कर सकें ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) दादरा तथा नगर हवेली भूमि सुधार नियमों में एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करने की व्यवस्था है जो इच्छुक पार्टियों की शिकायतों को सुनकर कानूनी मामलों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिये अवसर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, इन नियमों के अन्तर्गत प्रभावित पार्टियों प्रशासक या प्रशासक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के पास अपील कर सकती हैं। यह अपील क्लेक्टर द्वारा पास किए हुए किसी भी आदेश के विरुद्ध दायर की जा सकती है परन्तु प्रशासक द्वारा नियमानुसार जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध नहीं की जा सकेगी। विनियमों की धारा 47 में इन विनियमों के अन्तर्गत की गई व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में सिविल कोर्ट के अधिकार-क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया है। परन्तु पार्टियों के बीच हक सम्बन्धी प्रश्नों के विवादों के सम्बन्ध में सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र समाप्त नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) इन विनियमों को 15 दिसम्बर, 1973 से आंशिक रूप से लागू कर दिया गया है।

रबी फसल के लिए केन्द्रीय सहायता

3636. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री चन्दुलाल चन्द्राकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी मौसम में रबी फसल बढ़ाने के लिए अद्यतन सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इस बारे में विशेष कार्यक्रम क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए आसान शर्तों पर धनराशि बीज अथवा खाद्य प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) और (ख) रबी के चालू मौसम के दौरान नमी की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए गेहूं चना और तिलहनों के लिए विस्तृत कार्यक्रम की सिफारिश की गई है। किसानों को गेहूं और चने के असिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों का कम उपयोग करने की सलाह दी गई है क्योंकि मुद्रा में नमी मौजूद रहे तो थोड़ा उर्वरक देने से भी अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। कमी के स्थानों में और विशेषकर उत्तरी-पूर्वी राज्यों में बीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सिफारिश की गई पैकेज प्रणालियों, समयोचित बुवाई, उर्वरकों के उचित और संतुलित उपयोग को लोकप्रिय बनाने व किसानों को वृहत स्तर पर शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए आकाशवाणी का उपयोग किया गया है।

(ग) 1974-75 के दौरान विभिन्न राज्यों को रबी के मौसम के लिये बीजों उर्वरकों और कृमिनाशी औषधियों की खरीद और उनके वितरण में सहायता देने के लिए 38.15 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण मंजूर किया गया है। इस राशि का राज्यवार ब्यौरा नीचे दे दिया गया है :—

(करोड़ रुपये)

राज्य	राशि
1. असम	0.50
2. उत्तर प्रदेश	8.00
3. मध्य प्रदेश	2.00
4. बिहार	6.00
5. पश्चिम बंगाल	2.00
6. उड़ीसा	2.50
7. मेघालय	0.15
8. गुजरात	5.00
9. आन्ध्र प्रदेश	11.00
10. राजस्थान	1.00
	38.15

वर्ष 1973 में आयात की गई गायों तथा बैलों का वंशावली चार्ट

3637. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के पास वर्ष 1973 में आयात की गई मूल गायों तथा बैलों के वंशावली चार्ट हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) जी हां ।

(ख) कुछ को छोड़कर शेष वंशावली चार्ट सम्बन्धित राज्यों/संस्थाओं को पहले ही भेज दिए गए हैं । तथापि बकाया वंशावली चार्ट राज्यों/संस्थाओं से वर्ष/उन्हें आबंटित और उनके द्वारा प्राप्त पशुओं की ब्रॉड संख्या के बारे में मांगी गई कुछ सूचना प्राप्त होने पर शीघ्र भेज दिए जायेंगे ।

संसद तथा राज्य विधान सभाओं के लिए प्राध्यापकों का चुनाव तथा नामांकन

3638. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल में जारी किये गये परिपत्र में सभी विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को सूचित किया गया है कि उन प्राध्यापकों को, जो संसद अथवा राज्य विधान सभाओं के लिए चुने जाते हैं अथवा नामांकित किये जाते हैं, अपने पद से त्याग देने की अथवा अपनी सदस्यता की अवधि के लिये लम्बी छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) क्या यह बात सरकार के नोटिस में आई है कि कुछ राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त विचारों का उल्लंघन करते हुए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कालेज प्राध्यापकों को राजनीति में भाग लेने तथा राज्य विधान सभाओं तथा संसद का चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है; और

(ग) यदि हां, तो वे राज्य सरकारें कौन-कौन सी हैं जो इस गलत कार्यवाही को कर रही हैं और क्या केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेश का पालन न करने के कारणों का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): (क) से (ग) जी, हां । सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा गया था । आयोग की सलाह को सभी सम्बद्ध कालेजों के भी नोटिस में लाने का उनसे अनुरोध किया गया था । शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा उक्त को राज्य सरकारों को भी साथ ही भेज दिया गया था ।

अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने इस सलाह से अपनी असहमति नहीं भेजी है ।

राज्यों में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय निदेश

3639. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को कोई मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) :(क) और (ख) जी नहीं। फिर भी रबी के चालू मौसम के लिये नमी की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए गहूं चना और तिलहनों के विस्तत कार्यक्रम की सिफारिश की गई है। राज्य सरकारों को समयोचित बुवाई, उर्वरकों के संतुलित व उचित उपयोग और सिंचाई के जल के उचित उपयोग के विषय में सलाह दी गई थी। किसानों को गेहूं और चने की बुवाई के असिंचित क्षेत्रों में कम मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी गई है क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि में नमी मौजूद होने पर कम उर्वरक डालने से भी अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है।

नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता एम्पलाइज इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

3640. **श्री रानेंन सेन :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइब्रेरी प्राधिकारियों द्वारा नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता एम्पलाइज इंश्योरेंस प्रीमियम के गबन करने के आरोपों के बारे में केन्द्रीय जांच व्यौरों द्वारा जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे ?

शिक्षा, समाज और कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) और (ख) इस संबंध में केन्द्रीय जांच व्यौरो की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय सतकर्ता आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संबंधित पुस्तकालय अधिकारियों तथाकथित प्रीमियम के धन का दुर्विनियोग करने का प्रयत्न किया है। आयोग ने विचार सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल को चावल तथा गेहूं के मासिक कोटे की सप्लाई

3641. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के मासिक कोटे के रूप में 90,000 टन गेहूं की सप्लाई करने संबंधी अपने वचन का पालन किया है; और

(ख) क्या सरकार ने मासिक कोटे के रूप में पश्चिम बंगाल को 25,000 टन चावल भेजा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) किसी भी राज्य के लिए खाद्यान्नों का कोई मासिक कोटा निर्धारित नहीं है। खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं और अन्य संगत प्रश्नों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय पूल से राज्यों की खाद्यान्नों के अबंटन प्रत्येक मास किए जाते हैं।

सितम्बर और अक्तूबर, 1974 के दौरान केन्द्रीय पूल से पश्चिमी बंगाल को सप्लाई की गई गेहूं और चावल की मात्रा और नवम्बर, 1974 में आबंटित की गई मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(हजार मीटरी टन में)

महीना	चावल	गेहूं	जोड़
सितम्बर, 1974	25.1	105.5	130.6
अक्तूबर, 1974	17.9	116.1	134.0
नवम्बर, 1974	20.0	126.0	145.0

चावल के आबंटन/सप्लाई में कमी की अधिक गेहूं का आवंटन/सप्लाई कर पूरा कर दिया गया है ।

कर्नाटक, मालयी में मछली पकड़ने की बन्दरगाह

3642. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) परियोजना को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है और निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) मालयी के प्रस्तावित मछली पकड़ने वाले बन्दरगाह में 23 गहन समुद्र मीन-ग्रहण जलयानों और 256 छोटी यंत्र-चालित नौकाओं के संचालन की सुविधा उपलब्ध होगी । इस बन्दरगाह पर घाट लगाने तथा 633 मीटर तक जेटी बनाने, जलयानों की मरम्मत के लिये स्लिपवे तथा नीलमी हाल एवं अन्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होंगी । इस परियोजना की लागत 217 लाख रुपये होने की आशा है ।

(ग) यह प्रस्ताव भारत सरकार के विनियोजन संबंधी निर्णय के लिए लम्बित रखा गया है, सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर वह परियोजना शीघ्र शुरू कर दी जाएगी ।

कमी वाले क्षेत्रों में अनाज के परिवहन के लिए डेनमार्क द्वारा सैनिक परिवहन देने की पेशकश

3643. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क ने देश के कमी वाले क्षेत्रों में अनाज के परिवहन के लिये सैनिक परिवहन देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Drawal of High Medical Reimbursement by Employees of F.C.I.

3644. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether some of the employees of the Food Corporation of India in Bihar and other places drawing a salary of Rs. 200 per month have received Rs. 10,000 to 14,000 as medical reimbursement during one year : and

(b) if so, whether Government have made any enquiry and with what results?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Anna Saheb P. Shinde) : (a) and (b) The required information is being collected from the Food Corporation of India and will be laid on the Table of the Sabha.

चावल के उत्पादन तथा निर्यात पर केन्द्रीय निदेश

3645. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उत्तरी राज्यों को निदेश दिये हैं कि निर्यात प्रयोजनों के लिये इन राज्यों में अच्छी किस्म के चावल के उत्पादन को बढ़ाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कुछ देशों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक दीर्घकालीन समझौता करने की पेशकश की है ;

(ग) विभिन्न देशों को कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया जायेगा और इसके परिणामस्वरूप कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी; और

(घ) चावल की घरेलू मांग पर इस व्यापार से क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) सरकार की नीति का उद्देश्य सभी खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना है । यद्यपि चावल के निर्यात के लिए कोई दीर्घकालिक करार नहीं हुआ है लेकिन बढ़िया बासमती चावल की कुछ मात्राओं का निर्यात किया जा रहा है । राज्य व्यापार निगम ने 1974-75 के दौरान अब तक निर्यात के प्रयोजनों के लिए 57,732 मीटरी टन बासमती चावल की बिक्री का ठेका किया है जिसकी अनुमानित कीमत 3,309,20 लाख रुपये है । बढ़िया किस्म के बासमती चावल की थोड़ी मात्रा के निर्यात का, चावल की घरेलू मांग पर कोई असर पड़ने की सम्भावना नहीं है क्योंकि देश के चावल के कुल उत्पादन के अनुपात में यह मात्रा बहुत ही थोड़ी है ।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा क्वार्टरों का निर्माण

3646. **श्री अम्बेश :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा क्वार्टरों का निर्माण करने के बारे में 15 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6743 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन क्वार्टरों का निर्माण कार्य इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इन क्वार्टरों के आबंटन के लिये क्या नीति बनाई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन क्वार्टरों का आबंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) आबंटन के लिये अभी तक कोई नीति नहीं बनाई गई है ।

(ग) आबंटन की तारीख इस समय नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह निर्माण कार्य पूर्ण होने पर निर्भर करेगी ।

नई दिल्ली में मुनीरका के फ्लैटों का कब्जा

3647. **श्री बी० आर० काबड़े :**
श्री एन० टोम्बी सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मांगी गई लागत का 20 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के बावजूद भी मुनीरका नई दिल्ली में फ्लेटों के अलाटियों की फ्लेटों का अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, हां ।

(ख) मुनीरका तथा अन्य स्थानों में आबंटित फ्लेटों के मूल्य का 80 प्रतिशत मासिक किश्तों में वसूल किये जाने का प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है जैसाकि किराया खरीद आधार पर आबंटित फ्लेटों के मामले में किया गया है । इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्माण लिये जाने तक, दिल्ली विकास प्राधिकरण आबंटियों को फ्लेटों का दखल न दे सका । तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण उन व्यक्तियों को दखल दे रहा है जिन्होंने निर्धारित प्रपत्र में जमानत नामा पेश किया है ।

National Discipline Scheme

3648. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) The number of instructors working under National Discipline Scheme ;

(b) the number of permanent instructors out of them; and

(c) the number of quasi-permanent instructors out of them?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The National Discipline Scheme ceased to be operative in 1965, when it was replaced by an integrated programme of National Fitness Corps. The number of Instructors of the erstwhile N. D. S. is 5524 excluding those already absorbed in the service of the State Governments.

(b) NIL.

(c) 5411.

Demand for Sanskrit University in Kerala

3649. **Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state ;

(a) Whether Government's attention has been drawn to the demand of the people of Kerala for setting up a Sanskrit University there; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto as also the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) and (b) Sree Kerala Samskrta Pandita Parishat has represented *inter alia*, to the State Government that a full fledged Sanskrit University may be established in Kerala. It is for the State Government to formulate the proposals in this regard.

Scheme for Improving Cattle Breed

3650. **Shri Chandu Lal Chandrakar** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Ministry have formulated a scheme for improving cattle breed;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the names of places in various States where such schemes are being implemented indicating the number and the centres to be set up under the scheme in each State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) & (b) Yes, Sir. Four I.C.D.Ps. have been set up in the Central Sector. In addition, Government has encouraged setting up of 58 .C.D.Ps. in the State Sector. 622 Key Village Blocks have been set up in the State Sector. These schemes provide for approximately 9,000 artificial Insemination centres. Improvement of cattle breed has also been undertaken/encouraged through the following schemes :—

1. Progency Testing Projects.
2. Herd Registration Schemes.
3. Foreign Aided Central Breeding Projects which include Indo-Swiss Project in Kerala and Punjab, Indo-Danish Project at Hessarghatta, Bengalore, Indo-German Project at Mandi (Himachal Pradesh) and Almora (U.P.), Indo-Australian Project in Haryana and Assam and Frozen Semen Banks with the assistance of DANIDA.

The Intensive Cattle Development Project Schemes cover approximately 66.8 lakh cows/she buffaloes of breedable age. Approximately 5,500 high-yielding cows/buffaloes of Haryana, Gir, Kankerj, Murrah, Surti breeds have been registered under the Herd Registration Scheme. 1200 Exotic Cattle of various breeds have been imported and are being maintained for production and distribution of semen for artificial in semination. A cross breeding programme on an expanded scale is envisaged under the frozen semen scheme.

(c) Lists showing (Annexure-A) location of Intensive Cattle Development Projects and (Annexure-B) Progeny Testing Projects, Herd Recording Scheme and Frozen Semen Banks are enclosed. [Placed in library see L.T. No. 8705/74.] Information regarding exact location of Key Village Blocks in the States is being collected from the States and will be placed on the Table of the Sabha on receipt.

नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन सम्बन्धी नीति की समीक्षा

3651. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन सम्बन्धी नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये जाने हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) प्रो० निहार रंजन रे की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित पुनरीक्षण

समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रकाशन संबंधी कार्यकलापों की जांच की थी और उसके संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट विचाराधीन है।

इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा अतिरिक्त अनुदान के लिए अनुरोध

3652. **श्री एस० एम० मिश्र :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेरस ने केन्द्रीय सरकार से सपरु हाउस लाइब्रेरी में हुई हानि को पूरा करने के लिये अतिरिक्त अनुदान की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73, 1973-74 और वर्ष 1974 में अब तक इण्डियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेयरस को कितना अनुदान दिया गया है और कौंसिल ने कितनी अतिरिक्त अनुदान की मांग की है ;

(ग) लाइब्रेरी में कौंसिल को पुस्तकों से कितनी हानि हुई है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है, यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल द्वारा अपने कर्मचारियों, अपनी पुस्तकें तथा अन्य अध्ययन सामग्री को संयुक्त पुस्तकालय से वापिस लेने पर, भारतीय विश्वकार्य परिषद् ने इन कमियों को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है।

(ख) भारतीय विश्व-कार्य परिषद् द्वारा किए गए अनुरोध पर, संस्कृति विभाग ने वर्ष 1972-73 के दौरान भारतीय विश्व-कार्य परिषद् की 50,000 रुपये का भुगतान किया था। विदेश मंत्रालय द्वारा भी वर्ष 1972-73 के दौरान भारतीय विश्व-कार्य परिषद् को 50,000 रुपये का भुगतान किया गया था। परिषद ने संस्कृति विभाग को वर्ष 1973-74 से संबंधित पुस्तकालय के लिए 2.10 लाख रुपये के और बजट घाटे से सूचित किया तथा संस्कृति विभाग ने पुस्तकालय की आवश्यकताओं का विस्तृत पुनरीक्षण करने तक, 70,000 रुपये के तदर्थ अनुदान का भुगतान किया।

(ग) और (घ) भारतीय विश्व-कार्य परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार, पुस्तकालय से संयुक्त राष्ट्र संधि पत्र क्रम मालाओं के 630 पुस्तकों के गुम हो जाने के बारे में पुलिस प्राधिकारियों को 1972 में रिपोर्ट की गई थी । यह भी पता चला है कि बहुत सारी पुस्तकें केवल खो गई थीं और बाद में वे मिल गई थीं।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा

3653. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में लाल किले के बाहर नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस बारे में कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) लाल किले के सामने सुभाष पार्क में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की संयुक्त प्रतिमा (नेताजी आजाद हिन्द फौज के अन्य तीन सेनानी) लगाने के प्रस्ताव पर सही दिशा में कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह कार्य दिसम्बर, 1974 के अन्त तक अथवा जनवरी, 1975 के शुरू में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

चीनी के नये कारखानों की आर्थिक उपादेयता का अध्ययन करने क लिए समिति

3654. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के नये कारखानों की आर्थिक उपादेयता का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न किस्मों के प्रोत्साहनों की उपयुक्तता पर विचार करने के बाद समिति ने निम्न-लिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) प्रत्येक नयी चीनी फैक्ट्री द्वारा विशिष्ट मात्रा तक उत्पादित चीनी पर उत्पादन शुल्क में छूट प्रदान करना । समिति द्वारा अभिस्तावित फार्मूले के अनुसार इस मात्रा का प्रत्येक मामले में अन्दाजा लगाया जाएगा; और

(2) उपर्युक्त (1) में जिस मात्रा का अन्दाजा लगाया गया है उतनी मात्रा में चीनी पैदा करने के लिये अपेक्षित गन्ने पर क्रय कर का भुगतान करने में राज्य सरकारों द्वारा इसी प्रकार की छूट देना ।

समिति की सिफारिश (1) सरकार के विचाराधीन है और सिफारिश (2) को राज्य सरकारों के विचारार्थ भेजा गया है ।

मत्स्य उत्पादन

3655. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1973-74 के दौरान से मत्स्य उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में बहुत कमी रही थी; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) चौथी योजना (1973-74) में मत्स्य उत्पादन के लिए 19.7 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन इसकी तुलना में इस वर्ष 19.6 लाख मीटरी टन का लक्ष्य प्राप्त हुआ था । तथापि, मध्यावधि पुनरीक्षण करने और पांचवीं योजना का निरूपण करते समय यह महसूस किया गया था कि 1973-74

तक अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में केवल थोड़ी सी कमी रह गई है, यद्यपि अधिक उत्पादन प्राप्त की आशा पूरी नहीं हो सकी।

(ख) पांचवीं योजना के दौरान गहन समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों और यंत्र-चालित नौकाओं के प्रचलन परम्परागत मछली पकड़ने वाले क्षेत्र में सुधार और मछली पकड़ने के काम के विस्तार और उसमें तीव्रता लाने के लिए उत्पादन-उन्मुखी योजनाएं तेज करने का प्रस्ताव है।

राज्यों में सिंचाई परियोजनायें तथा बाढ़ नियन्त्रण परियोजनायें बनाना

3656. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ और सूखे के कारण विस्तृत कृषि योग्य भूमि पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने पांचवीं योजना अवधि में उन प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनायें तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें बनाने के लिये इन राज्यों में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1974 के दौरान बाढ़ों से 31.63 लाख हैक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ है। राज्यवार ब्यौरा उपाबंध-एक में दिया गया है।

राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1974 के दौरान सूखे से प्रभावित क्षेत्र से संबंधित ब्यौरा उपबंध-दो में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 8705/74]**

(ग) और (घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण राज्य योजनाओं का भाग है और इसलिए सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा का आयोजन और कार्यान्वयन राज्य, सरकारों का उत्तरदायित्व है। योजनाओं के दौरान राज्य सरकारों से धन की उपलब्धता के अनुसार, सिंचाई सुविधाओं और बाढ़ सुरक्षा की व्यवस्था करने हेतु उपाय किए हैं। चतुर्थ योजना के अंत तक वृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सभी राज्यों में 11.39 मिलियन हैक्टेयर को सिंचाई शक्यता निर्मित की जा चुकी थी। चतुर्थ योजना के अन्त तक इन परियोजनाओं पर कुल परिव्यय 2960 करोड़ रुपये था। पांचवीं योजना में, 2401 करोड़ रुपये का अनंतिम परिव्यय प्रस्तावित किया गया है और इस परिव्यय के साथ 6.2 मिलियन हैकटेयर की सिंचाई क्षमता के निर्माण होने की संभावना है।

चतुर्थ योजना के अन्त तक विभिन्न राज्यों में बाढ़ सुरक्षात्मक उपायों पर कुल परिव्यय 347 करोड़ रुपये है और इससे लगभग 77 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ प्राप्त हुआ है। बाढ़ सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था के लिये पांचवीं योजना में लगभग 18 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए 281 करोड़ रुपये का अनंतिम परिव्यय है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में भरे न गये रिक्त स्थान

3657. **श्री एम० कल्यामुत्तु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने रिक्त स्थान अभी भरे नहीं गये हैं; और

(ख) इन रिक्त स्थानों पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० नूरुल हसन): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना, जैसी कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई है, दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8706/74]**

विश्व भारती के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की शिकायतें

3658. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को विश्व भारती के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ से कुछ शिकायतों के बारे में पत्र मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या अक्तूबर, 1974 के शुरू में उपकुलपति का घेराव किया गया था ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० नूरुल हसन) : (क) और (ख) सितम्बर-अक्तूबर, 1974 में अध्यापक सभा, शिक्षा भवन छात्र सम्मेलन तथा विज्ञान संकाय के कुछ अध्यापकों और अनुसंधान अध्येताओं ने विश्वभारतीय के विजीटर को प्रत्यावेदन दिये थे जिनमें रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष के विरुद्ध दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था तथा उसे अध्यक्षता से हटाने की मांग की गई थी । विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने 11 अक्तूबर, 1974 को हुई अपनी आपात-कालीन बैठक में अध्यक्षता से उनके त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिया । परिषद ने उक्त आरोपों तथा विज्ञान संकाय के कार्यकलापों की जांच करने हेतु एक समिति गठित करने के लिए भी कुलपति को अधिकार दिया ।

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 5 अक्तूबर, के अपराह्न से 9 अक्तूबर की सुबह तक छात्रों द्वारा कुलपति का घेराव किया गया था ।

काश्मीर में भारतीय जल-विद्युत परियोजना के डिजाइन पर पाकिस्तान को आपत्ति

3659. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने काश्मीर में चेनाव नदी पर एक भारतीय जल विद्युत परियोजना के डिजाइन पर आपत्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (ख) पाकिस्तान ने चेनाव नदी पर प्रस्तावित जल विद्युत संयंत्र के अभिकल्प के कुछ पहलुओं के सिंधु की अपेक्षाओं के समनुरूप न होने का प्रश्न उठाया है । बहरहाल, भारत का दृष्टिकोण यह है कि प्रस्तावित संयंत्र का अभिकल्प संधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है ।

फार्म-सैक्टर को संस्थागत ऋण देने में वृद्धि

3660. **श्री एम० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में फार्म सैक्टर को संस्थागत ऋण की कुल राशि में पर्याप्त वृद्धि हुई है और साथ ही ऋणों के भुगतान की बकाया राशि की प्रतिशतता में भी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना के आरम्भ तथा अन्त में कुल कितना ऋण मंजूर किया गया और ऋण की कितनी अदायगी शेष रही तथा कितनी राशि वसूल हुई; और

(ग) ऋणों की अदायगी के रूप में बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र की संस्थाओं से मिले कुल ऋण में वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 1973-74 के अन्त तक दिए तथा वसूल किए गए कुल ऋण के निश्चित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1969-70 और 1972-73 के अन्त के तुलनात्मक आंकड़ों से यह पता चलता है कि अल्प तथा मध्यकालीन सहकारी ऋण के मामले में बकायों में अतिदेयों के प्रतिशत में कमी हुई, किन्तु सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा दिए गए दीर्घकालीन ऋण के मामले में अतिदेयों के प्रतिशत में वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सीधे दिए गए कृषि संबंधी अग्रिमों के मामले में 30 जून, 1973 को अतिदेय 50.2 प्रतिशत थे।

(ग) जहां तक सहकारी क्षेत्र का संबंध है, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे वसूली के लिए वातावरण सुधारें, जानबूझकर बने बाकीदारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें, बैंकों और सोसायटियों की ऋणदायी नीतियों तथा पद्धतियों को सरल तथा कारगर बनायें और सहकारी ऋण ढांचे को पुनर्गठित तथा पुनर्जीवित करें। जहां तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का संबंध है, ये बैंक कर्जदारों से मिलते हैं और उन्हें ऋण की वापसी-अदायगी करने के लिए राजी करते हैं। इन उपायों के असफल होने पर बैंकों के पास बंधक/गिरवी रखी ठोस परिसम्पत्तियों में से ऋणों को वसूल करने के लिए कानूनी कार्यवाही की जाती है। बैंक अपने ढांचे को भी पुनर्गठित कर रहे हैं और कुशल अनुवर्ती उपाय अपना रहे हैं, ताकि इस बारे में अच्छी तरह निगरानी रखी जा सके कि जिस प्रयोजन के लिए ऋण दिया गया है उसका उपयोग उसी के लिये किया जाये। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये हैं, जिनमें और अधिक वास्तविक ढंग से वापसी-अदायगी की समय-सूचियां निर्धारित की गई हैं। इन सभी उपायों से वापसी-अदायगी की स्थिति में सुधार होने की आशा है।

Directors of State Farms Corporation

3661. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the number of Directors in the State Farms Corporation of India and also their names and educational qualifications ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel): The Board of Directors of the State Farms Corporation of India has at present only five Directors and the statement enclosed gives the details of educational qualifications and other relevant particulars.

Statement

Statement giving information with regard to the names and educational qualifications of the Directors of the Corporation i.e. the Members of the Board of Directors of the State Farms Corporation :

	Name		Educational Qualifications and Other relevant particulars.
1	Shri M.R. Krishna	Part-time Chairman	Member Rajya Sabha, was formerly a Union Deputy Minister for Defence and Industrial Development.
2.	Miss Anna R. George	Part-time Official Director	She is an I.A.S. Officer and has been appointed as representative of the Department of Agriculture by virtue of her being a Joint Secretary in the Ministry of Agriculture.
3.	Dr. G.S. Kalkat	Part-time Official Director	He is Ph. D. in Agriculture and holds appointment of Agriculture Commissioner in the Union Ministry of Agriculture.
4.	Shri M.L. Widhani	Part-time Official Director	He is Director, Internal Finance in the Ministry and was nominated as representative of the Government consequent on the withdrawal of the representative of Ministry of Finance from the Board of Directors of the Corporation.
5.	Shri P.S. Habeeb Mohamed	Managing Director Full-time	He is B.A. (Hons.), English Literature, with First Class First Degree from the University of Kerala. He is I.A.S. Officer and has held a number of senior appointments in the Government of Orissa as well as Chairmanship of various cash crops Boards and Export Councils ef Union Ministry of Commerce as well as of the State Corporation and Companies. He was Divisional Revenue Commissioner at the time of his joining the Corporation.

उत्पादकों से फालतू चावल तथा धान मंगवाया जाना

3662. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने उत्पादकों से फालतू चावल तथा धान मंगवाने के लिए अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कोई अधिसूचना जारी की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) अन्य किन राज्यों ने ऐसे कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश के छतीसगढ़ में नई फसल प्रणाली

3663. श्री **भागीरथ भंवर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार अधिक उपज कार्यक्रम के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में फसल प्रणाली में संशोधन करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां खेती में मशीनीकरण आरम्भ करने का भी विचार है; और

(ग) मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सूखा से नष्ट हुई फसल के लिये किसानों को मुआवजा देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री(श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) भारत सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है। परन्तु 1974-75 के दौरान (30-11-74 तक) बीज, उर्वरक और कृमिनाशी औषधि आदि आदानों का खरीद के लिये मध्य प्रदेश सरकार के लिये अल्प-कालीन ऋण के तौर पर 3.30 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

गोआ के लिए चीनी का अधिक कोटा

3664. **श्री पुरुषोत्तम काकोडर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ ने केन्द्र से चीनी का अधिक कोटा मांगा है ;

(ख) क्या केन्द्र ने अधिक कोटा भेज दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए लेवी चीनी का मूल कोटा 1971 की जनगणना में दर्ज जनसंख्या के आंकड़ों और चीनी की खपत के पिछले प्रतिमान को ध्यान में रखकर यक्तियुक्त आधार पर निर्धारित किया गया है । तथापि, वास्तविक मासिक आबंटनों में प्रत्येक मास के लिये लेवी चीनी की कुल निर्मुक्ति के अनुपात में मामूली समायोजन किया जाता है । चीनी की सीमित उपलब्धता और अधिक से अधिक निर्यात करने की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए, गोआ प्रशासन के अनुरोध को मानना सम्भव नहीं हुआ है।

गोआ में पांचवीं योजना के दौरान बेकार पड़ी भूमि को खेती के लिए उपयोगी बनाने हेतु धनराशि

3665. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र बेकार पड़ा है जिसे खेती के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है; और

(ख) क्या बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये पांचवीं योजना के दौरान गोआ को कोई धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पांचवीं योजना में गोआ में सिंचाई सुविधाओं हेतु बड़ी-बड़ी तथा मध्यम स्तरीय सिंचाई योजनायें

3666. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में गोआ को सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिये कितनी बड़ी तथा मध्यम स्तरीय सिंचाई योजनायें हैं ;

(ख) इन योजनाओं से कितना अतिरिक्त क्षेत्र लाभान्वित होगा; और

(ग) राज्य के पिछड़े जिलों में कितनी सिंचाई योजनाएं आरम्भ की जायेंगी तथा इनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) निर्माण की जा रही दोनों परियोजनाएं, एक बृहत् सिंचाई परियोजना, सलौली और गुजरात तथा दादरानगर हवेली के साथ एक संयुक्त परियोजना-दमनगंगा, पांचवीं योजना में जारी रहेगी । इसके अतिरिक्त, दो नई वृहत् परियोजनाएं नामशः तिल्लारी और दूधसागर, योजनावधि में आरंभ की जानी प्रस्तावित हैं ।

(ख) पांचवीं योजनावधि में इन स्कीमों से 3700 हैक्टेयर शक्यता का निर्माण होने की आशा है ।

(ग) पांचवीं योजनावधि में इन चारों बृहत् सिंचाई स्कीमों से इस संघ राज्य क्षेत्र के पिछड़े जिलों को लाभ प्राप्त होगा ।

गोआ को पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में सिंचाई सुविधायें

3667. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या गोआ को पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में प्रदान की जाने वाली सिंचाई सुविधायें की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1974-75 के लिए बृहत् और मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिये 179.5 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । बहरहाल, इस वर्ष में किसी सिंचाई शक्यता के निर्मित होने की संभावना नहीं है ।

Fertiliser Consumption in M.P. for Rabi and Kharif U.P.

3668. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the rate of fertiliser consumption in Madhya Pradesh has been the highest in the country ;

(b) whether application to Madhya Pradesh of 17 per cent and 22 per cent formula in respect of the targets of kharif and rabi crops respectively is applied to other States will not be to the advantage of this State; and

(c) whether, in view of this fact, Government propose to exempt Madhya Pradesh from the applicability of this formula?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) No Sir, the rate of increase of fertiliser consumption in the State of M.P., is not the highest in the country.

(b) As from 1974—75, the fertiliser requirements of all the States, including those of Madhya Pardesh, are being assessed on the basis of the production linkage method which is based on the levels of fertiliser applications achieved in the past and the agricultural production programmes of the State for the season for which the requirements are being assessed. Fertiliser requirements of the States are no longer being assessed on the basis of the formula according to which requirements of fertilisers of a State were assessed by certain percentage increase over the consumption of the previous season.

(c) Does not arise.

Central Foreign Cattle Breeding farm in M.P.

3669. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculure and Irrigation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6768 on the 15th April, 1974 regarding Central foreign breeding farm in Madhya Pradesh and state:

(a) Whether a final decision has been taken in regard to setting up of a Central Foreign Breeding Farm in Madhya Pradesh; and

(b) the name of the place where it is proposed to be set up and the time when it is likely to be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) No, Sir.

(b) The Government of Madhya Pradesh have offered the site at Bhadbeda Dairy Estate, Bhopal for the Exotic Cattle Breeding Farm. The proposal is under consideration of the Ministry of Agriculture & Irrigation.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक सर्किल के अन्तर्गत डिवीजन

3670. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक सर्किल में कितने और कौन-कौन से डिवीजन हैं;

(ख) प्रत्येक डिवीजन के अन्तर्गत सब-डिवीजन मुख्यालयों के सहित कितने और कौन से सब-डिवीजन हैं; और

(ग) प्रत्येक सब-डिवीजन के अन्तर्गत सैक्शनल मुख्यालयों सहित कितने और कौन-कौन से सैक्शन्ज हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में बेकार पड़ी भूमि के क्षेत्र का कृषि के लिए प्रयोग

3671. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र बेकार पड़ा है जिसे खेती के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में नई फसल प्रणाली

3672. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार से नई फसल प्रणाली का प्रयोग करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार के क्या विचार हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान में पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में सिंचाई सुविधायें

3673. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य को पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में दी जाने वाली सिंचाई सुविधाओं संबंधी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सिंचाई राज्य विषय है तथा सिंचाई स्कीमों की कार्यान्विति राज्य सरकारों द्वारा उनकी विकासात्मक योजनाओं के अन्तर्गत की जाती है । राजस्थान की 1974-75 के लिये वार्षिक योजना में सिंचाई स्कीमों के लिए 20.52 करोड़ रुपये का परिव्यय परिकल्पित है जिसमें बृहत् और मध्यम स्कीमों के लिये 18.37 करोड़ रुपये तथा लघु स्कीमों के लिये 2.15 करोड़ रुपये है। 1.45 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई शक्यता का लक्ष्य रखा गया है ।

राजस्थान में पांचवीं योजना में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं

3674. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में राजस्थान को सिंचाई सुविधायें प्रदान करने वाली बड़ी तथा मध्यम स्तर की कितनी सिंचाई योजनायें हैं ;

(ख) ऐसी योजनाओं से कितना अतिरिक्त क्षेत्र लाभांन्वित हो सकेगा; और

(ग) राज्य के पिछड़े जिलों में कितनी सिंचाई योजनायें आरम्भ की जायेंगी तथा इनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) राजस्थान में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हाथ में ली जाने वाली बृहत् और मध्यम स्कीमों के ब्यौरे को

अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, 410 हजार हैक्टेयर को अतिरिक्त शक्यता का निर्माण करने के लिये इन स्कीमों के वास्ते पांचवीं योजना में अनन्तिम परिव्यय 133.95 करोड़ रुपये होने की संभावना है। नई परियोजनाओं का चयन करने में सूखा प्रभावित, आदिम जाति तथा पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है।

कालिज चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए प्रत्याशियों का चयन करने हेतु मापदण्ड

3675. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली कालिजों में कला विषयों के प्राध्यापक पद के लिये प्रत्याशियों को साक्षात्कार पत्र विश्वविद्यालय में विषय विशेष के विभागाध्यक्ष द्वारा दिये जाते हैं ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों को कालिज चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिये भेजने हेतु प्रत्याशियों का चयन करने में किसी स्वीकृत मापदंड का पालन करना होता है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई नियम बनाने गये हैं तो वर्तमान नियम क्या हैं और इन नियमों को कब से लागू किया गया ; और

(घ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में ही उसी कालिज अथवा किसी अन्य कालिज में उसी विषय में अस्थायी अथवा अंशकालिक प्राध्यापक का पूर्व अनुभव रखने वाले प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उम्मीदवारों को साक्षात्कार (इंटरव्यू) हेतु चयन करने के लिये कोई मानदण्ड अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं। इस मामले पर विचार करने के लिये कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशें विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं।

दिल्ली "ग्रीन बैल्ट योजना"

3676. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में "ग्रीन बैल्ट" योजना के बारे में नवीनतम प्रगति क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : बृहत् योजना के अनुसार, 1981 की नगरीकरण सीमाओं के आस-पास लगभग एक मील तक "कृषि सम्बन्धी हरित क्षेत्र" की व्यवस्था की गई है। यह धारणा अभी भी है।

देहरा कोआपेरेटिव मार्केटिंग सोसायटी हिमाचल प्रदेश को भारतीय खाद्य निगम पर राज सहायता की देय राशि

3677. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम से हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलने वाली राज सहायता रोक दिये जाने के कारण देहरा कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी ने कांगड़ा जिले की देहरा तहसील के लोगों को चीनी की बिक्री तथा सफाई बन्द कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम से उक्त सोसायटी को राज सहायता की राशि दिलाने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) सरकार को कांगड़ा जिला में देहरा तहसील के लोगों को देहरा सहकारी विपणन सोसायटी द्वारा चीनी की बिक्री और सप्लाई बन्द करने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने प्रतिपूर्ति के हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य दावों का निपटारा कर दिया है, जोकि देश भर में समान खुदरा मूल्य पर लेवी चीनी के वितरण की योजना के परिचालन से उत्पन्न हुए थे। न्यायालयों के अन्तरिम आदेशों के अधीन कुछेक चीनी मिलों को उनकी रिट याचिकाओं पर निर्णय होने तक अधिसूचित मूल्यों से अपेक्षाकृत ऊंचा मूल्य वसूल करने की इजाजत दी गई थी, इन ऊंचे मूल्यों के कारण राज्य सरकार के दावों पर भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के परामर्श से विचार कर रहा है।

उड़ीसा में बेकार पड़ी भूमि का क्षेत्र तथा पांचवीं योजना में उस के प्रयोग के लिए धनराशि

3678. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में बेकार पड़ी भूमि का ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कृषि प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है ;

(ख) क्या पांचवीं योजना में उड़ीसा को कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में लगभग 7.71 लाख हैक्टार कृषि योग्य बेकार भूमि है।

(ख) तथा (ग) पांचवीं योजना के दौरान कोरापुट तथा गंजम जिलों में आदिवासी विकास एजेन्सी के क्षेत्र में भूमि सुधार कार्य प्रारम्भ करने के लिये 56.60 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संसहत क्षेत्रों में अम्लीय भूमि के सुधार सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में लाइम/फास्फेटयुक्त खाद का उपयोग करने से 0.30 लाख हैक्टार अम्लीय भूमि का सुधार करने का प्रस्ताव है। चुने गये क्षेत्रों में लाइम के उपयोग को बढ़ाने के लिए कृषकों को 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देकर लाइम की सप्लाई करने का विचार है। इसके अतिरिक्त पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में इस योजना के क्रियान्वयन के लिये 73 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में नई फसल पद्धति

3679. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य से नई फसल पद्धति का उपयोग करने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में अध्यापकों के वेतनमान

3680. **श्री वेकारिया :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अध्यापकों के विभिन्न वर्गों के वर्तमान वेतनमानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्कूल अध्यापकों के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को गुजरात राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण में तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) गुजरात में स्कूल के अध्यापकों के वेतनमानों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8707/74]**

(ख) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें गुजरात के स्कूल के अध्यापकों पर लागू नहीं होते हैं

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

उड़ीसा में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में सिंचाई सुविधायें

3681. **श्री के० गंगादेव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उड़ीसा राज्य में प्रारम्भ की जाने वाली सिंचाई सुविधाओं के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) जी हां।

(ख) 1974-75 वर्ष के लिए सिंचाई क्षेत्र में स्वीकृत परिव्यय 14.00 करोड़ रुपये है। इस वर्ष के दौरान बृहत मध्यम और लघु स्कीमों से 1.07 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई शक्यता के निर्माण होने की संभावना है।

उड़ीसा में पांचवीं योजना अवधि के दौरान बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं

3682. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पांचवीं योजना के दौरान सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने वाली बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस प्रकार की योजनाओं से कितने अतिरिक्त क्षेत्र को लाभ होगा; और

(ग) उक्त राज्य के पिछड़े जिलों में प्रारंभ की जाने वाली सिंचाई योजनाओं की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) उड़ीसा में पहले से निर्माण की जा रही 3 बृहत् तथा 12 मध्यम परियोजनाएं पांचवीं योजना में जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने योजनावधि में 9 नई मध्यम परियोजनाओं को हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है।

(ख) पांचवीं योजना में निर्मित की जाने वाली प्रत्याशित अतिरिक्त सिंचाई शक्यता 2.40 हैक्टेयर होगी।

(ग) पांचवीं योजना में सम्मिलित परियोजनाओं में से 2 बृहत् तथा 20 मध्यम परियोजनाएं जिनके ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं, राज्य के पिछड़े जिलों में है :—

क्रमांक	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिला	सिंचाई लाभ (हजार है० में)
1	2	3	4
	बृहत		
1.	आनन्दपुर बराज	कियोझर	61.51
2.	सालन्दी	बालासौर	61.90
	मध्यम		
1.	औंग	बालासौर	24.69
2.	दादरा घाटी	धनकनाल	4.11
3.	दारजंग	—वही—	9.71
4.	अनली	—वही—	5.16
5.	घोडाहाडे	गंजम	7.41
6.	बगुआ	—वही—	4.05
7.	रामनदी चरण-एक	—वही—	1.32
8.	दाहा	—वही—	5.59
9.	उत्तई	कालाहांडी	11.33
10.	सुन्दर	—वही—	4.23
11.	नोरला	—वही—	1.92
12.	रेमल	कियोंझर	5.26
13.	कालो	मयूरगंज	5.58
14.	सुनई	—वही—	9.96
15.	नेसा	—वही—	1.02
16.	खड़कई	—वही—	8.98
17.	पिलासत्को	फूलचनी	3.74
18.	पितमहल	सुन्दरगढ़	4.86
19.	सैपाला	सम्पलपुर	3.15
20.	दुमेरवहल	—वही—	4.25

दिल्ली में निर्माण-स्थलों के निकट सब-डिविजनल कार्यालयों की स्थापना

3683. **श्री भोला माझी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की यह नीति है कि दिल्ली में अपने क्षेत्राधिकार के अधीन निर्माण-स्थलों के निकट सब-डिवीजनल कार्यालयों की स्थापना की जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या बागबानी निदेशालय में इस नीति को क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) निर्माण उप-मण्डलों का स्थान निर्धारण सामान्यतया, कार्य-स्थल के समीप किया जाता है, लेकिन दिल्ली में, अनुरक्षण उप-मण्डल सामान्यतया, मण्डल-कार्यालयों के निकट बनाये जाते हैं । कार्यालयों का स्थान निर्धारण करना एक नीति-विषयक मामला नहीं है बल्कि प्रशासनिक सुविधाओं, कार्य के स्वरूप, अन्य कार्यालयों के साथ सम्पर्क की आवश्यकता, भवनों की उपलब्धता आदि का ध्यान रखा जाता है ।

(ख) तथा (ग) उद्यान कार्य उप-मण्डल स्वतंत्र कार्यालय के रूप में कार्य नहीं करते, बल्कि मण्डल कार्यालय के एक अंग के रूप में कार्य करते हैं । तथापि, उप-मण्डलीय अधिकारी, कार्यों पर उपयुक्त नियंत्रण रखने के लिये स्थल का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण अवश्य करते हैं ।

आकाशवाणी में प्रतिनियुक्ति पर तैनात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

3684. **श्री भोला माझी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में आकाशवाणी में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रेडियो स्टेशन पर प्रत्येक पद की श्रेणी के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और किन किन डिवीजनों से ये कर्मचारी भेजे गये हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों की भविष्य निधि की अंशदान-राशि तत्संबंधी उनकी डिवीजनों में जमा की जा रही है और प्रत्येक कर्मचारी की अंशदान-राशि संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों द्वारा प्रदर्शन तथा धरना

3685. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री 25 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 602 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय के नये सचिव, जूनियर इंजीनियरों (डिप्लोमा और डिग्रीधारी) की कठिनाइयों का पता लगाने के लिये उनके दो समूहों से मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) जी, हां। श्रेणी III के स्तर के पदों तथा योग्यताओं के गठन के बारे में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

जूनियर इंजीनियरों के लिए पदोन्नति के अवसरों की कमी को समाप्त करना

3686. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों के लिये पदोन्नति के अवसरों की कमी को समाप्त करने की दृष्टि से द्वितीय श्रेणी के 50 प्रतिशत राजपत्रित पदों पर सहायक इंजीनियरों की सीधी भर्ती 7 वर्ष के लिये रोक दी गई है ;

(ख) क्या वर्ष 1971 तक श्रेणी II के सहायक इंजीनियरों के रिक्त पदों पर बराबर-बराबर की संख्या में डिग्री और डिप्लोमा धारी जूनियर इंजीनियर नियुक्त किये जाते रहे हैं ;

(ग) क्या द्वितीय श्रेणी पदों के 75 प्रतिशत रिक्त स्थान इंजीनियरी स्नातकों द्वारा भरे जा रहे हैं और क्या वर्ष 1972 से सभी पदोन्नतियां जूनियर इंजीनियरों की सामान्य वरिष्ठता सूची में से की जाती है; और

(घ) श्रेणी II (सिविल और इलैक्ट्रीकल) पदों के 100 प्रतिशत रिक्त स्थानों पर अब प्रस्तावित सामान्य वरिष्ठता से पदोन्नत किये जाने वाले डिग्री और डिप्लोमाधारी इंजीनियरों का अनुपात क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, हां। सीधी भर्ती को निलम्बित करने का एक कारण कनिष्ठ इंजीनियरों के पदोन्नति के अवसरों में सुधार करना था।

(ख) जी, हां; परन्तु केवल पदोन्नति कोटे की रिक्तियों को इस प्रकार विभाजित किया जाता था।

(ग) जी, हां, सीधी भर्ती के पदों पर विचार करने के पश्चात् जो रिक्तियों का 50 प्रतिशत था।

(घ) दोनों ग्रुपों के लिये किसी निश्चित अनुपात में नियुक्ति निर्धारित करने के सरकार के प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं उठता है, परन्तु बिना कोटा निश्चित किए वरिष्ठता के आधार पर 1972 से की गई पदोन्नतियां जो स्नातकों को दी गई उन रिक्तियों की प्रतिशतता 6 प्रतिशत बनती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इंजीनियरी स्नातकों की नियुक्ति के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश

3687. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि जिन पदों के लिये केवल इंजीनियरी डिप्लोमा की आवश्यकता होती है, उन पदों पर इंजीनियरी स्नातकों की नियुक्ति स्नातकों की योग्यता का न्यून-उपयोग है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के पद के नियुक्ति-पत्र तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट स्वीकार हो जाने के बावजूद भी इंजीनियरी स्नातकों को 425-700 रुपये के वेतनमान में भेजे जाते हैं और उन्हें छः अग्रिम वेतन-वृद्धियां भी नहीं दी जाती, जो उन्हें अब तक मिलती रही हैं; और

(ग) क्या देश के सब से बड़े इंजीनियरी संगठन की इंजीनियरी स्नातकों को खपाने की कोई योजना है; जिससे देश के लिये उनका लाभप्रद उपयोग हो सके ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) जी हां। किन्तु स्नातक इंजीनियरों को 6 अग्रिम वेतन वृद्धि देकर कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में काम करने को प्रोत्साहन देकर भर्ती करने के सरकार के इस जागरूक प्रयत्न के संबन्ध में तृतीय वेतन आयोग ने अपना अभिमत प्रकट किया था। यह प्रणाली अब छोड़ दी गई है।

कनिष्ठ इंजीनियरों की भर्ती अखिल भारतीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के जरिये की जाती है जिसके लिये न्यूनतम योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित की गई है। तथापि, प्रोत्साहन को वापस लिये जाने पर भी यदि स्नातक इंजीनियर इस पद के लिये आवेदन देते हैं तो सरकार उनको परीक्षा में बैठने अथवा उनका चयन करने से उनको इन्कार नहीं कर सकती है क्योंकि उसी क्षेत्र में उच्चतर योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्त के लिये न्यूनतम योग्यता बाधा नहीं है। :

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उच्चतर श्रेणी की सेवाओं तथा पदों पर इंजीनियरी स्नातकों को भर्ती करता है। उनको तृतीय श्रेणी में एक उचित स्तर पर नियुक्त करने के लिये एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से गोबर गैस संयंत्रों के लिए सहायता

3688. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना के लिये केन्द्र सरकार की सहायता करने में रुचि दिखाई है, जिससे किसानों को सरल उर्वरक और ईंधन प्राप्त हो सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) जी हां।

(ख) सरकार ऐसी सहायता का स्वागत करती है और उसने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु पहले सलाहकारों की सेवाएं प्राप्त करने के लिये इस विषय में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से सम्पर्क स्थापित किया है।

वसन्त विहार नई दिल्ली में एक भूखंड के उप-पट्टे को समाप्त करना

3689. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 19 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2850 के उत्तर के संबंध में वसंत बिहार, नई दिल्ली में प्लाटों का उप-पट्टा समाप्त करने के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7200 रुपये का हरजाना किन आधारों पर लगाया गया है और यह किस अवधि के लिए है ;

(ख) क्या उक्त राशि इस बीच वसूल कर ली गई है;

(ग) क्या मूल मांग नोटिस अप्रैल से अगस्त, 1973 तक की अवधि के लिये 14,760 रु० का था; यदि हां, तो राशि में इतनी अधिक कटौती किन परिस्थितियों में की गई है; और

(घ) दिल्ली नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर के प्रयोजन से सम्पत्ति का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) सम्पदा अधिकारी के आदेशों के अनुसार 1-4-73 से 31-8-1973 तक की अवधि के लिये।

(ख) जी नहीं।

(ग) मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(घ) 8,640 रुपये 15-1-1972 से प्रभावी।

सरकारी फ्लैटों में आगे किराये पर देने की व्यवस्था और किरायेदारों का रखा जाना

3690. **श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिकारियों को अलाट किये गये फ्लैटों में आगे किराये पर देने की व्यवस्था और किरायेदार रखे जाने के बारे में शिकायतें की गई हैं और समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं; और

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) पात्र श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को सरकारी वास में साथ रखना अनुमेय है तथा इस प्रकार साथ रहने के लिये कोई अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है। तथापि, अनधिकृत व्यक्तियों को साथ रखने तथा मकान को पूर्णरूपेण उप-किरायेदारी पर देने की अनुमति नहीं है। इस बारे में प्राप्त हुई व्यक्तिगत शिकायतों की जांच की जाती है तथा दोषी पाए गए सरकारी कर्मचारियों को जुर्माना किया जाता है। सामान्य पूल वास को बड़ी संख्या में उप-किरायेदारी पर देने के बारे में हुई कोई गंभीर आलोचना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विधानों में संशोधन

3691. **श्री डी० बी० चंद्रगौडा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति**, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालय के वर्तमान विधानों में व्यापक रूप से संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम को 197[illegible] शोधित किया जा चुका है। दिल्ली

विश्वविद्यालय अधिनियम को संशोधित करने का विधेयक संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम को संशोधित करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है। विश्वविद्यालय को विकसित करने के लिये रूपरेखाएं निर्धारित करने और विश्वविद्यालय अधिनियम को संशोधित करने के लिये मार्गदर्शी रूपरेखाओं की सिफारिश करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर विश्वभारती अधिनियम को संशोधित करने का कार्य भी हाथ में लिया जाएगा ।

दिल्ली में बनस्पति घी के थोक व्यापार को अधिकार में लिया जाना

3692. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने वनस्पति घी के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वनस्पति घी के वितरण का कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया हैं तथा कार्डधारियों को कितना वनस्पति घी दिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित चीनी के कोटे में वृद्धि

3693. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित चीनी के कोटे को दुगुना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब में बेरोजगार कृषि स्नातक

3694. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में बेरोजगार कृषि स्नातकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या आत्म-नियोजन के लिये उन्हें कोई प्रोत्साहन दिये गये हैं; और

(ग) क्या उन्हें उर्वरकों की एजेंसियां भी दी गई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, 30-6-1974 को पंजाब के रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर में 5 स्नातकोत्तर व्यक्तियों सहित रोजगार के इच्छुक 163 कृषि स्नातक थे ।

(ख) तथा (ग) कृषि विभाग ने इंजीनियरों, कृषि स्नातकों, डिप्लोमाधारियों आदि को आत्म नियोजन का अवसर देने के लिये कृषि सेवा केन्द्रों संबंधी एक योजना स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के अन्तर्गत पंजाब में 31-8-1974 तक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करने में 15 कृषि स्नातकों की सहायता की गई है। राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों और उनको दी गई उर्वरक एजेंसियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Encouragement to States for land Acquisition

3695. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the number of families in the country affected by the Land Ceiling Acts and the acreage of land acquired thereunder in different States, State-wise;

(b) whether Central Government propose to give some encouragement to the States showing special interest in this regard ; and

(c) if so, the nature thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) Since returns of surplus land are collected holding-wise, there is no ready way of knowing how many natural families are affected by the implementation of the newly revised Land Ceiling Acts. It is too early to say how many Land-holders will be affected, since the returns filed are still under scrutiny. As a result of the implementation of the revised Land Ceiling Acts, surplus land has been acquired as follows:—

	Name of State	*Extent of land acquired*
(*a*)	Kerala	13,415 acres.
(*b*)	Tamilnadu	23,659 ,,
(*c*)	Uttar Pradesh	3 ,,
(*d*)	West Bengal	21,557 ,,

(b) & (c) A scheme for providing short-term inputs assistance and investment support to the beneficiaries of surplus land is under preparation. This contemplates allocation of funds to the States in proportion to the extent of land acquired and distributed amongst eligible categories of persons.

दिल्ली क्लाथ मिल द्वारा वर्ष 1973-74 में वनस्पति घी के डिब्बों का उत्पादन

3696. **श्री लाल जी भाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्लाथ मिल्स को रथ के बड़े डिब्बों की तुलना में एक किलोग्राम के डिब्बे के उत्पादन पर अधिक लाभ होता है ;

(ख) क्या वह अधिकांशत: एक किलोग्राम के डिब्बों का उत्पादन और बिक्री करते हैं जबकि लोगों को कमी की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) वर्ष 1973 में और 30 सितम्बर, 1974 तक एक किलोग्राम के कितने डिब्बों का उत्पादन तथा बिक्री की गई ;

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित अवधि में 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 16 किलोग्राम के डिब्बों का कितनी संख्या में उत्पादन तथा बिक्री हुई; और

(ङ) दिल्ली क्लाथ मिल को लाभ कमाने की ऐसे तरीकों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) पैक-आधार का विचार किए बिना वनस्पति के नियंत्रित मूल्य के लिये सुलभ किया गया लाभांश वही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग)		डिब्बों की संख्या (लाखों में)
1973	उत्पादित	23.71
	बेचे गए	24.23
1974	उत्पादित	8.58
(सितम्बर तक)	बेचे गए	8.58

(घ)		डिब्बों की संख्या (लाख में)		
		2 कि०ग्रा०	4 कि० ग्रा०	16.5 कि० ग्राम
1973	उत्पादित	43.75	24.57	12.72
	बेचे गए	43.84	25.17	13.04
1974	उत्पादित	17.99	6.69	1.31
(सितम्बर तक)	बेचे गए	17.96	6.79	1.41

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनाज के थोक व्यापारियों द्वारा लेवी दिया जाना

3697. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री थोक व्यापारियों द्वारा पचास प्रतिशत गेहूं सरकार को देने के बारे में 5 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 1494 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि थोक व्यापारियों द्वारा दिए गेहूं राज्यवार 50 प्रतिशत लेवी के आंकड़े क्या हैं, और दोषी थोक व्यापारियों के विरुद्ध क्या विशेष कार्यवाही की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : रबी विपणन मौसम 1974-75 में 30-11-74 तक थोक व्यापारियों द्वारा दिए गए 50 प्रतिशत लेवी गेहूं के राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	(हजार मीटरी टन में)
1. हरियाणा	232.6
2. मध्य प्रदेश	8.7
3. पंजाब	1006.7
4. राजस्थान	22.6
5. उत्तर प्रदेश	57.6
6. अन्य	2.1
जोड़	1330.3

बताया जाता है कि किसी भी थोक व्यापारी ने 50 प्रतिशत लेवी के कारण सरकार को गेहूं देने में कोई चूक नहीं की है ।

खंडवा (मध्य प्रदेश) में गहन ढोर विकास कार्यक्रम

3698. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस आधार पर वर्ष 1973-74 में सरकारी क्षेत्र में गहन ढोर विकास कार्यक्रम आरम्भ किया था कि आगामी वर्षों में केन्द्रीय सरकार इसको चलायेगी;

(ख) क्या इस सरकारी क्षेत्र के गहन ढोर विकास कार्यक्रम के लिये 15.92 लाख रु० का एक प्रस्ताव दिसम्बर, 1973 में सरकार को प्रस्तुत किया गया था परन्तु केन्द्रीय सरकार से इसके अनुमोदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का कब अनुमोदन करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भिन्ड और मुरैना, मध्य प्रदेश में कृषि मंडियां स्थापित करना

3699. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में भिंड और मुरैना में कृषि मंडियां स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रूई निगम और मध्य प्रदेश विपणन निगम का भी वहां पर अपनी शाखाएं खोलने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सम्पर्क सड़कें बनाने के लिये कोई सहायता देने का है; और

(घ) क्या प्रस्तावित सम्पर्क सड़कें बनाने के स्थान निश्चित कर लिये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और जितनी जल्दी से जल्दी संभव होगा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश के लिए 'रिंडरपेस्ट टिशु कल्चर वैक्सीन' सम्बन्धी योजना

3700. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बायोलाजिकल प्राडक्ट्स इंस्टिट्यूट, मऊ (मध्य प्रदेश) में 'रिंडरपेस्ट टिशु कल्चर वैक्सीन' के उत्पादन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) मध्य प्रदेश के पशु-चिकित्सा सेवाओं के निदेशक ने पांचवीं योजना की अवधि में इंस्टिट्यूट आफ बायोलाजिकल प्राडक्ट्स,

मऊ का विस्तार करने तथा उसको मजबूत बनाने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। इन प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ उस संस्थान में टिशु कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन की तैयारी का प्रस्ताव भी शामिल है।

(ख) मऊ सहित सब राज्यों के बायोलाजिकल प्राडक्टस स्टेशनों का विस्तार करने तथा उनको मजबूत बनाने की योजना पर भारत सरकार विचार कर रही है, ताकि ऐसी परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता दी जा सके।

दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समिति बनाने पर प्रतिबन्ध

3701. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समिति बनाने के बारे में अगस्त, 1967 के पश्चात् कोई कानूनी प्रतिबन्ध अथवा रोक लगाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी कानूनी उपबन्ध क्या हैं;

(ख) क्या रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दिल्ली द्वारा दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली के अगस्त, 1967 से पूर्व और अगस्त, 1967 के पश्चात् बने सदस्यों के बीच भेदभाव किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारी उपाय करने का विचार है?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) दिल्ली में भूमि की कमी के कारण, सभी सहकारी समितियों को 4 अगस्त, 1967 को यह प्रशासनिक हिदायतें जारी कर दी गई थी कि उस दिन से पूर्व उनके द्वारा भेजी गई सदस्यों की सूची को प्लाटों के आवंटन हेतु अन्तिम समझा जायेगा तथा उस सूची में, दिल्ली प्रशासन की लिखित रूप में दी गई पूर्व अनुमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उर्वरक बनाने में नीम का योगदान

3702. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री आर०वी० स्वामीनाथन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने यह अनुसंधान किया है कि यदि यूरिया को कोल्टार के घोल से साफ करके और नीम के पाउडर के साथ मिलाकर के उसका प्रयोग किया जाए तो कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इससे उर्वरक की कितनी बचत हो सकती है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में 1970-73 के दौरान धान की सिंचित फसल में किये गये अनुसंधान कार्य से पता चला है कि कोल्तार के घोल से यूरिया का उपचार करने पर दाने की उपज फी हैक्टेयर 35 क्विंटल से बढ़ कर 43 क्विंटल फी हैक्टर हो गई और उसे नीम की खली से उपचारित करने पर दाने की उपज 35 क्विंटल से बढ़कर 39 क्विंटल फी हैक्टर हो गई।

(ग) दाने की उपज में वृद्धि, मिट्टी की किस्म/वर्षा की मात्रा, फसल की सिंचाई और धान की विभिन्न किस्मों की अवधि पर बहुत अधिक निर्भर करती है। आमतौर पर इस उपचार से करीब 10 प्रतिशत यूरिया की बचत हो सकती है।

भारत में 1980-81 तक उर्वरक के उपयोग में बहुत अधिक वृद्धि की आशा

3703. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के हाल ही के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में, 1980-81 तक उर्वरकों के उपयोग में बहुत अधिक वृद्धि होगी ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक ठीक है और क्या भारत को अधिकतर विदेशी उर्वरक पर निर्भर रहना पड़ता है; और

(ग) इस बारे में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) :(क) विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत में वर्ष 1980-81 की अवधि में 60 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 24 लाख मीटरी टन फास्फेट की खपत होगी।

(ख) विश्व बैंक के अनुमान कई बातों पर आधारित हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अनुमान बिल्कुल सही नहीं हैं बल्कि इनका सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर अनुमान लगाया गया है और इनका लगातार पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। तथापि, उर्वरकों की मांग, के अधिकांश भाग को देश में तैयार हुए उर्वरकों से पूरा किया जा सकेगा। यद्यपि, भारत सरकार उर्वरकों की काफी मात्रा का आयात करती है, लेकिन मांग के अधिकांश भाग को देशी उत्पादन से ही पूरा किया जाता है।

(ग) उर्वरकों की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करके तथा चालू एककों के कार्य-निष्पादन में सुधार करके देशी उत्पादन में वृद्धि की जा रही है।

Action against persons for selling fertilizer at higher Prices

3704. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the number of persons against whom action has been taken during 1973 and 1974 under the Fertilizers Control Order and the Essential Commodities Act on the charges of selling fertilizer at higher prices than the fixed price and the results achieved; and

(b) the number of persons convicted and those fined during the same period on the aforesaid charges ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) :

(a) The information so far received from the State Governments is given below :—

Number of prosecutions launched for selling fertiliser at the higher price than the fixed price

1973	1974	Total
219	135	354

(b) The number of convictions (inclusive of fines) for the sale of fertiliser at higher prices than the fixed prices, is as follows :

1973	1974	Total
33	24	57

सीनियर लाइब्रेरी अटेन्डेन्टों के लिए चयन ग्रेड

3705. **श्री वनमाली बाबू :**

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के ग्रंथागारों में सरकारी स्कूलों में ग्रंथालय सहायकों के समान सीनियर लाइब्रेरी अटेन्डेन्टों के लिए चयन ग्रेड बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ऐसा किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी०पी० यादव): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

Steps to meet the requirement of Fertilizers

3707. **Shri B.S. Chauhan :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the figures regarding requirements *vis-a-vis* production of fertilizers pertaining to the current year;

(b) the steps taken by Government to meet the requirement; and

(c) the anticipated demand thereof during the next three years and Government's plan to meet this demand?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) During the year 1974-75, a quantity of 42.40 lakh tonnes of fertiliser nutrients is the estimated requirements as against a likely production of 13.99 lakh tonnes of nutrients from the domestic manufacturing units.

(b) Efforts are being made to import maximum possible quantities of fertilizers in the country in order to meet the fertilisers requirements of the country. Steps have also been taken to supplement the use of chemical fertilisers with the use of organic manures rural and urban waste. The fertiliser distribution system has been rationalised, so as to ensure that unduly large quantities of fertiliser do not remain in the pipeline for long periods.

(c) The estimated requirements of the country are 50.85 lakh tonnes, 59 lakh tonnes and 68.55 lakh tonnes of fertiliser nutrients, during years 75-76, 76-77 and 77-78 respectively. The requirements will be met through the indigenously manufactured fertilisers; supplemented by the organic manure including urban and rural waste, green manures and also by imports subject to the availability.

Academies for Publication of Hindi Books

3703. **Shri Yamuna Prasad Mandal :** Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) the names of the places where academies for the publication of Hindi books have been set up by the Central Government and the composition thereof ;

(b) the number of original and translated books published during the last three years; and the subject-wise names of the writers/translators;

(c) whether many writers/translators of published and approved books have not been paid their full remuneration and royality by the academy; if so, the facts thereof; and

(d) the rate at which the writers/translators are paid remuneration, and the arrangements made by Government to avoid delay in making payments to them?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) to (d) : Under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Books and Literature at University level in Hindi and Regional Languages, the State Government of Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan have set up Hindi Granth Academies at Patna, Chandigarh, Bhopal, Lucknow and Jaipur respectively for the production of University level books in Hindi. The detailed and up-to-date information required in this connection is being collected from the States concerned and will be laid on the table of the Sabha in due course.

9.7 प्रतिशत गांवों के लिए शुद्ध पानी

3709. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1974 के नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक समाचार पत्र में "सेफ वाटर फार बेअरली 9.7 परसेंट आफ विलेजज" (केवल 9.7 प्रतिशत गांवों के लिये शुद्ध पानी) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश की 18 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को नल द्वारा सप्लाई करके तथा हैण्ड पम्पों के साथ नल-कूपों के जरिये शुद्ध जल प्रदान किया जाता है, इसके अलावा, 33 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को सुरक्षित कुओं तथा अन्य स्त्रोतों से पर्याप्त रूप से शुद्ध जल प्राप्त होता है ।

ग्रामीण जनसंख्या के अन्य 44 प्रतिशत को साधारण कुओं से पानी मिलता है जिनके लिये, जल को पूर्णतया शुद्ध करने के लिये, सुरक्षात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है । राज्य के अधिकारियों को इन साधारण कुओं के जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सुरक्षात्मक कार्यवाही करने के लिये परामर्श दिया गया है ।

चतुर्थ योजना के अन्त में अर्थात् 1973-74 में देश में 1.15 लाख ऐसे ग्राम थे जहां जल स्रोत 50 फुट की गहराई अथवा 1 मील के फासले के भीतर थे अथवा जहां वर्तमान स्रोत लोक स्वास्थ्य खतरों से ग्रस्त थे । इन ग्रामों को पीने का पानी प्रदान करने के लिए पांचवीं योजना में, ग्रामीण जलपूर्ति के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन 564 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है । यह आशा है कि निधियों के उपलब्ध होने की दशा में पांचवीं योजना के दौरान इस वर्ग के लगभग 80,000 ग्रामों को पेयजल प्रदान किया जायेगा ।

गऊ रक्षा समिति का प्रतिवेदन

3710. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार द्वारा नियुक्त गऊ रक्षा समिति की सिफारिशों की जांच कर ली गई है;

(ख) क्या समिति ने देश में गऊ हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) उसके कार्यान्वयन का अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) गो रक्षा समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कालेज स्तर पर पर्यटन को अध्ययन का विषय बनाना

3711. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यह सिफारिश करने का है कि कालेज स्तर पर पर्यटन को अध्ययन का विषय बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालायें

3712. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरक अपमिश्रण के बढ़ते हुए खतरे को समाप्त करने के लिये उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) जी हां ।

(ख) कृषि के साधनों के क्वालिटी नियंत्रण की केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न चरणों में 36 उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के हिसाब खाते खोलना तथा उन्हें बनाए रखना

3713. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल टीचर्स कोपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के पदधारियों ने सोसायटी की स्थापना से अब तक सोसायटी के खाते खोलने और रखने के लिए किस बैंक अथवा बैंकों के नाम दिये हैं, जिन्हें सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने स्वीकृति प्रदान कर रखी है ;

(ख) उक्त रजिस्ट्रार ने सोसायटी के 1961 से लेकर आज तक के लेखों की लेखा परीक्षा करने के लिये कौन कौन लेखा परीक्षक नियुक्त किये हैं और उनके पते क्या हैं ;

(ग) रजिस्ट्रार द्वारा उक्त सोसायटी की महासभा की बैठक न बुलाये जाने के क्या कारण हैं जबकि सोसायटी के तथाकथित पदधारियों ने उक्त सोसायटी के लेखा परीक्षक लेखे और अन्य कागजात नहीं प्रस्तुत किये हैं और वर्ष 1966-67 के बाद या उसके आस पास चुनाव नियमित ढंग से नहीं हुए थे; और

(घ) क्या रजिस्ट्रार का विचार सोसायटी के 1963 तक पंजीकृत सभी सदस्यों को बुलाकर अब तत्काल सोसायटी की महासभा की बैठक कराने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ख) सोसायटी के लेखे का लेखा-परीक्षण सहकारिता विभाग दिल्ली प्रशासन के विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है ।

(ग) तथा (घ) सोसायटी के कार्यों के बारे में सांविधिक जांच पूरी हो गई है जांच अधिकारी के जांच-परिमाणों पर विचार करने के बाद यथाविधि उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

Cultural Deligations to Foreign Countries

3714. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether India has been sending cultural delegations to foreign countries;

(b) if so, how many such delegations were sent abroad during 1974-75 and the expenditure incurred on each of them; and

(c) the names of the countries visited by the delegations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A statement is enclosed. **[Placed in Library. See L. T. No. 8708/74]**

सीमेंट के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य

3715. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा स्कूल और अस्पतालों के लिये सीमेंट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने के बाद दिल्ली में बहुत सी गैर सरकारी इमारतें बनाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन ने प्राइवेट भवनों के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है ।

Shortage of Foodgrains in Bihar

3716. **Shri Bibhuti Mishra :**

Shri Ram Shekhar Prasad Singh :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether inspite of a good crop in Bihar, there is a shortage of 13 lakh tonnes of foodgrains;

(b) if so, whether shortfall to the tune of 18 lakh tonnes is being estimated in the production of Maize and Agahani crops in Bihar due to floods and drought in 1974; and

(c) if so, the assistance proposed to be given to Bihar Government by Central Government to meet the total shortage of 33 lakh tonnes ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) Firm estimates of production for 1974-75 would be available sometime in July-August, 1975. Though the rainfall was normal in Bihar, floods during July-August, 1974 have caused some damage to kharif crops, particularly maize. According to present indications, production of maize in Bihar during 1974-75 may be lower as compared to 1973-74. It is, however, not possible to give any precise estimate of shortfall in maize and Agahani crops in Bihar.

With a view to meeting the situation, the State Government augmented the public distribution of foodgrains in the State with the increased allotment of wheat from the Central pool. In addition, to improve the availability of foodgrains in the market, despatch of about 1.17 lakh tonnes of wheat from Punjab & Haryana was permitted on trade account. The State Government has also been allotted 14 thousand tonnes of wheat for seed purposes. Short term loan assistance to the extent of Rs. 8.25 crores has also been released to the Govt. of Bihar for the purchase and distribution of Agricultural inputs during 1974-75.

Notices of Consultative Committees

3717. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether notices of meetings of various Consultative Committees are given by the Department of Parliamentary Affairs;

(b) If so, whether these notices are received by Members late particularly during intersession period of Lok Sabha as has happend in the case of Ministry of Tourism and Civil Aviation this time; and

(c) whether Government would ensure that the notices of the meetings are issued well in time ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah): (a) Yes Sir, on receipt of intimation from the Ministry concerned.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise in view of (a) & (b) above.

Central Grants for Youth Wings in States

3718. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of the States in which youth wings alongwith their members were opened in the community development blocks during 1973 and the amount given by the Central Government for each of these wings; and

(b) the functions of these youth wings and under whose supervision these are working ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Central Grant to States for Community Development Blocks

3719. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of employees working in each Community Development Block at present indicating their designations, salaries, ond functions; and

(b) the amount given to each state by the Central Government for the Community Development Block during 1973, indicating the number of the Community Development Blocks for which this amount was given ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b) Information is being collected from the States and will be laid on the Table of the House.

Slum Dwellers in the Country

3720. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of slum dwellers in the country at present;

(b) the time by which all the slums of the country will be cleared and whether any scheme has been chacked out for the purpose by Government;

(c) if so, the main features thereof; and

(d) whether Government have enacted any legislation to check the expansion of slums in future ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) The total number of slum dwellers in towns with population above 3 lakhs is estimated at about 12 million.

(b) to (d) The Scheme of Slum Clearance/Improvement, which provides for clearance of slums and rehousing of slum dwellers, is in the State Sector and it is for the State Governments to prepare a time-bound programme of slum clearance and rehousing of slum dwellers. It is also for the State Governments to take legislative measures to check the expansion of slums in future.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा महानगरों में किया गया निर्माण कार्य

3721. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कलकत्ता महानगरक्षेत्र बम्बई, दिल्ली और मद्रास में वर्ष 1971-72 और 1973-74 में कुल कितने मूल्य का निर्माण कार्य किया गया ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Central Financial Assistance to Madhya Pradesh for Irrigation Facilities

3722. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the amount of financial assistance provided by the Centre to Madhya Pradesh Government for irrigation facilities under the current five-year plan and the types of schemes included in Irrigation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : The Fifth Five Year Plan of Madhya Pradesh has not yet been finalised. However, central assistance is provided in the form of block loans and grants for the State Plans as a whole and is not related to any individual head of development or project.

विश्वविद्यालयों और कालेज अध्यापकों के नये वेतनमान लागू करना

3723. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के नये वेतनमान लागू करने के बारे में 11 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने प्रस्ताव मान लिया है; और

(ख) कम राज्यों द्वारा इसे स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन): (क) और (ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा था कि विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के परिशोधित वेतनमानों को जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी, कार्यान्वित किया जाए। इस कार्य तथा अन्य शर्तों के लिये केन्द्रीय सहायता देने से संबंधित एक औपचारिक पत्र सभी राज्य सरकारों को 2 नवम्बर, 1974 को भेजा गया था। अपने अपने प्रस्ताव तैयार करना अब राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। अभी तक किसी भी राज्य सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

आसाम के अकाल पीड़ित क्षेत्रों के बारे में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का दौरा

3724. **श्री नुरूल हुडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि आसाम के डिब्रू० विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, छात्रों और कर्मचारियों के एक दल ने अकाल पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया था और अकाल पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने में सरकार की असफलता और गम्भीर स्थिति के साथ खिलवाड़ करने के लिये सरकार की आलोचना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) तथा (ख) असम सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आलू की खेती

3725. **श्री वसन्त साठे :**
श्री धामनकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय आलू की खेती कुल कितने क्षेत्र में होती है और कुल उत्पादन कितना है; और

(ख) क्या भूख से लड़ने में खाद्य-स्रोत के रूप में फसल की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, अनाजों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिये आलू को आम आदमी के प्रमुख भोजन के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय मे उप-मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) देश में लगभग 528 हजार हैक्टार क्षेत्र में आलू की खेती होती है जिसमें लगभग 4473.1 हजार मीटरी टन आलू पैदा होता है (1972-73) ।

(ख) एक मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में आलू की लोकप्रिय बनाने के लिये फूड एण्ड न्यूट्रिश्यन बोर्ड (खाद्य विभाग) की 22 चलती फिरती प्रदर्शन गाड़ियां, केटरिंग के चार महाविद्यालय और 11 फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट लोगों की खाने की आदतों में परिवर्तन लाने के लिए आलू और अन्य नानसीरियल खुराक का उपयोग करने के लिये प्रदर्शन कर रहे हैं। नान-सिरियल भोजन तैयार करने के लिए मोम खाद्यों का उपयोग करने के सम्बन्ध में प्रदर्शनियों में साहित्य भी वितरित किया जाता है।

राजनैतिक दलों द्वारा छात्रों का उपयोग

3726. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक दलों द्वारा अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बड़े पैमाने पर छात्रों का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) क्या राजनीति में छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कुछ उपायों पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है और ऐसी कार्यवाही कर रही है, जिससे राजनैतिक पार्टियां देश के छात्रों का दुरुपयोग न कर सकें ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): (क) और (ख) देश के भिन्न भिन्न भागों में छात्र आंदोलनों में अनेक राजनीतिक दलों के सम्मिलित होने के बारे में सरकार को रिपोर्टें मिली है। जहां कहीं भी कानून और व्यवस्था की बात उत्पन्न होती है, राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करती हैं और छात्र अनुशासन के मामलों को निपटाने के लिये शिक्षा प्राधिकारी सक्षम हैं। केन्द्रीय सरकार, छात्रों के राजनीति में प्रवेश पर रोक लगाने के लिये कोई कदम नहीं उठा रही है। आशा की जाती है कि छात्र समुदाय किसी भी प्रकार अपना शोषण न होने देगा।

उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम की देय राशि का भुगतान करने में मिल मालिकों एजेंटों द्वारा चूक

3727. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट और बालनगीर जिलों में भारतीय खाद्य निगम के चूककर्ता मिल मालिक एजेंटों ने अपनी देय राशि का भुगतान कर दिया है, जो वर्ष 1971-72 में 78.40 लाख रुपये थी ;

(ख) क्या वर्ष 1972-73 और 1973-74 में उड़ीसा के अन्य जिलों में इस प्रकार की चूक हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और अन्तर्ग्रस्त धनराशि कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) 1971-72 और 1972-73 के मौसमों के दौरान उड़ीसा के कोरापुट और बोलनगीर जिलों में भारतीय खाद्य निगम के

चूककर्ता मिल मालिक एजेन्टों के जिम्मे बकाया राशि लगभग 16.46 लाख रुपये थी जिसमें से अब तक केवल 2.31 लाख रुपयों का समायोजन किया गया है।

(ख) और (ग) 1973-74 के मौसम के दौरान अब तक इन जिलों में मिल मालिकों की ऐसी किसी चूक का पता नहीं लगा है

बीज उत्पादन कार्यक्रम

3728. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने बीज उत्पादन के कार्य में तेजी लाने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे अधिक उपज वाले खाद्यान्नों के प्रमाणित बीजों की बढ़ती मांग पूरी की जा सकेगी ;

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या आधार---बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिये भी कोई व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ङ) जी हां, राष्ट्रीय बीज निगम ने 1974-75 के दौरान अपने बीज उत्पादन कार्यक्रम को गतिमान करने की योजना बनाई है निगम ने वर्ष 1974-75 के लिये धान्यों और मोटे अनाज के अन्तर्गत 7.20 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि 1973-74 के दौरान इनका अनुमानित उत्पादन केवल 2.92 लाख क्विंटल था। आधारी बीजों के अन्तर्गत निगम ने धान्यों और मोटे अनाज का लगभग 78,500 क्विंटल उत्पादन करने की योजना बनाई है, जबकि 1973-74 के दौरान इनका उत्पादन केवल 46,000 क्विंटल था। निगम प्रमाणित बीज उत्पादन के विस्तृत कार्यक्रम के माध्यम से बीजों की अधिकांश मांगों को पूरा कर सकेगा और खाद्य फसलों की अधिक उत्पादन शील किसमों के प्रमाणित बीजों की बढ़ती हुई हुई अधिकांश मांग को भी पूरा कर सकेगा।

सरसों के तेल का उत्पादन बन्द किया जाना

3729. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरसों के तेल का उत्पादन करने वाले कारखानों ने उत्पादन कार्य बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अपमिश्रण के कारण अभियोजन की कार्यवाही की आशंका के कारण उत्पादन-कार्य बन्द किया गया है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने 'आर्ग-मोन' और सरसों को पृथक करने का कोई फार्मूला बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मूख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) कृषि और सिंचाई मंत्रालय में आर्ग-मोन और सरसों को पृथक पृथक करने के लिये कोई फार्मूला नहीं निकाला है । फिर भी, टाटा केसर अनुसंधान संस्थान बम्बई, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान हैदराबाद और अन्य स्थानों पर यह पता लगाने के लिये संयुक्त रूप से अध्ययन किये जा रहे हैं कि अन्य खाद्यान्न तेलों, और विशेषकर सरसों के तेल में आर्गमोन तेल को मिलाने की अनुमति दी जा सकती है ।

गेहूं की वसूली

3730. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की वसूली आशा से कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी हाल के महीनों में गेहूं व्यापार नीति में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों के बावजूद गेहूं वसूली में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) रबी 1974-75 विपणन मौसम में जब तक कुल 18.69 लाख मीटरी टन की अधिप्राप्ति हुई है । गेहूं की नीति में हाल में किए गए परिवर्तनों के बावजूद, यह अधिप्राप्ति हमारी आशा से कम हुई है ।

कमी होने के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) पंजाब और हरियाणा में देरी से कटाई होना ।

(2) उत्तर प्रदेश जसे कुछ राज्यों में फसलों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचना ।

(3) विशेषकर कम आमंद की अवधि में बड़े उत्पादकों द्वारा और भी अधिक मूल्य प्राप्त करने की आशा से स्टाक को रोक लेना ।

(4) लेवी से बचने के उद्देश्य से उत्पादकों और बेईमान व्यापारियों द्वारा मंडी के बाहर सौदे करना ।

दिल्ली में अल्प संख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों द्वारा कर्मचारी निधि का प्रारंभ किया जाना

3731. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अल्प संख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों के कुछ प्रबन्धकों में स्कूल कर्मचारी निधि लेखा के खोलने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मामले में सम्बद्ध अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) से (ग) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 126 के अनुसरण में, दिल्ली प्रशासन ने, सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को वेतन आदि देने की नई प्रक्रिया के सम्बन्ध में तथा साथ ही अन्य बातों के साथ साथ 'स्कूल कर्मचारी लेखा' खोलने की जिसमें वेतन और भत्तों से संबंधित प्रबन्धकों का हिस्सा तथा दिल्ली प्रशासन का सहायक अनुदान जमा कराया जाना है, व्यवस्था करते हुए एक अधिसूचना 29 अक्तूबर, 1974 को जारी की गई थी। कुछ स्कूलों के प्रबन्धकों ने, जिसमें वे स्कूल भी शामिल हैं, जो स्वयं को अल्पसंख्यक संस्थाए कहलाने का दावा करते हैं, 'स्कूल कर्मचारी लेखा' खोलने से मना कर दिया है; ऐसे कुछ स्कूलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है तथा दिल्ली प्रशासन की दिनांक 29-10-1974 की विवादग्रस्त अधिसूचना के कार्यान्वयन के विरुद्ध अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं। जिन आधारों पर समादेश याचिकाएं दायर की गई हैं वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दी गई गारन्टी तथा सेंट जेवियर कालेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ।

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली उच्च न्यायालय में इन सभी समादेश याचिकाओं का प्रतिवाद कर रहा है तथा अन्य उपचारात्मक उपायों पर भी विचार कर रहा है ।

वसन्तराव पाटिल कमेटी द्वारा की गई सिफारिशें

3732. **श्री धामनकर :**

श्री बसन्त साठे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई सुविधाओं के कम उपयोग संबंधी बसन्तराव पाटिल समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है और उनकी क्रियान्विति के लिये यदि कोई कार्यक्रम बनाया गया है तो वह क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) सृजित की हुई सिंचाई सुविधाओं के कम उपयोग संबंधी बसन्तराव पाटिल समिति की सिफारिशों पर मंत्रियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट जून, 1973 में प्रस्तुत की थी। समिति की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :—

(क) यदि लाभानुभोगी ऐसा न कर सके तो राज्य को खेतों की नालियां तैयार करने का अधिकार होना चाहिए और उन पर आने वाली लागत लाभानुभोगियों से वसूल की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिये सिंचाई अधिनियमों तथा कानूनों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और आवश्यक धन भी उपलब्ध किया जाना चाहिए।

(ख) सिंचाई योजना के एक अभिन्न अंग के रूप में कमान्ड क्षेत्र की जल निकास पद्धति की योजना तैयार की जानी चाहिए। खेतों की नालियों के निर्माण कार्य को तेजी से किया जाना चाहिए। सतही तथा भूमिगत जल के उपयोग की भी सिफारिश की गई है।

(ग) राज्य मौजूदा कानूनों पर विचार करके इनमें इस ढंग से परिवर्तन करे कि कृषक शीघ्र ही अपनी अपनी भूमि में सुधार कर सके। दीर्घकालीन ऋण भी उपलब्ध किए जाने चाहिएं। चकबन्दी इस ढंग से की जानी चाहिए कि उससे सिंचाई कार्यों में आसानी हो सके।

(घ) सिंचाई तथा कृषि विभागों के परामर्श से परियोजना के फसल प्रतिमान तथा जल सम्बन्धी आवश्यकताओं को विकसित किया जाना चाहिए। सिफारिश के अनुसार फसल प्रतिमान की समय समय पर जांच पड़ताल होनी चाहिए जबकि सिंचाई संसाधनों का 5 वर्ष में एक बार पुनरीक्षण होना चाहिए। यदि राज्य को सुझाए गए फसल प्रतिमान को और अधिकतम भूमि तथा जल प्रबन्ध पद्धतियों को अपनाने के लिए अपेक्षित अधिकार हैं तो वह उन पर विचार कर सकता है।

(ङ) परियोजना के कमान्ड क्षत्र में कृषि अनुसंधान प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण के लिये काफी फार्म स्थापित किये जाने चाहिए।

(च) खेतों में सिंचाई करने के लिए बाराबन्दी प्रणाली को अनिवार्य बनाया जाए ताकि जल का समान रूप से वितरण हो सके। जाया होने वाले पानी का पता लगाने के लिए वास्तविक जल उपयोग का परियोजना का पुनरीक्षण भी किया जाना चाहिए।

(छ) किसानों को ऋण उपलब्ध किया जाना चाहिए। आदान समय पर उपलब्ध किए जाएं और कमान्ड क्षेत्र में सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए।

(ज) वितरण पद्धतियों के भली प्रकार चलन और रख-रखाव को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(1) राज्यों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वे 3–5 सालों में संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग कर सकें।

(झ) एक स्वतंत्र कमान्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण की नितान्त आवश्यकता है जो काम और पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों का विशेष उत्तरदायित्व संभालेगा। समिति ने उसकी स्थापना और कार्यों के विषय में सुझाव दिया है।

(ट) यह बात सुनिश्चित की जानी चाहिए कि धन के अभाव के कारण कार्यक्रमों में कोई रुकावट पैदा न हो। उन सभी अभिज्ञात परियोजनाओं को जिनको पर्याप्त रूप से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, शीघ्र पूरा करने के लिये काफी धन का नियतन किया जाना चाहिए।

2. इस रिपोर्ट की प्रतियां जुलाई, 1973 में राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को भेज दी गई थी। इसके बाद जुलाई, 1973 में कोडई कनाल में आयोजित राज्यों के सिंचाई तथा विद्युत शक्ति विभागों के मंत्रियों के सातवें सम्मेलन में उस रिपोर्ट पर विचार किया गया और निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया :—

"सम्मेलन सिंचाई सुविधाओं के कम उपयोग संबंधी समिति द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करता है और सिफारिश करता है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को इन पर गम्भीरता से

विचार करना चाहिए और समिति की रिपोर्ट में किए गए कई बहुमूल्य सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।"

सम्मेलन द्वारा पारित किया गया यह प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही के लिये 17 जुलाई, 1973 की राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को भेज दिया गया था।

3. सतह तथा भूमिगत जल के समेकित उपयोग के लिये केन्द्र में एक समिति स्थापित की गई है। समिति की रिपोर्ट की इंतजार की जा रही है। एक विशेषज्ञ समिति भी स्थापित कर दी गई है जो 'माडल कैनाल एण्ड इरीगेशन ड्रेनेज बिल' के प्रारूप के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और इस से पहले कि उसे क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के पास भेजा जाए उसमें उपयुक्त संशोधन करने का सुझाव देगी। भारत सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि भावी सिंचाई परियोजनाओं के लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय कृषि सहायक कार्यक्रमों और अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के लिये आवश्यक व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

4. सिंचाई की सुविधाओं का भली-भांति उपयोग करने के प्रश्न पर भी सिंचाई आयोग तथा राष्ट्रीय कृषि आयोग ने विचार किया है। विचार-विमर्श के फलस्वरूप पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चुने हुए सिंचाई कमांड क्षेत्रों में एक समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में केन्द्रीय क्षेत्र में 120.00 करोड़ रुपये की एक व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य क्षेत्र में 96.63 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और 210 करोड़ रुपये संस्थात्मक स्रोतों से लगाने का विचार है।

5. पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (जैसा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दिया गया है) प्रत्येक परियोजना में और प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न रूप में होगा और अब तक हुए विकास तथा अन्य सम्बद्ध कारणों पर निर्भर करेगा। मोटे तौर पर इस कार्यक्रम में फार्म विकासात्मक कार्य, जिनमें खेतों की नालियां बनाना, भूमि को समतल करना और भूमि ठीक करने के काम, सर्वेक्षण व डिजाइन और इन कार्यों के लिए योजनाएं तैयार करना, उनकी क्रियान्विति का पर्यवेक्षण करना, मौजूदा विस्तार, प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन संगठनों को सुदृढ़ करना, पर्याप्त मुख्य तथा मध्यम जल निष्कासन, सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण तथा सुधार शामिल है। यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में ऊपर लिखे कार्यों को प्रभावी ढंग से और तेजी से करने के लिए एक उपयुक्त किस्म के परियोजना प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव है। पांचवीं योजनावधि के दौरान 51 चुने हुए कमांड क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव है।

कुतुब मीनार

3733. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुतुब मीनार वर्ष प्रतिवर्ष झुकती जा रही है और यदि उचित सावधानी न बरती गई तो उक्त स्मारक खतरनाक स्थिति में पहुंच जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि नियत की गई है और क्या 'यूनेस्को' ने भी सहायता का प्रस्ताव किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं। सामयिक जांच से पता चलता है कि कुतुब मीनार का झुकाव बढ़ नहीं रहा है। झुकाव जो पहली बार अक्तूबर, 1964 में देखने में आया था वह निर्माण का दोष है और वह इस समय केवल उसकी पहली तीन मंजिलों में है। ऊपर की दो मंजिलों के निर्माण में यह दोष दूर किया जाना था। तथापि कुतुब मीनार की नींव 1971-73 के दौरान "संयोजन" (सीमेन्टेशन) नामक प्रक्रिया से मजबूत की गई है।

(ख) इस झुकाव की वजह से उसकी मजबूती के प्रति किसी प्रकार की आशंका को दूर करने के लिये कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया है। तथापि बाहर के क्षीण हुए पत्थरों इत्यादि को बदल कर निर्माण की अन्य मरम्मतें करना अपेक्षित है। यूनेस्को की ओर से सहायता के लिये न तो कोई प्रस्ताव आया है और न ही इसकी जरूरत है।

Discontentment among Students and Employees of I. I. T. Delhi

3734. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the discontentment prevailing among the students and employees of I. I. T. Delhi; and

(b) the total number of agitations that have taken place during the last three years and the causes thereof?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) at present there is a demand by some daily wage workers for being made regular employees. The students have also represented for enhancement of the rates of scholarships.

(b) A statement is annexed.

Statement

During the years 1972, 1973 and 1974, the following agitations took place :—

	Period	Cause
(i)	9-11-1972 to 12-2-1973	Pressing for acceptance by the Institute a Charter of Demands made by some of the employees. Agitation by the employees at this time disrupted the normal working of the Institute. The Students who were to take Semester examinations apprehended that the examinations might not be conducted smoothly and wanted these examinations to be postponed. To press this demand they gheraoed the Acting Director and four Faculty members on 10.11.1972.
(ii)	8-10-73 to 30-12-73	To press for some of the demands made by the employees.
(iii)	From September, 1974 continuing	Daily Wage workers have been staging a relay 'Dharna' to press their demand for absorption in the regular cadre.

Kutku Dam Scheme Bihar

3735. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) The details of the progress made on Kutku dam scheme (Bihar) ;

(b) the amount allocated to Bihar by the Central Government so far under this scheme ; and

(c) the time by which this scheme is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) Preliminary works like construction of approach roads, residential and non-residential buildings are nearing completion. The work on the barrage and canals is being taken up.

(b) Irrigation is a state subject. The central assistance for State Plan schemes is given in form of block loans and grants for the State as a whole and it is not related to any particular project or head of development. An expenditure of Rs. 6.4 crores was incurred on the project by the end of Fourth Plan by the State Government.

(c) The Government of Bihar have informed that the completion of the project depends on the availability of funds and with the present allocation of funds, the project is expected to be completed by the end of the Sixth Plan.

बागान श्रमिकों के लिए राज सहायता प्राप्त आवास योजना

3736. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री डी० के० पंडा :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

श्री एम० कतामुतु :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लगभग दो लाख बागान श्रमिक अभी तक आवासहीन हैं क्योंकि छह दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में बागान मालिकों ने उन्हें राज सहायता प्राप्त आवास योजना लागू करने से मना कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना की क्रियान्विति पर पुनर्विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसकी क्रियान्विति के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) हाल ही के एक अनुमान के अनुसार लगभग 1,75,000 मात्र बागान मजदूरों को बागान मालिकों द्वारा अभी तक बिना किराये के रिहायशी वास नहीं दिये गये हैं। बागान मजदूरों की सहायता प्राप्त आवास योजना, जिसके अन्तर्गत मकान बनाए जाने हैं, के कार्यान्वयन के लिये प्रगति का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है तथा अन्तिम पुनरीक्षण, मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में किया गया था जो 5 अक्तूबर, 1974 को हुई थी। समिति ने योजना की प्रगति पर तथा इस प्रगति में रुकावट डालने वाली कठिनाइयों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया। समिति ने इस संबंध में कुछ सिफारिशें की जिन पर भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

देश में दालों की उपलब्धता और उनकी आवश्यकता

3737. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में दालें कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं ;

(ख) देश में दालों की आवश्यकता कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने देश में दालों की वास्तविक उपलब्धता तथा देश में उनकी आवश्यकता के बीच के अन्तराल को पूरा करने के लिये प्रस्ताव तैयार किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) चालू वर्ष के विषय में दालों के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1973-74 के दौरान दालों का उत्पादन 97.5 लाख मीटरी टन था और इसका कुछ भाग चालू वर्ष के दौरान खपत के लिये उपलब्ध हो जायेगा।

(ख) दालों की खपत, इनकी उपलब्धि, अन्य वैकल्पिक भोजन सामग्री तुलनात्मक कीमतों आदि पर निर्भर करती है। पिछली दशाब्दी के दौरान, दालों का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है, जबकि आबादी में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में कमी हुई है। दालों की कुल मांग और उपलब्धि में काफी अन्तर है।

(ग) तथापि, दालों की फसलों के बुवाई के क्षेत्र में वृद्धि करके इनके उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु खरीफ, 1972 से दालों की फसलों के उत्पादन कार्यक्रम के विषय में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारम्भ की गई है। इसे पांचवीं योजना के दौरान भी जारी रखा जायेगा।

(घ) उपर्युक्त, योजना के अन्तर्गत, निम्न कार्यक्रमों के लिये राजसहायता दी गई है (1) विस्तार प्रदर्शन करना, (2) केन्द्रक और आधारी बीजों का वर्धन करना, (3) किसानों द्वारा पौध रक्षण उपाय अपनाने के लिये वनस्पति रक्षण, रासायनिकों की व्यवस्था करना, (4) दालों की अल्पकालीन और उन्नत किस्मों के बीजों की सप्लाई करना, (5) किसानों को सप्लाई करने के लिये रिझेवियाम कल्चर का उत्पादन करने हेतु कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य के कृषि विभागों, सूक्ष्म विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करना। उपर्युक्त घ(5) के बारे में 1974-75 से राज सहायता समाप्त कर दी गई है।

दिल्ली में उचित दर दुकानों द्वारा वनस्पति का वितरण

3738. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली प्रशासन ने उचित दर दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं को वनस्पति वितरित करने का निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : दिल्ली प्रशासन वनस्पति तेलों के वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता है। तथापि, जहां तक वनस्पति का सम्बन्ध है, दिल्ली हाइड्रोजनेटेड वेजीटेबल आयल डीलर्ज लाइसेंसिंग आदेश, 1966 के अधीन खुदरा लाइसेंस रखने वाली उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य कार्डधारियों में विशिष्ट सीमा के अन्दर वनस्पति का वितरण करने की अनुमति दी जाती है।

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति

3739. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा कथित जमा धनराशि/धनराशियों की मात्रा और तारीख/तारीखों का वर्ष 1974 में प्रस्तुत शपथ पत्रों

और सोसायटी के रिकार्ड के साथ मिलान कर लिया है और यदि हां, तो जिन मामलों में अब तक असंगतियों का पता लगा है, उनकी संख्या कितनी है और तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वर्ष 1972 में जितने भी शपथ पत्र दिये गये थे, उनके साथ भी उपर्युक्त ब्यौरे का मिलान कर लिया गया है और यदि हां, तो कितने मामलों में अब तक असंगितयों का पता लगा है और उनका पूरा व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सभी व्यौरों का मिलान सोसायटी के रिकार्ड और वर्ष 1972 में प्रस्तुत शपथ पत्रों के साथ करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दिल्ली के सहकारी समितियों के सहायक पंजीकार द्वारा समिति की सदस्यता का दावा करने वाले व्यक्तियों से सहकारी सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत सही सदस्यों की सूची को अन्तिम रूप देने के लिये ही शपथ पत्र मांगे गये थे न कि किसी शन्य प्रयोजन के लिये ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खुला विश्वविद्यालय

3740. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खुले विश्वविद्यालय के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान अवस्था क्या है तथा उसकी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) तथा (ख) एक 'खुला' विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव जांच पड़ताल के प्रारम्भिक स्तरों पर है ।

गेहूं का निजी व्यापार

3741. **श्री बी० के० दास चौधरी**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं का निजी व्यापार पूर्णतया समाप्त करने का निर्णय किया गया है;

(ख) नीति में इस परिवर्तन के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किसानों पर अनिवार्य रूप से लेवी लगाने का भी निर्णय लिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) 1974-75 रबी मौसम के लिये गेहूं-नीति में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अधिशेष राज्यों के खाद्यान्न व्यापारियों जिनमें सहकारी समितियां शामिल हैं, की मंडियों/क्रय केन्द्रों में उनकी दैनिक खरीदारी पर 5 प्रतिशत लेवी की व्यवस्था है । तथापि, राजस्थान सरकार ने व्यापारियों पर लगी लेवी के अलावा, उत्पादकों पर क्रमिक लेवी भी लगाई है। अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों में उत्पादकों पर क्रमिक लेवी के जरिये अधिप्राप्ति की जानी थी । इस नीति के अधीन, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार की सरकारों ने उत्पादकों से गेहूं की अधिप्राप्ति की है, हालांकि अधिपप्त मात्रा विशेष उल्लेखनीय नहीं है ।

2. अगले रबी मौसम की गेहूं नीति, जिसमें प्राइवेट व्यापारियों की भूमिका भी शामिल है, के बारे में अभी भी निर्णय किया जाना है ।

'टी' बोर्ड को आयातित उर्वरक का कोटा

3742. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में चाय उद्योग के लिये आयातित उर्वरकों का कोटा केन्द्रीय पूल से क्रमश: टी बोर्ड और यूनाइटेड प्लांटर ऐसोसिएशन आफ साउथ इंडिया को दिया जाता है जो इसे आगे स्वीकृत वितरकों को बांटते हैं ;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण भारत के लिये उक्त कोटा टी बोर्ड के बजाय प्लांटर्स एसोसिएशन को दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या टी बोर्ड और यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन आफ साउथ इंडिया को यह निदेश दिया गया है कि वे उन्हें प्राप्त आयातित कोटे का नियतन केवल बड़े और एकाधिकार व्यापार गृहों को न करें, जिन्हें सरकार को सामान्य नीति के अनुसरण में भारतीय उर्वरक निगम ने उर्वरक वितरक एजेंसी की पात्रता से वंचित कर दिया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो गत तीन तिमाहियों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में पूल उर्वरक से किन वितरकों को कोटा दिया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा वितरित किया जाने वाला आयातित उर्वरक उत्तरी पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के चाय के बागानों के लिये सारी निर्धारित मात्रा भारत सरकार द्वारा टी बोर्ड को अलाट की जाती है। जहां तक उत्तरी पूर्वी भारत के चाय बागानों का सम्बन्ध है टी बोर्ड कृषि मन्त्रालय की अनुमति से वितरकों को उर्वरकों का पुन: आवंटन करता है जहां तक दक्षिणी भारत के चाय के बागानों का सम्बन्ध है, उनके बारे में टी बोर्ड यूनाईटिड प्लांटर्स एसोसियेशन आफ साउथ इंडिया (जोकि दक्षिण में चाय उत्पादकों द्वारा गठित एक निकाय है) को सारी मात्रा पुन: आबंटित करता है। इसके बाद यूनाइटिड प्लांटर्स एशोसियेशन आफ साउथ इंडिया कृषि मन्त्रालय की स्वीकृति से चुनीदा वितरकों को पुन: आवंटन करता है। जून, 1973 तक, यूनाईटिड प्लांटर्स एशोसियेशन आफ साउथ इंडिया को इस मन्त्रालय द्वारा सीधा आबंटन किया जाता था और वह भारत सरकार की सिफारिशों के आधार पर चुनीदा वितरकों के माध्यम से उर्वरकों का वितरण करता था। जुलाई, 1973 में यूनाईटिड प्लांटर्स एसोसियेशन आफ साउथ इंडिया को परम्परागत भूमिका निभाने की अनुमति देने का निर्णय किया गया था। इस कार्य को वह पिछले काफी वर्षों से करता आ रहा था। शुरू में भारत सरकार द्वारा टी बोर्ड को आबंटन किया जायेगा (जैसा कि अन्य बागानों के लिये किया जाता है और जिनके लिये सरकार ने जिन्स बोर्डों की स्थापना की है) और वह यूनाइटिड प्लांटर्स एसोशियेशन को पुन: आबंटन करेगा।

(ख) जैसाकि भाग (क) के उत्तर में बताया जा चुका है आयातित उर्वरक का आवंटन यूनाईटिड प्लांटर्स एशोसियेशन को सीधे नहीं किया जाता।

(ग) जी, नहीं। इसके विपरीत, भारत सरकार ने टी बोर्ड से कहा है कि ऐसी कोई नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए। टी बोर्ड से एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि 'संतुलित वितरण' की दृष्टि से पूल फटीलाईजर टी बोर्ड द्वारा ही अलाट किया जाना चाहिए। यह अलाटमेंट तीन गैर-एफ० सी० आई० वितरकों अर्थात उन 3 वितरकों को ही होनी चाहिए जिनकी भारतीय उर्वरक निगम द्वारा

वितरकों के रूप में नियुक्ति नहीं की गई थी। भारत सरकार ने इस सुझाव की मंजूरी नहीं दी थी और टी बोर्ड से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया था कि किसी भी वितरक को इस आधार पर नहीं निकाला जा सकता कि वह भारतीय उर्वरक निगम या किसी अन्य संगठन का वितरक था। टी बोर्ड को यह स्पष्ट कर दिया गया है, कि उन समस्त वितरकों को जिनको कि गत समय (जब से टी बोर्ड को 1968 में उर्वरकों के वितरण का कार्य सौंपा गया था) के दौरान उत्तर पूर्वी भारत में वितरण के लिये टी बोर्ड द्वारा पूल उर्वरकों का पुनः आवंटन किया गया था, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत माना जाये और तदनुसार टी बोर्ड द्वारा पुनः आवंटन किया जाये।

(घ) उन वितरकों की सूची संलग्न है, जिनको कि पिछली तीन तिमाहियों के दौरान यूनाईटिड प्लांटर्स एसोसियेशन द्वारा दक्षिण भारत में पूल उर्वरकों को निश्चित मात्रा का पुनः आवंटन किया गया था। उत्तर पूर्वी भारत के चाय बागानों के लिये वितरकों की सूची के बारे में टी बोर्ड से प्रतीक्षा की जा रही है, जिसे वह प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित भारत सरकार के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए तैयार करेगा।

विवरण

उन वितरकों की सूची जिनकों यूनाईटिड प्लांटर्स एसोसियेशन द्वारा पुनः आवंटन किया गया (1) मई-जुलाई, 1974 की तिमाही

क्रम संख्या	वितरक का नाम
1.	मैसर्स ई० आई० डी० पैरी लि० मद्रास
2.	,, पियर्स लेजली इंडिया लि० कोयम्बेटूर
3.	,, शा वालेस एण्ड क० लि० मद्रास
4.	,, टी स्टेन्स एण्ड क० लि० कोयम्बेटूर
5.	,, साइंटोफिक फर्टीलाईज़र क० प्राइवेट लि० कोयम्बेटूर
6.	,, मैसूर फर्टीलाईजर क० मद्रास
7.	,, रैलीज इंडिया लि० मद्रास
8.	,, कोठारी (मद्रास) लि० मद्रास
9.	,, साउथ इंडिया केमिकल एण्ड फर्ट कोट्टयाम
10.	,, फर्टीलाईजर्स एण्ड केमिकल्स, ट्राबनकोर लि० उद्योग मण्डल
11.	,, नीलगिरी फर्टीलाईजर लि० कोयम्बेटूर

(2) अगस्त-अक्तूबर, 1974 और नवम्बर, 1974 जनवरी, 1975

1.	मैसर्स शा वालेस एण्ड क० लि० मद्रास
2.	,, रेलीज इंडिया लि० मद्रास
3.	,, ई० आई० डी० पैरी लि० मद्रास
4.	,, पियर्स लेजली इंडिया लि० कोयम्बेटूर
5.	,, फर्टीलाईजर्स एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर लि० उद्योग मण्डल

6. मैसर्स टी स्टेन्स एण्ड क० कोयम्बेटूर
7. ,, सांइटीफिक फर्टीलाईजर क० प्राईवेट लि० कोयम्बेटूर
8. ,, मैसूर फर्टीलाईजर्स क० मद्रास
9. ,, कोठारी (मद्रास) लि० मद्रास
10. ,, साउथ इंडिया केमिकल्स एण्ड फर्ट कोट्टयाम
11. ,, नीलगिरि फर्टीलाईजर लि० कोयम्बेटूर ।

आयातित उर्वरकों के मूल्यों पर नियंत्रण

3743. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात से लेकर के खुदरा वितरण तक मिक्चरस की लागत सहित उर्वरकों के मूल्य पर सरकार कैसा और किस प्रकार से नियंत्रण रखती है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि आयातित उर्वरकों की बड़ी वितरक फर्में चाय बागान से उस कीमत से तिगुना और चौगुना अधिक वसूल करती है, जो वे सरकार को देती है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) नाइट्रोजन पूरक तीन उर्वरकों, अर्थात् यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट (आयातित या देशी) के सम्बन्ध में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किये हैं। उन मूल्यों पर इन उर्वरकों को किसानों के पास बेचा जा सकता है। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत जारी किया हुआ सांविधिक निदेश है। शेष आयातित उर्वरकों के सम्बन्ध में भारत सरकार पूल निर्गम मूल्य (वे मूल्य जिस पर कि केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरक बेचे जाते हैं) निर्धारित करती है, प्रत्येक उर्वरक के लिये लाभांश तथा कृषकों के लिये अंतिम मूल्य भी निर्धारित किया जाता है। परन्तु, ये मूल्य सांविधिक निर्देशों के स्वरूप के नहीं हैं। भारत सरकार विभिन्न प्रकार के मिश्रित उर्वरकों, जिनमें बीच में आयातित उर्वरक भी मिलाया गया है, के विक्रय मूल्यों को निर्धारित नहीं करती।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कला का यक्षगण रूप

3744. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रसिद्ध कला के यक्षगण रूप के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या भारतीय लोक कला के रूप में कोई यक्षगण दल विदेश भेजे गए हैं; और

(ग) यक्षगण कलाकारों को कौन-कौन सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भारत सरकार की ओर से संगीत नाटक अकादमी द्वारा कार्यान्वित की गई अधिछात्रवृत्ति योजना एक के भाग के रूप में, यक्षगण केन्द्र, उडिपी में यक्षगण के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। इस सम्बन्ध में 1-6-1971 से 31-3-1974 तक की अवधि के दौरान अकादमी द्वारा, गुरू की अधिछात्रवृत्ति फीस तथा संगतकार ढील किए और भगवतार के वेतनों की अदायगी के लिये 34,000 रुपये (लगभग) का कुल खर्चा किया गया था। इसके अतिरिक्त 1973 में, कर्नाटक के एक विख्यात यक्षगण विशेषज्ञ तथा व्यावसायिक नृत्य गुरुओं और संगीतज्ञों की सहायता से राष्ट्रीय नाटक स्कूल में यक्षगण में एक गहन पाठ्यक्रम भी आयोजित किया गया था। पाठ्यक्रम के अन्त में, स्कूल के छात्रों ने एक पूर्ण यक्षगण नाटक प्रस्तुत किया। अध्यापकों के वेतन, यात्रा, आवास भत्ते, इत्यादि तथा नाटक के प्रस्तुतीकरण पर स्कूल द्वारा कुल 36,273 रुपये का खर्चा किया गया था।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 1974-75 के वर्तमान वर्ष के दौरान, अध्यापकों के वेतनों के लिये संगीत नाटक अकादमी ने यक्षगण केन्द्र उडिपी को 7,500 रुपये का अनुदान दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विदेश भेजे जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों में सम्मिलित कलाकारों तथा मण्डलियों का चयन, संगीत नाटक अकादमी द्वारा तैयार किए गए एक पैनल के आधार पर तथा स्थायी समिति की सलाह पर किया जाता है।

स्वायत्तशासी कालिजों, परीक्षा सुधार तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित गोष्ठियां

3745. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वायत्तशासी कालेजों, परीक्षा सुधार तथा स्नातकोत्तर शिक्षा पर दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित गोष्ठियां देश के सभी क्षेत्रों में इन्हीं विषयों पर होने वाली गोष्ठियों की अग्रगामी हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी गोष्ठियां हुई हैं ;

(ग) क्या तीनों विभिन्न विषयों पर मतैक्य हैं अथवा भिन्न भिन्न मत हैं और वे क्या हैं; और

(घ) विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में चयनात्मक आधार पर प्रवेश के बारे में यदि कोई गोष्ठी हुई है तो गोष्ठी का मत क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1974 के दौरान, स्वायत्त कालिजों, परीक्षा सुधार तथा निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के बारे में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की थीं :—

(i) मदुरे विश्वविद्यालय, मदुरे।
जुलाई 25-27, 1974—दक्षिण क्षेत्र के लिए ;

(ii) गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
अगस्त 3-5, 1974—पश्चिम क्षेत्र के लिए

(iii) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
दिसम्बर 16-18, 1974, उत्तरी क्षेत्र के लिए; तथा

(iv) उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
नवम्बर 26-28, 1974—पूर्वी क्षेत्र के लिए

आयोग द्वारा इस प्रकार की विशिष्ट प्रयोगशालाएं पहले कभी आयोजित नहीं की गई थीं।

(ग) ब्यौरे के मामलों को छोड़कर, सिफारिशें सामान्यतः उसी प्रकार की हैं। कार्यशालाओं की सिफारिशों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(घ) अहमदाबाद में आयोजित कार्यशाला में अन्य बातों के साथ-साथ एक सुझाव यह दिया गया था कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला उन लोगों को चयनात्मक आधार पर दिया जाना चाहिए जिनमें प्रमाणित क्षमता हो तथा उससे लाभ उठाने की रुचि हो। यह भी सुझाव दिया गया था कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु कोई खास ग्रेड (अथवा अंकों की प्रतिशतता) न्यूनतम अर्हता के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। अन्य लोग पत्राचार अथवा अल्पकालीन गैर-परम्परागत प्रयुक्त पाठ्यक्रमों (प्रमाण पत्र/डिप्लोमा) के जरिए गैर औपचारिक पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित कार्यशाला ने भी यह सिफारिश की थी कि आयोजित विकास के प्रसंग में स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएं उन छात्रों को उपलब्ध की जानी चाहिएं जिन्होंने स्नातक परीक्षा आनर्स में 50 प्रतिशत अंकों के साथ (ग्रेड-बी) उत्तीर्ण की हैं? यह अपेक्षा विषयों के अनुसार समायोजित होंगी। इसके अलावा पास पाठ्यक्रम के उत्कृष्ट स्नातकों को, स्नातकोत्तर स्तर के दाखिले से पूर्णतः वंचित भी नहीं किया जाना चाहिए।

नर्मदा परियोजनाओं के बारे में विवाद

3746. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नर्मदा परियोजनाओं संबंधी सभी विवादों को हल कर दिया गया है;

(ग) क्या नवगाम बांध की ऊंचाई के संबंध में फैसला हो गया है; और

(घ) परियोजनाओं को पूर्ण होने पर प्रभावित राज्यों में बाढ़ तथा सूखे की समस्या कहां तक हल हो जायेगी?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) नर्मदा जल के आबंटन तथा गुजरात में नवगांव बांध की ऊंचाई से संबंधित विवाद नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के न्याय-निर्णयाधीन है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह नर्मदा बेसिन में नवगांव की ऊंचाई तथा अन्य बांधों पर निर्भर करेगा जिनको अभी अंतिम रूप दिया जाएगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय लान टेनिस एसोसियेशन के सचिव की भारतीयों को डेविस कप से निकाल देने की कथित धमकी

3747. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय लान टेनिस एसोसिएशन के सचिव की इस धमकी के बारे में जानकारी है कि यदि डेविस कप के चुनौती दौर में आने में भारतीय असफल हुए तो उन्हें निकाल दिया जाएगा ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय लान टैनिस एसोसिएशन के सचिव की तथाकथित इस धमकी के बारे में, कि यदि भारत डेविस कप फाइनल-1974 में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलने से इन्कार करता है तो भारत को डेविस कप से निकाल दिया जाएगा, सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है। तथापि, सरकार द्वारा अखिल भारतीय लान टैनिस एसोसिएशन के सचिव से प्राप्त पत्र के अनुसार, यह प्रश्न 7 नवम्बर, 1974 को हुई रोम में डेविस कप राष्ट्रों की प्रबन्ध समिति की बैठक में, उठाया गया था तथा यह निर्णय किया गया था कि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेलने से इन्कार करने के लिये भारत के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए ।

पांचवीं योजना में सिंचाई के लिए प्रावधान

3748. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री 24 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 348 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए कोई प्रावधान किया गया है और उसके परिणामस्वरूप कुल कितने एकड़ भूमि सिंचित होगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । बहरहाल, पांचवीं योजना के प्रारूप में बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये 2401 करोड़ रुपये का परिव्यय परिकल्पित है । लघु स्कीमों के लिए, सरकारी क्षेत्र के 810.55 करोड़ रुपये के परिव्यय के अतिरिक्त, संस्थागत संसाधनों से 1462 करोड़ रुपये, किसानों द्वारा उनके अपने संसाधनों से 500 करोड़ रुपये और ग्राम विद्युतीकरण निगम से 1098 करोड़ रुपये का निवेश परिकल्पित है। पांचवीं योजना के दौरान 12.2 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई शक्यता के निर्मित होने की संभावना है ।

उत्तर प्रदेश में हरिजन छात्रों द्वारा स्कूल छोड़े जाने के कारण

3749. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसहयोग सम्बन्धी केन्द्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ने यह अध्ययन पूरा कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में हरिजन बच्चों द्वारा स्कूल छोड़े जाने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या हरिजन और आदिवासी बहुत अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की एजेंसी द्वारा ऐसा ही अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो संस्थान के अध्ययन तथा अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्ष क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, हां ।

(ख) 1966-68 में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद ने गंजम और कोरापुट जिलों के चार चुने हुए ब्लाकों में रह रही उड़ीसा राज्य की लनजिया राजनजाति के बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने के कारणों का अध्ययन किया था ।

(ग) केन्द्रीय जन सहयोग अनुसन्धान और प्रशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद के निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

केन्द्रीय जनसहयोग अनुसन्धान और प्रशिक्षण संस्थान

(क) **अध्ययन के निष्कर्ष**

हरिजन बच्चों के स्कूल छोड़ने की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां

(i) उनके आवासी क्षेत्र अथवा व्यवसाय कई तरीकों से अलग थे : घटिया मकान, अस्वस्थ वातावरण, खराब पहुंच रास्ते, और पीने के पानी, बिजली इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी । परिवार का औसत आकार 6.5 था । परिवार में महिलाओं से पुरुष अधिक थे (1000 पुरुषों के पीछे 763 महिलाएं) अधिकतर परिवार अर्थात 71 प्रतिशत नाभिकीय से प्रभावित थे ।

(ii) कुल जनसंख्या का आधा भाग आश्रित, गैर उत्पादक पीढ़ी से सम्बन्धित था अर्थात 0.15 वर्ष । लगभग 12 प्रतिशत पूर्व स्कूली बच्चे थे अर्थात 0.5 वर्ष । अधिक बहुमत अर्थात 72 प्रतिशत हरिजन जनसंख्या पूर्ण रूप से निरक्षर थी । शेष जनसंख्या में से अधिक व्यक्तियों को 3 से 4 वर्षों का स्कूली ज्ञान था ।

(iii) तिहाई परिवारों की अपनी खेतीहर भूमि नहीं थी जबकि अन्यों की इतनी भूमि थी जोकि आकार में छोटी थी और घटिया कोटि की थी । एक तिहाई जनसंख्या घरेलू कार्यों में, चौथाई फार्म मजदूरी में, दशांसकुशल और अकुशल धंधों में तथा शेष व्यवसायों, दस्तकारियों में रत थीं । केवल 1.4 प्रतिशत बाबू लोग थे ।

हरिजन परिवारों के 3/4 से भी अधिक भाग निर्धनता की सीमा से नीचे था अर्थात कम से कम प्रति मास प्रति व्यक्ति के 40.6 रुपये के अपेक्षित उपभोग के स्तर से भी कम। उनमें से लगभग 90 प्रतिशत ऋण में थे।

(ख) **पूर्व स्कूल जीवन और स्कूल छोड़ने के अनुभव**

(i) दो तिहाई से अधिक मामलों में, हरिजन माता-पिताओं ने बच्चों को दाखिल करने के लिये पहल की है। लगभग 70 प्रतिशत बच्चे ठीक आयु अर्थात 6 वर्षों में स्कूल में दाखिल किए गए थे। स्कूल छोड़ने वालों में से दो तिहाई बच्चों को अच्छी तरह से स्कूल जीवन में समायोजित किया गया था। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में से 90 प्रतिशत से भी अधिक बच्चों का बिना फेल हुए सामान्य स्कूल जीवन था और 80 प्रतिशत बिल्कुल नियमित रूप से स्कूल जाते थे।

(ii) स्कूल छोड़ने वालों ने स्कूल शिक्षा से पर्याप्त लाभ उठाए हैं। दो तिहाई से भी अधिक बच्चों ने पढ़ने और लिखने में लाभ उठाया, तिहाई ने गणित और छोटे हिसाब, खेल कूदों में लाभ उठाया। परीक्षा में हरिजन बच्चों के निष्पादन और कक्षा में उनके व्यवहार के लिये अध्यापक प्रशंसा करते थे।

(iii) अपने स्कूल जीवन के दौरान भी, स्कूल छोड़ना उनके परिवारों के लिए लाभकर सिद्ध हुआ। पारिवारिक कार्य, पशु की देखभाल, छोटे बच्चों को देखने इत्यादि इन बच्चों के सामान्य कार्य थे। शारीरिक श्रम हरिजन परिवार के प्रत्येक युवक का अभिन्न अंग था और उनके परिवार की महिलाएं भी उनसे कम नहीं थी।

(ग) **स्कूल छोड़ने के कारण**

(i) स्कूल छोड़ने का बहुत प्रमुख पहलू हरिजन परिवारों की निर्धन परिस्थितियां और आर्थिक कठिनाईयां थी। पारिवारिक अथवा बाहर के कार्यकलापों में बच्चे के श्रम को लगाने की आवश्यकता, शैक्षिक खर्चों को पूरा करने की असमर्थता और मूल भौतिक आवश्यकताओं की व्यवस्था करने में असमर्थता, गरीबी के प्रबल पहलू हैं और इसके कारण में (कुल बच्चों में से 43 प्रतिशत) स्कूल छोड़ने के लिये मजबूर हो जाते हैं।

(ii) स्कूल और अन्य सम्बन्धित तथ्य और प्रमुख कारण थे। स्कूल अध्यापकों और कक्षा के छात्रों का असहायक और तेज व्यवहार, बुरी आदतें और व्यवहार ग्रहण करना, स्कूल और घर के बीच वास्तविक दूरी और स्कूल प्रणाली की अन्य अपर्याप्तताएं हरिजन बच्चों (दाखिल बच्चों का 25 प्रतिशत) के स्कूल छोड़ने का एक और मुख्य कारण था।

(iii) पारिवारिक आवश्यकताएं जैसे कि परिवार में बीमारी अथवा मृत्यु अथवा बच्चे की लम्बी बीमारी, स्कूल छोड़ने का तीसरा मुख्य कारण था। (दाखिल बच्चों का 12.5 प्रतिशत) अध्ययन में रुचि की कमी (दाखिल बच्चों का 12.5 प्रतिशत) और पढ़ाई में विश्वास और उसके मूल्यों के विरोध धारणाओं का होना (दाखिल बच्चों का 6.5 प्रतिशत) अन्य कारण थे जिसने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिये बाध्य कर दिया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्

(i) कक्षा 1 में दाखिल किए गए लानजिया सौरा के प्रत्येक 100 बच्चों में से केवल 7 बच्चों ने 3 वर्षों के बाद तीसरी कक्षा उत्तीर्ण की। अतः कुल बरबादी की दर 93 प्रतिशत पाई गई।

(ii) स्कूल छोड़ने के कारण मुख्यतया आर्थिक है। कक्षाओं से बच्चे इस लिये वापस ले लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने माता/पिताओं/अभिभावकों को खेत और अन्य जगह में उनके धंधे में सहायता करनी होती है। अन्य कारण साधारणतया अरुचिकर स्कूल कार्यक्रम और माता पिताओं/अभिभावकों की उदासीनता है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा कृषि-वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के लिए अधिक किराये पर भवन लिया जाना

3751. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अभी-अभी बनाये गये अपने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड को जगह देने के लिये 6,700 रुपए मासिक किराये पर एक प्राइवेट भवन किराये पर लिया है जबकि वह भवन उनके किराये पर लिये जाने से पूर्व 2,000 रुपए मासिक की दर से किराय पर चल रहा था ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने यह सौदा करने से पूर्व मंत्रालय से परामर्श किया था और क्या मन्त्रालय ने उपरोक्त तथ्यों की जांच की थीं; और

(ग) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सलाह दी थी कि वह यह सौदा न करे और यदि हां, तो मन्त्रालय के सलाह की किस आधार पर उपेक्षा की गई ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल में स्थापित कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के लिए एक गैर सरकारी भवन किराये पर लिया है। इसका मासिक किराया 5,607 रुपए है। इस के अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियम के मुताबिक मकान मालकिन के मार्फत 1,121 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्माण शुल्क देती है, जो मकान के किराये का 20 प्रतिशत होता है। ऐसा समझा जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को किराये पर देने से पहले, यह भवन एक निजी कम्पनी को 2,500 रुपए मासिक किराये पर इस भवन के भूतपूर्व मालिक द्वारा दिया गया था, जिसका किराया 1965-66 में यानी करीब 9 वर्ष पहले तय किया गया था। उक्त मकान मालिक ने निजी कम्पनी से मकान खाली कराने के लिए कार्यवाही शुरू की थी। पर यह भवन 1973 के मध्य में वर्तमान मकान मालकिन द्वारा खाली कराया गया।

(ख) इस भवन को किराये पर लेने से पहले परिषद ने निर्माण एवं आवास और वित्त मंत्रालयों से इस विषय में सलाह ली थी और प्रस्ताव के तथ्यों से उन्हें अवगत कराया था।

(ग) वित्त मंत्रालय ने इस भवन को किराये पर लेने के लिये अपनी स्वीकृति दे दी थी जैसाकि इस प्रश्न के भाग (ख) के अन्तर्गत ऊपर बताया गया है।

विदेशों को भारतीय तबला कलाकार भेजना

3752. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों को तबला कलाकार तथा अन्य भारतीय कलाकार भेजने का है ताकि वे विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख) सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों को सरकार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेश भेजा जाता है तथा कलाकार विदेशी सरकारी संगठनों के अतिथि होते हैं। किसी प्रकार का धन कमाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय ग्रन्थालय कलकत्ता के लिए समिति

3753. **श्री रानेन सैन :**

श्री सी० के० चन्द्रपन्न :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रन्थालय, कलकत्ता की देखभाल के लिए एक सामति का गठन किया गया है, जहां कि अभी तक किसी भी पूर्णकालिक निदेशक को नियुक्ति नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति कार्य कर रही है; और

(ग) समिति के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी०पी० यादव): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आयोग को अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक सुविधा दी जा रही है ।

2500 वें महापरिनिर्वाण वर्ष के दौरान शिकार खेलने तथा मांस परोसने पर रोक

3754. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने तीर्थांकर महावीर के 2500वें महापरिनिर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष शिकार खेलने तथा मांस परोसने पर रोक लगा दी है ;

(ख) क्या अनेक समाचारपत्रों तथा दार्शनिकों, साधुओं तथा प्रमुख नागरिकों ने उसका सोत्साह अनुकरण करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी०पी० यादव): (क) से (ग) राष्ट्रीय समिति की यह सिफारिश कि निर्वाण दिवस, अर्थात 13 नवम्बर, 1974 को एक मद्यनिषेध तथा मांस रहित दिन घोषित कर दिया जाए, जबकि सभी बूचड़खाने बन्द रहें और किसी भी सार्वजनिक भोजनालय में मांस पेश नहीं किया जाए, सभी राज्य सरकारों को विचारार्थ भेज दी गई थी ।

रायपुर मध्य प्रदेश में धान की फसल की क्षति

3755. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रायपुर डिवीजन के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में धान की फसल पूर्णत: बेकार हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस क्षेत्र में सूखे के कारण फसलों को बेकार न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) तथा (ख) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कर्नाटक में सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक विकास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत दी गई राज सहायता

3756. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसी सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य में एजेंसी-वार अब तक राज सहायता की कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है; और

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत लाभ के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कर्नाटक राज्य में सीमान्त किसान तथा खेतिहर मजदूर विकास एजेन्सी की योजना के अन्तर्गत आरम्भ से नवम्बर 1974 तक दिये गये सहायक-अनुदान की कुल राशि एजेन्सीवार नीचे दी गई है :—

	(लाख रु० में)
(1) सीमान्त किसान तथा खेतिहर मजदूर, तुमकर	61.25
(2) सीमान्त किसान तथा खेतिहर मजदूर, बीजापुर	64.66
योग	125.91

(ख) आयोजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, छोटा किसान विकास एजेन्सी/सीमान्त किसान तथा खेतिहर मजदूर का अखिल भारतीय आधार पर मूल्यांकन कर रहा है, जो चल रहा है ।

उत्पादकों तथा व्यापारियों से मोटा अनाज प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति मांगा जाना

3757. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उत्पादकों तथा व्यापारियों से बाजरा और मक्का सहित मोटा अनाज प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने उत्पादकों और व्यापारियों जिनके पास एक समय में बाजरा, ज्वार और मक्का का 20 (बीस) क्विंटल से अधिक स्टाक हो उनसे इन खाद्यान्नों को अधिग्रहण करने के लिये आदेश जारी करने संबंधी अपने प्रस्ताव पर भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने के लिये अनुरोध किया था। उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।

तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री द्वारा सिंचाई हेतु और अधिक पानी की व्यवस्था करने के लिए सहायता की मांग

3758. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी डेल्टा में पानी की कमी के बारे में उनको एक तार भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री द्वारा चावल की फसल के लिए उस क्षेत्र में अधिक पानी की व्यवस्था के लिए मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है क्योंकि राज्य के जलाशय में सिंचाई हेतु केवल एक महीने के लिये पानी है जबकि फसल के लिये दो महीने की सिंचाई के लिए पानी चाहिए ; और

(ग) सरकार द्वारा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु डेल्टा में और अधिक पानी देने के लिए कर्नाटक राज्य में प्रस्तावित बांध के निर्माण को निलम्बित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां

(ख) तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने अनुरोध किया है कि कावेरी डेल्टा की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कर्नाटक सरकार को काबिनी जलाशय से जल देने के लिये कहा जाये।

(ग) इस मामले पर दिल्ली में 28 और 29 नवम्बर, 1974 को हुई बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि कर्नाटक द्वारा काबिनी जल की सप्लाई करने के लिये किसी मान्य हल पर पहुंचने के लिए इस प्रश्न पर बंगलौर में दोनों राज्य सरकारों के बीच आगे विचार-विमर्श किया जाएगा

आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में धान की नई किस्में

3759. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने अधिक उपज देने वाली धान की दो नई किस्मों का विकास किया है ;

(ख) यदि हां तो देश के विभिन्न भागों में विभिन्न जलवायु की दशाओं में वे कितनी सफल रही हैं; और

(ग) नये बीजों के परिणामस्वरूप देश में धान के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के लिए उपयुक्त धान की अधिक उपज देने वाली दो नयी आशाजनक किस्में एम टी यू या सी 8002 और एन टी यू या सी 8089 अपने मारूतिरू केन्द्र में विकसित की हैं । इस क्षेत्र की विशिष्ट समस्या है, अधिक उपज देने वाली ऐसी किस्में विकसित करना, जो गिरने वाली नहीं हों तथा जो अधिक उपज देने वाली फिलहाल उगायी जा रही किस्मों की अपेक्षा देर से तैयार हों, ताकि वे पिछेती खरीफ और अगेती रबी की बारिश के प्रकोप से बच सकें। पहले जो किस्में उगाई जाती थीं, वे आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र के लिये उपयुक्त नहीं थीं । इसका कारण यह है कि ये किस्में उस समय तैयार होती हैं, जब तूफान और बाढ़ आया करती हैं तथा उनकी कटाई के समय तक उत्तर-पूर्वी मानसून आरम्भ हो जाता है । अतः पिछेती किस्मों—अक्कुलु (एस एल ओ-13), किचिडि सम्बा (जी ई वी-24)—के स्थान पर नई किस्में तैयार करने की कोशिश की जा रही है ।

(ख) आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकिसित किये गये उपर्युक्त चयनों को केवल खरीफ 1973 के दौरान ही अखिल भारतीय समन्वित परीक्षणों में सम्मिलित किया जा सका । अतः केवल एक ही मौसम के परिणाम उपलब्ध हैं ।

इन कल्चरों को समन्वित समान परीक्षण—3 (लम्बी अवधि वाली फसलों के लिए) के अन्तर्गत परखा गया । इस परीक्षण में शामिल किये गये 22 कल्चरों में से सी० 8002 से प्रति हैक्टर 4628 किलो औसत उपज मिली तथा इसे 16वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि सी० 8089 से प्रति हैक्टर 5,218 किलो औसत उपज मिली तथा उसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ । ये कल्चर न गिरने की विशेषता की दृष्टि से काफी अच्छे हैं । इनमें पत्तियों के जीवाणविक झुलसा रोग को सहने की भी क्षमता है । ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी की डेल्टा वाले क्षेत्रों के लिये उपयुक्त मालूम पड़ते हैं । अन्य अधिक उपज देने वाली किस्मों से आपेक्षिक श्रेष्ठता का निर्धारण करने के लिए एक या दो अन्य मौसमों में भी इनकी परख करने की आवश्यकता है ।

(ग) इन दो किस्मों के बारे में अखिल भारतीय समन्वित परीक्षणों से उपलब्ध सीमित सूचनाओं को देखते हुए, देश में धान के उत्पादन में वृद्धि पर इन किस्मों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे बताना सम्भव नहीं है ।

अधिक खाद्यान्नों के लिए करल से अभ्यावेदन

3761. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मन्त्री ने, जब वे नवम्बर के मध्य में दिल्ली में थे, केरल की गम्भीर खाद्य नीति स्थिति के बारे में एक अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार को दिया था;

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) केरल के मुख्य मन्त्री ने राज्य में कठिन खाद्य स्थिति के बारे में अभ्यावेदन दिया था और राज्य को चावल का अधिक आवंटन करने के लिये जोर दिया था। दिसम्बर, 1974 के लिये केरल के चावल के आवंटन को बढ़ाकर 37,500 मीटरी टन कर दिया गया है जबकि नवम्बर, 1974 में 25,000 मीटरी टन आवंटित किया गया था।

ऊर्वरक के व्यापक उपयोग संबन्धी सिद्धांत

3762. **श्री वनमाली पटनायक** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मत प्रकट किया गया है कि उर्वरक संबंधी राष्ट्रीय नीति उर्वरक के गहन उपयोग की उपेक्षा उसके व्यापक उपयोग संबंधी सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस दिशा में कृषकों को अनुदेश देने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राज्य सरकारों को सिफारिश की है कि उर्वरकों की वर्तमान कमी को दृष्टि में रखते हुए वे उर्वरकों का गहन उपयोग करने की उपेक्षा उर्वरकों का व्यापक उपयोग करें।

सरकारी कृषि कालेज, त्रिवेन्द्रम द्वारा धान से चावल निकालने वाली मशीन का विकास

3763. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कृषि कालेज, वेल्लयानी, त्रिवेन्द्रम ने धान से चावल निकालने वाली एक ऐसी नई मशीन का विकास किया है, जिससे प्रति घंटे 500 किलोग्राम धान से चावल निकाला जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मशीन की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक बाजार में उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : इन प्रश्नों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना एकत्र होते ही, उसे सदन के पटल पर रख दिया जायगा।

हिमाचल प्रदेश के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय 'लेवी चीनी' पर राज सहायता की राशि

3764. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृ० करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा उनके अधीन कार्य कर रही सहकारी समितिय। को 'लेवी' चीनी पर राज-सहायता का भुगतान करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश सरकार अथवा उसको सहकारी समितियों के लिये भारतीय खाद्य निगम पर कितनी राज-सहायता की राशि देय हो गई है और वह किस अवधि के लिए है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शहनवाज खां) : (क) लेवी-चीनी पर केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई राज-सहायता नहीं दी जाती है। राज्य की एजेंसियों के माध्यम से समान खुदरा मूल्य पर लेवी चीनी के वितरण-योजना के परिचालन के प्रति राज्य सरकारों के दावे भारतीय खाद्य निगम, जोकि मूल्य समकारी निधि का संचालन करता है, और राज्य सरकारों के बीच सीधे निपटाये जाते हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश सरकार से 19 सितम्बर, 1974 तक के 14.26 लाख रुपये के सामान्य दावे को 13.60 लाख रुपये पर निपटाया है और उसका भुगतान हुआ है। न्यायालय के अन्तरिम आदेशों, जिनमें मिलों को उनके रिट याचिका पर अन्तिम निर्णय होने तक अधिसूचित मूल्यों से अधिक मूल्य लेने की अनुमति थी, के फलस्वरूप अधिक मूल्य देने के कारण लगभग 19.16 लाख रुपये के राज्य सरकार के दावे विचाराधीन हैं।

उर्वरक का उत्पादन और मांग

3766. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 के अन्त में उर्वरक का उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ, यदि हां, तो कितना और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में उर्वरक की कितनी मांग होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां। वर्ष 1973-74 के दौरान देश के उर्वरकों के कारखानों का वास्तविक उत्पादन निश्चित लक्ष्यों से लगभग 39 प्रतिशत कम रहा है। उत्पादन में कमी आने का एक कारण नए कारखानों द्वारा देर से कार्य शुरू करना था। बिजली की कमी, मजदूरों के झगड़ों तथा तकनीकी समस्याओं के कारण भी मौजूदा कारखानों में कम उर्वरक तैयार हुआ है।

(ख) मौजूदा अनुमानों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि देश को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक 80 लाख मीटरी टन उर्वरकों की आवश्यकता होगी।

कलकत्ता में "हुडको" के फ्लैट

3767. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम ने निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को किश्तों पर बेचने के लिये कलकत्ता में बहुत से फ्लैट बनाये हैं परन्तु अब वह आरम्भ में ही पूरे भुगतान के लिये कह रहा है ताकि धनी तथा समृद्ध व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा सके ;

(ख) कलकत्ता के मामले में इस भेदभाव के क्या कारण हैं जबकि 'हुडको' अपने मकान सर्वत्र 15 से 20 वर्ष तक की किश्तों में भुगतान के आधार पर बेचता है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) आवास तथा नगर विकास निगम समिति ने, एक विशेष मामले के तौर पर, मानिकटोला कलकत्ता में 252 फ्लैटों का निर्माण "सीधी बिक्री" के आधार पर उन व्यक्तियों को बेचने के लिये किया है जिनकी वार्षिक आय 18,000 रुपये से अधिक नहीं है ।

2. आवास तथा नगर विकास निगम, जो एक वित्त व्यवस्था करने वाली संस्था है, सामान्यतया बिक्री हेतु मकानों का निर्माण नहीं करती परन्तु राज्य आवास बोर्डों आदि को ऋण देती है जो लोगों को बेचने के लिये मकानों का निर्माण करते हैं । राज्य आवास बोर्डों आदि को पुनः भुगतान की अधिक से अधिक अनुज्ञ अवधि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए योजना के बारे में 20 वर्ष; निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये योजना हेतु 15 वर्ष तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिये योजना हेतु 12 वर्ष है ।

3. कलकत्ता में 252 फ्लैटों के निर्माण का कार्य आवास तथा नगर विकास निगम समिति द्वारा, एक विशेष मामले के तौर पर हाथ में लिया गया था और निगम ने इसे 'सीधी बिक्री" के आधार पर बेचने का निर्णय किया । अतः निगम द्वारा एक विशेष मामले के तौर पर, हाथ में लिये गये इस निर्माण कार्य और राज्य आवास बोर्डों आदि के लिये वित्त व्यवस्था करने के इस सामान्य कार्य से तुलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

नारायण बिहार में स्थानीय खरीदारी केन्द्र

3768. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारायण बिहार (नरेणा आवासीय योजना) के ए० तथा बी० ब्लाकों के निवासियों को इस क्षेत्र में कोई स्थानीय खरीदारी केन्द्र न होने के कारण अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या ए० तथा बी० दोनों ही ब्लाकों के निवासियों की आवश्कतायें पूरी करने के लिये ए० ब्लाक में उक्त केन्द्र बनाने की व्यवस्था की गई थी तथा इस प्रयोजन के लिये भूमि भी अधिगृहित की जा चुकी है ;

(ग) निवासियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दि० वि० प्रा० का विचार वहां उक्त केन्द्र कब तक बनाने का है; और

(घ) क्या दि० वि० प्रा० उक्त क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को प्रोत्साहन दे रहा है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं । पणन सुविधाएं पड़ोस में उपलब्ध हैं ।

(ख) ए० तथा बी० ब्लाकों के विन्यास नक्शे में पणन केन्द्र के लिये एक स्थान का निर्धारण किया गया है । इस स्थान का मुख्य भाग अधिगृहित किया गया है । तथापि, कुछ भाग का अधिग्रहण करना अभी भी शेष है ।

(ग) स्थानीय पणन केन्द्र की योजना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा समस्त क्षेत्र का अर्जन करने संबंधी प्रक्रिया के पूर्ण होने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

(घ) जी, नहीं ।

नए विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय अनुदान

3769. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि किसी विश्वविद्यालय को तब तक केन्द्रीय अनुदान नहीं मिलेगा जब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वास न हो जाये कि विश्वविद्यालय की स्थापना विभिन्न आधारों पर पूर्णतया न्यायोचित है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या मापदंड अपनाए गए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1972 की धारा 12(क) के अधीन केन्द्रीय सरकार, आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार से धन प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन द्वारा किसी ऐसे विश्वविद्यालय को, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के पश्चात् स्थापित किया गया हो, तब तक अनुदान नहीं दिया जाएगा जब तक आयोग यथानिर्धारित बातों से स्वयं को संतुष्ट करके उक्त विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित न कर दे । उन नियमों को, जिनके अधीन आयोग किसी विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त करने के लिये पात्र घोषित कर सकता है, सरकार द्वारा अब अधिघोषित कर दिया गया है । तत्संबंधी सरकारी अधिसूचना की एक प्रति सदन में रखी जा चुकी है ।

लारेंस रोड आवासीय योजना, दिल्ली के अधीन प्राप्त फ्लैटों की दोबारा बिक्री

3770. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को पता चला है कि लारेंस रोड आवासीय योजना दिल्ली के अन्तर्गत प्राप्त फ्लैटों की 'पावर आफ अटार्नी' देकर और घोखाधड़ी के अन्य तरीकों से बड़ी संख्या में दोबारा बिक्री की जा रही है ;

(ख) क्या लारेंस रोड रेजिडेन्ट्स वैल्फेयर फैडरेशन ने वहां विद्यमान उक्त कदाचारों की ओर कई बार दिल्ली विकास प्राधिकरण का ध्यान दिलाया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) फैडरेशन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में कोई विशिष्ट मामले नहीं लाए गए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास आयुक्त के साथ इन्टरव्यू

3771. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लारेंस रोड रेजिडेन्ट्स वैलफेयर फैडरेशन ने अपने 8 मार्च, 1974 के पत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन से इंटरव्यू मांगा था ;

(ख) क्या फैडरेशन को दिल्ली विकास प्राधिकरण के आयुक्त (आवास) से इंटरव्यू मांगने का परामर्श दिया गया था ;

(ग) क्या आयुक्त (आवास) को उक्त फैडरेशन से 27-5-74 और 4-7-74 के पत्र मिले थे; और

(घ) क्या वाइस चेयरमैन अथवा आयुक्त (आवास) ने इंटरव्यू की अनुमति दी थी; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) ये पत्र आवास आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त हुए प्रतीत नहीं होते ।

(घ) उपाध्यक्ष के कार्यालय ने फैडरेशन को आवास आयुक्त से मिलने की सलाह दी थी । लेकिन फैडरेशन द्वारा आवास आयुक्त को लिखे गये पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त हुए प्रतीत नहीं होते।

Imposition of Levy on Farmers in Rabi Season of 1975

3772. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to impose levy on farmers again in the rabi season of 1975 ;

(b) if so, whether various State Governments have also been consulted in this regard; and

(c) whether innocent persons are harassed through levy and if so, the measures proposed to be taken to avoid this harassment ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) The procurement policy for the rabi marketing season 1975-76 will be finalised at the time of harvest of the next crop. The policy is generally determined in consultation with the State Governments.

(c) No, Sir.

Gandak Canal

3773. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Agriculture and Lrigation** be pleased to state :

(a) whether the Gandak Canal has breached at several places due to rains and floods in 1974 ;

(b) if so, whether the paddy crop has been damaged due to non-availability of water in Hathia as a result thereof ;

(c) whether there is no possibility of water becoming available for the rabi crop; and

(d) the reaction of the Central Government in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) to (d) There was heavy rainfall in the upper reaches of Gandak Canal on 10th and 11th September, 1974. All the rivers were in spate and the whole area was flooded. The Tirhut main canal, Triveni Canal and Don Canal were cut at a number of places by the cultivators. The flood spill and accumulated water which got into these canals breached them at few places. The cuts and breaches were repaired after the rains and water was supplied in Hathia season in Don Canal, Triveni Canal and head reaches of Tirhut Canal. The question of damage to crops due to non-availability of water does not therefore, arise.

Water will be available in the Gandak Canal system for rabi irrigation.

उड़ीसा में बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

3774. **श्री गजाधर मांझी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वे बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कौन सी हैं जिन्हें पांचवीं योजना में शामिल किया गया है; और

(ख) इन परियोजनाओं की नवीनतम अनुमानित लागत क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (ख) उड़ीसा के पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। बहरहाल, राज्य सरकार ने पांचवीं योजना में किसी नई बृहत् सिंचाई परियोजना को हाल में लेने का प्रस्ताव नहीं किया है। इस समय निर्माण की जा रही तीन बृहत् सिंचाई परियोजनाएं नामश: महानदी डेल्टा, सालन्दी और आनन्दपुर बराज पांचवीं योजना के दौरान जारी रहेंगी। इन परियोजनाओं की अद्यतन अनुमानित लागत महानदी के लिये 68.38 करोड़ रुपय, सालन्दी के लिये 16.00 करोड़ रुपये, और आनन्दपुर बराज के लिये 21.94 करोड़ रुपये हैं।

Earnings of F. C. I.

3775. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the total value of foodgrains purchased by the Food Corporation of India in different States during the year 1972-73 ;

(b) the profit earned by the Food Corporation of India therefrom; and

(c) whether the income of this Corporation is adequate to meet the annual expenditure on the salaries of the employees as well as the rent of the godowns for storing foodgrains?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasahed P. Shinde): (a) The total value of foodgrains and foodstuff purchased by the Food Corporation of India in the different States during the year 1972-73 was about Rs. 897 crores.

(b) The profit of the Corporation for the year 1972-73 was Rs. 0.71 crores.

(c) The Corporation earns marginal profit on its commercial activities and a substantial portion of its activities are on Central Government account on 'No loss no profit' basis. The expenses incurred on the salaries of the employees as well as on the rent of the godowns for storing foodgrains are charged proportionately to the respective operations for Central, State and other commercial transactions of the Corporation.

कटिहार के निकट बहुप्रयोजनीय बांध के निर्माण के बारे में तकनीकी समिति का प्रतिवेदन

3776. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री 21 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 3019 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच राज्य सरकार की प्रतिक्रिया मिल गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या तकनीकी समिति ने गाद जमा न होने देने के लिये केवल बांध और बैरेज बनाये जाने की बजाय बाढ़ निवारण के लिये, सिंचाई के लिये और बिजली उत्पादन के लिये कटिहार के समीप बहुप्रयोजनीय बांध के निर्माण के प्रस्ताव की जांच कर ली है अथवा अभी करनी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा कोसी तकनीकी समिति का गठन पूर्वी कोसी नहर की गाद-समस्या के प्रश्न की जांच करने के लिये किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1973 में प्रस्तुत कर दी थी, बिहार सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना इंजीनियरों द्वारा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है और इसके परिणाम आशाप्रद हैं।

समिति द्वारा सुझाए गए दीर्घकालीन उपायों में कोसी नदी की ऊपरी पहुंचों में गाद-संचय के लिये एक उच्च बांध के लिये अन्वेषण करना सम्मिलित है। बहरहाल, नेपाल क्षेत्र में कोठार के निकट कोसी नदी पर एक बहूद्देश्यीय उच्च बांध के अन्वेषण करने का प्रस्ताव नेपाल सरकार की सहमति तथा संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के कार्यकरण की जांच

3777. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के कार्यकरण की जांच कराई है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में सरकार को किस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगा है; और

(ग) यदि संस्थान की कुछ त्रुटियों का पता चला है तो उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विजिटर की हैसियत से, भारत के राष्ट्रपति ने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के कार्य तथा प्रगति की समीक्षा करने के लिये मार्च, 1970 में एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1972 में प्रस्तुत की।

(ख) समिति द्वारा इस अवधि में कोई अनियमितताएं नहीं बताई गई थीं।

(ग) पुनरीक्षण समिति तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद की सिफारिशों के आधार पर, विजिटर द्वारा अनुमोदित कार्रवाई की एक योजना को सितम्बर, 1974 में संस्थान को भेज दिया गया था ।

Implementation of Delhi School Education Act, 1973

3778. **Shri B. S. Chowhan :**
Shri D. P. Jadeja :

Will the Minister of **Education, Social Welfare And Culture** be pleased to state :

(a) whether Delhi School Education Act, 1973 has been enforced from 1st January last;

(b) whether the medical facility, travelling allowance, pension and gratuity provided in the Act, have been withheld; and

(c) the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P Yadav): (a) Certain provisions of the Delhi School Education Act, 1973 were enforced with effect from 28-4-1973, while others with effect from 31-12-1973.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Selection Grade to Music Teachers in Delhi Administration

3779. **Shri B.S. Chowhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the music teachers under the Delhi Administration have not been given Selection Grade so far;

(b) whether separate lists of male and female music teachers have not been prepared so far as a result of which the female music teachers are experiencing inconveniences and

(c) if so, the time by which the Selection Grade is likely to be given to them and the separate lists are likely to be prepared?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P.Yadav): (a) According to the information furnished by Delhi Administration all the eligible music teachers in Government schools have been given selection grade.

(b) and (c) As there is a combined cadre for the male and female teachers no separate seniority lists for male and female teachers are being maintained. However, a writ petition for maintaining separate seniority lists for male and female teachers is pending in the High Court of Delhi and the whole matter is sub judice.

पश्चिम बंगाल को गेहूं के बीज और उर्वरक की सप्लाई

3780. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र को 10,000 टन गेहूं के बीज और अधिक उर्वरक देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रमुदास पटेल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने चालू वर्ष रबी मौसम में 6 लाख हैक्टार क्षेत्र में खेती करने के लिये 30,000 मीटरी टन गेहूं के बीज की मांग का अनुमान लगाया है । अखिल भारतीय बीज उत्पादन संगठनों अर्थात

तराई विकास निगम, राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम ने राज्य सरकार के संस्थानों को बीजों की सप्लाई की है। उन्होंने अपने निजी खुदरा व्यापारियों के जरिये 4,200 मीटरी टन प्रमाणित गेहूं के बीज बेचे हैं। हरियाणा सहकारी विपणन संघ को भी यह अधिकार दिया गया था कि वह पश्चिम बंगाल सरकार को अच्छी किस्म के बीज बेच सकता है। हरियाणा सहकारी विपणन संघ ने लगभग 2600 मीटरी टन अच्छी किस्म का गेहूं सप्लाई किया था। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकार को, बीज के लिये काम आने योग्य 10,000 मीटरी टन अच्छी किस्म का गेहूं सप्लाई किया है।

राज्य सरकार ने, उर्वरकों का और आवंटन करने तथा आवंटित मात्रा की तेजी से सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया था। उर्वरकों की सीमित उपलब्धि होने की वजह से, सभी राज्यों की स्वीकृत जरूरतों के मुकाबले में उर्वरकों के आवंटन में कटौती करनी पड़ी है। पश्चिम बंगाल सरकार को किये गये आवंटनों में किसी भी प्रकार की भारी वृद्धि करनी सम्भव नहीं थी, फिर भी मूलरूप से आवंटित की गई मात्रा के अतिरिक्त, 1974 में दुर्गापुर स्थित भारतीय उर्वरक निगम प्लांट से 2,000 मीटरी टन यूरिया का आवंटन कर दिया गया था। आवंटित मात्रा की सप्लाई को गतिमान करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हो गया और 31 अक्तूबर, 1974 की स्थिति के अनुसार पूल और विनिर्माताओं से होने वाली कुल सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक थी। उस तिथि तक उतनी सप्लाई हो गई थी जितनी होनी चाहिए थी।

बिजली मिस्त्री तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रीशियन्ज के वेतनमानों में असंगति

3781. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले तथा दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार मुद्रणालय में बिजली मिस्त्रियों के वेतनमान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रीशियन्ज से ऊंचे थे ;

(ख) क्या श्रेणीकरण समिति ने भारत सरकार मुद्रणालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्रमश: मिस्त्रियों तथा इलेक्ट्रीशियन्ज के वेतनमानों की असंगति दूर कर दी थी ;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रीशियन्ज के वेतनमान 1-4-1962 से 110-180 रुपये से बढ़ाकर 150-205 रुपये कर दिये परन्तु भारत सरकार मुद्रणालय के इलेक्ट्रीशियन्ज को समिति की सिफारिशों के अनुसार यह वृद्धि नहीं मिल सकी ; और

(घ) क्या जे० सी० की 14 अगस्त, 1972 की बैठक में सुनिश्चित कराया गया था कि मुद्रणालयों के इलेक्ट्रीशियन्ज को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रीशियन्ज के समान वेतन दिया जाएगा और यदि हां, तो असंगति दूर करने के लिये आदेश जारी करने में कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, हां; परन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रीशियनों का वेतनमान 1-4-1962 से पुनरीक्षित किया गया था तथा यह मुद्रणालयों में बिजली मिस्त्रियों के वेतनमान से अपेक्षाकृत अधिक हो गया।

(ख) वर्गीकरण समिति ने केवल यह सिफारिश की थी कि यदि अर्हताएं और ड्यूटी एक ही प्रकार की हों तो मुद्रणालयों के कर्मचारियों का वेतनमान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान के बराबर होना चाहिए। वर्गीकरण समिति के बनने से काफी पहले सन् 1966 में मुद्रणालयों के बिजली मिस्त्रियों का पदनाम बदल कर इलेक्ट्रीशियन कर दिया गया था।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रीशियन का काडर, मुद्रणालयों के इलेक्ट्रीशियनों से पूर्णतया भिन्न है। तथापि, यह सही है कि 1-4-1962 से यद्यपि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रीशियनों का वेतनमान संशोधित कर 150-205 रुपये किया गया था लेकिन भारत सरकार के मुद्रणालयों के इलेक्ट्रीशियनों के वेतनमान जो थे वही रहे अर्थात 125-180 रुपये।

(घ) अगस्त, 1972 की संयुक्त परामर्शदाता समिति की बैठक में मुद्रणालय के इलेक्ट्रीशियनों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रीशियनों के बराबर वेतनमान देने के सिद्धांत को सामान्य-तौर पर स्वीकार किया गया। ड्यूटियों का स्वरूप तथा अर्हताएं विचाराधीन हैं। सरकार शीघ्र ही निर्णय ले लेगी।

शिशु आहार की कमी

3782. **श्री नुरूल हुडा :**

श्री अनादिचरण दास :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश भर में विशेषतया पश्चिम बंगाल में, शिशु आहार की निर्बाध उपलब्धता के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : नये यूनिट लगा कर अथवा मौजूदा यूनिटों में विस्तार कर, जैसा भी व्यवहार्य हो, क्षमता पैदा कर शिशु आहार की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में डेरी विकास संबंधी व्यापक उपाय किए जा रहे हैं ताकि अधिक मात्रा में दूध प्राप्त हो सके। पश्चिमी बंगाल में शिशु आहार की उपलब्धता में सुधार करने के लिये शिशु आहार की अतिरिक्त मात्रा की व्यवस्था की जा रही है।

चूहों के कारण फसल को क्षति

3783. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान के अनुसार देश में 1000 करोड़ चूहे प्रति वर्ष अनुमानत: 26,000,000 टन खाद्यान्न खा जाते हैं ;

(ख) क्या कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार चूहे प्रति वर्ष एक आदमी का भोजन खा जाते हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने हाल ही में आयोजित विचार गोष्ठी में यह कहा था कि मानव को भूख के अभिशाप से बचाने हेतु चूहों का खात्मा करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (घ) चूहों की संख्या का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। चूहों की संख्या के संबंध में भिन्न भिन्न अनुमान लगाए गए हैं। इस बात को मानते हुए कि एक चूहा प्रतिदिन एक औंस अन्न खाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 6 चूहे वर्ष भर में एक आदमी का अन्न खा सकते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता

परिषद् के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत यह सुझाव दिया गया है कि आहार की क्षति को रोकने के लिये चूहों को मारने का अभियान चलाना जरूरी है। भारत सरकार ने चूहा नियन्त्रण अभियानों के विषय में सलाह देने व इस सम्बन्ध में समन्वय करने के लिये हाल ही में एक केन्द्रीय कृन्तक नियंत्रण सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। राज्य सरकारें चूहों के विनाश के लिये अभियान चला रही हैं। चूहों के नियन्त्रण की समस्या का निश्चय ही विस्तार-शिक्षा से सम्बन्ध है, क्योंकि इसकी तकनीकों के सम्बन्ध में काफी सामग्री उपलब्ध है।

Allotment of Land to Scheduled Caste/Tribes in Rajasthan Canal Area

3784. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to scheduled castes, scheduled tribes, adivasis and backward classes to whom land has been alloted so far along with Rajasthan canal indicating the locations of the land so allotted; and

(b) the full facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Argiculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) & (b) The necessary information is being collected from the State Government and will be placed on the table of the Sabha, when received.

आयात लाइसेंस कांड सम्बंधी केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *Re* : CBI REPORT ON IMPORT LICENCE CASE

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री,इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): कई दिनों से इस सभा में गरमागर्म बहस हुई हो रही है। यह हम सब के लिये आवश्यक है कि समूचे मामले को शांत मन से और सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। मेरे बोलने में प्रयत्न यही रहेगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट को प्रकट करने के प्रश्न पर सभा में कई घन्टे तक बहस हुई और इसके परिणाम-स्वरूप बहुत सी गम्भीर बातें सामने आई हैं जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया होगी। यह बड़े खेद का विषय है कि इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य ने, जो कानून की प्रक्रियाओं का आदर समय आये हैं, सभा की कार्यवाही को जबरन रोकने का निर्णय किया है। रुकावट के तरीकों को "सत्याग्रह" का नाम लेकर कम घातक नहीं कहा जा सकता। जनतंत्र का ढोल पीटने वाले कुछ लोग टकराव का वातावरण बना रहे हैं क्योंकि वे मूलत: प्रतिनिधि लोक तन्त्र के विरुद्ध हैं और लोगों के संसदीय प्रणाली में विश्वास के महत्व को कम कर रहे हैं। और वे सत्याग्रह का गलत तरीका अपना रहे हैं। सत्याग्रह के अस्त्र का उपयोग उस समय किया जाता है जब कि लोगों के पास अपनी इच्छा प्रकट करने का कोई और तरीका नहीं रहता। परन्तु हमारी राजनीतिक प्रणाली में इसका पूरा अवसर है। बार बार इस सभा की कार्यवाही में रुकावट डालने से हमारे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से सभा की कार्यवाही में रुकावट न डालने का अनुरोध करती हूं। इस माननीय सभा का सदस्य होने के नाते हम सब का यह कर्तव्य है कि किसी भी गुट को संसदीय प्रक्रिया में रुकावट न डालने दी जाये। विपक्ष भी इस बात को समझे कि देश में किसी प्रकार की बाधा न आये। महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों से, जिनसे लोग चिंतित हैं और जिनका लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, सम्बन्धित अवलिम्बनीय कानूनों के बनाने में देरी हो रही है।

मेरे सहयोगी केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सभा पटल पर न रखे जाने के कारण पहले ही बता चुके हैं। तथापि जनता के मन में सन्देह होना स्वाभाविक है और इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते और न ही हम रिपोर्ट को मात्र तकनीकी आधार पर सभा पटल पर रखने का विरोध कर रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक जांच प्राधिकरण है। अपराधी के विरुद्ध मुकदमे के दौरान जांच सम्बन्धी कागजातों को प्रकट करना न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक जांच अधिकारी को प्रतिदिन का जांच सम्बन्धी ब्यौरा रखना होता है। ज्योंही जांच अधिकारी अपनी जांच पूरी करता है उसे यदि किसी व्यक्ति पर अपराधों के लिये मुकदमा चलाना होता है तो उसके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत चार्जशीट अथवा यदि मामले को बन्द करना हो तो अन्तिम रिपोर्ट सम्बन्धित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अन्य किसी रिपोर्ट के पेश किये जाने की व्यवस्था नहीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के स्थाई आदेशों के अनुसार जांच अधिकारी को मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य का सार देते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। इस रिपोर्ट में केवल गवाहों के उन वक्तव्यों तथा उल्लेखों का सार है जिन्हें इस्तगासा ने मान्य किया है। और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अनुसार जांच के दौरान रिकार्ड किए गए वक्तव्य साक्ष्यों में अमान्य हैं तथा गवाह की बात को गलत साबित करने के लिये इनका सीमित उपयोग किया जा सकता है। जो साक्ष्य माना जाता है वह वे ब्यान होते हैं जो गवाह अदालत में देते हैं। ये अदालत में कार्यवाही के दौरान पेश किए जाते हैं और सिद्ध किए जाते हैं। अतः यदि इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाए तो होने वाली बहस अवश्य ही चलने वाले मुकदमे पर होगी, जिससे न केवल न्याय ही ठीक प्रकार से होगा, बल्कि इससे संसद और अदालतों के बीच संघर्ष भी आरम्भ हो सकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहते हैं। इन कारणों से सी० बी० आई० के, जिसने कि अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए ख्याति प्राप्त की है, लम्बे इतिहास में इसकी कोई रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी गई है।

अब जबकि चार्जशीट, जोकि काफी विस्तृत है, कि एक प्रति दे दी गई है, तो रिपोर्ट की प्रति की मांग पर इतना समय क्यों नष्ट किया जा रहा है? क्या इससे यह संकेत नहीं मिलता कि इस मांग के पीछे मामले पर उचित मांग करना नहीं बल्कि किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति है। यह खेदजनक बात है कि कुछ राजनीतिक लाभ के लिए कुछ प्रतिपक्षी सदस्य ऐसे नए पूर्व उदाहरण को कायम कर रहे हैं जिससे सी० बी० आई० के लिए भविष्य में काम करना कठिन हो जाए।

मैंने वे कारण बताए हैं कि क्यों इस रिपोर्ट को सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता। परन्तु सभा के भीतर और बाहर किए जा रहे अनुचित प्रचार की और प्रतिपक्षी सदस्यों के विचारों को समझते हुए और साथ में कानून को दृष्टि में रखते हुए सरकार इस सुझाव को मानने को तैयार है कि प्रतिपक्षी के नेता, गोपनीयता की शपथ लेकर, सी० बी० आई० की रिपोर्ट, साक्षियों के ब्यान और जांच के दौरान पकड़े गए दस्तावेज और हस्तलेख विशेषज्ञों की रिपोर्ट और केस डायरियों को, जोकि अभियुक्तों को भी नहीं दिखायी जाती, देख सकते हैं। ऐसा करने में हमारी झिझक का कारण यह था कि भविष्य में लोग जानकारी देने से डरें नहीं। मुझे पूरी आशा है कि यह उचित और व्यावहारिक पेशकश स्वीकार कर ली जाएगी। यदि वे इसे भी अस्वीकार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार कोई चीज छिपाना नहीं चाहती। बल्कि अनेक प्रतिपक्षी दल सच्चाई या न्याय में दिलचस्पी नहीं रखते और वे संकीर्ण दलगत उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं।

इन स्थिति में, हम सब को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रहकर कार्य करना चाहिए। इस जिम्मेदारी की पहली बात है कि संसद को कार्य करना चाहिए। संसद को

निष्प्रभावी बनाकर लोकतंत्र को चलाया नहीं जा सकता। मेरी आप से प्रार्थना है कि ऐसे कोई तरीकों का उपयोग न किया जाये जिससे देश में उच्च लोकतंत्रीय संस्था यथा संसद के आधार को क्षति पहुंचे। यह नहीं कहा जाना चाहिए कि पीढ़ियों की उपलब्धि नाराजी के एक क्षण में ध्वस्त हो गई।

श्री मोरार जी देसाई (सूरत) : मुझे प्रधान मन्त्री का भाषण सुनकर दुख हुआ है जिसमें उन्होंने मेरे तथा विपक्षी सदस्यों के प्रति व्यंग्यात्मक शब्द कहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह सत्याग्रह संसद में एक अभूतपूर्व कदम है। यदि सरकार इस स्थिति को समझने का कष्ट करती है तो मुझे विश्वास है कि कोई भी यह नहीं कहेगा कि हम गैर जिम्मेदाराना कदम उठा रहे हैं अथवा संसद के कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। वास्तव में हमें ऐसी कार्यवाही करने पर मजबूर किया गया है क्योंकि हमें अपने कर्तव्य का पालन करने से रोका जाता है, निश्चय ही सरकार बहुमत से चलती है क्योंकि यहां संसदीय लोकतंत्र है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार से कोई गलती हो ही नहीं सकती है और सारी बुद्धिमानी उसके पास है।

यह भ्रष्टाचार और लाइसेंस कांड का एक असाधारण मामला है, यदि हम रहस्योद्घाटन करने में असफल रहते हैं तो भावी पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी और संसद अपना महत्व खो बैठेगी, संसद की श्रेष्ठ परम्पराओं को बनाए रखने के लिये हमने यह कार्यवाही की है। यदि वे चाहते हैं कि इन्हें सभा-पटल पर न रखा जाये तो इन दस्तावेजों को, जिनका उल्लेख प्रधान मन्त्री ने किया है, अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में विभिन्न दलों के नेताओं की समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए। इस समिति में निश्चय ही सरकार के प्रतिनिधि होंगे और यह समिति निर्णय करेगी कि क्या कार्यवाही अपेक्षित है।

यदि इस समिति को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं मिलता है तो उसे दस्तावेज दिखाने का क्या लाभ होगा। यदि विपक्षी सदस्यों के मन में सरकार के इरादों के प्रति संदेह उठता है तो इसके लिये सरकार का आचरण जिम्मेदार है, जहां तक सदस्यों के आचरण का प्रश्न है, संसद को उस पर कार्यवाही करने का अधिकार है, संसद अपने कर्त्तव्य से पीछे नहीं हट सकती है, इसीलिये हमने आरम्भ में ही कहा था कि इन दस्तावेजों को सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए।

हमने ऐसा करने के लिये सरकार को तभी कहा जब उसने यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि जांच कार्यवाही समाप्त होने पर वे अग्रेतर कार्यवाही करने के लिये संसद को विश्वास में लेंगे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि संसद को यह आश्वासन दिया गया था कि उनको सभी दस्तावेज दिखाये जायेंगे और उनकी सलाह लेने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी ? सरकार ने सदन में मामला उठाने के बदले उस दिन न्यायालय में मामला दायर किया जिस दिन संसद का अधिवेशन आरम्भ हुआ और कह दिया कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

मैंने सत्याग्रह करना महात्मा गांधी से सीखा है। सत्याग्रह केवल राजनीतिक मामलों के लिए ही नहीं किया जाता अपितु न्याय पाने तथा सत्य के लिये भी सत्याग्रह किया जाता है, उन्होंने यह विचार दर्शन दिया है। संसद में विपक्ष को पूरी तरह से शक्तिहीन कर दिया गया है और इस मामले में संसद की अवहेलना की गई है। इस मामले को विपक्ष ने बहुत ही सावधानी और गम्भीरता से सोचना है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें इसका समाधान करना है अन्यथा संसद एक मजाक बन कर रह जायेगा। संसद के इस अधिकार और इसकी श्रेष्ट परम्पराओं को बनाए रखने के लिये हमने यह असाधारण कदम उठाया है।

यह मामला न्यायालय में दायर किया गया है और यह चलता रहेगा। यदि हमें कोई कार्यवाही करने से पूर्व न्यायालय में मामले के निर्णय होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी तो सम्भवतः हमें बारह वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा और उस समय तक अनेक संसदें आ चुकी होंगी। तब उस पर कार्यवाही करने के लिए कौन समर्थ होगा ? यह संभव नहीं है, यह व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं है।

इस बारे में न्यायालय के साथ संघर्ष का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि संसद इस समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगी। इसमें हर बात बताना आवश्यक नहीं है, केवल यह बताया जाएगा कि क्या कार्यवाही की जाए। यदि कोई दांडिक कार्यवाही की जानी है तो वह सरकार करेगी, सरकार इस बारे में सलाह देगी। फिर यह केवल मंत्रियों सहित सभा के सदस्यों से संबंधित होगा, हमें बाहरी लोगों के बारे में कुछ नहीं करना है। हमने यह मांग कभी नहीं की कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के दस्तावेज सभा-पटल पर रखे जायें परन्तु जब यह संसद की कार्यवाही से संबंधित है तब इसका प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो जाता है। सरकार के कोई भी गोपनीय कागजात संसद से गोपनीय नहीं रखे जा सकते। संसद की सत्ता सरकार के ऊपर है। यदि सरकार इस बात को नहीं समझती तो यह संसदीय लोकतंत्र के लिए दुख का दिन होगा। इस लिए मैंने पूरी गंभीरता के साथ समूचे मामले को प्रधान मन्त्री के समक्ष विचारार्थ रखा। यह कार्यवाही जिम्मेदारी की भावना से रहित नहीं है। मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री जी ने इस कदम को गैर-जिम्मेदाराना बताया है। हमने यह कार्यवाही सरकार के राजनीतिक उन्माद को रोकने के लिए की है। मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री कभी न कभी इस बात को समझेंगी। सत्ता प्रत्येक को उन्मादी बना देती है। विपक्ष का कार्य सरकार को उन्मादी बनने से रोकना है। इस समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने का उद्देश्य उसके द्वारा सभा के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करना है, यह समिति न्यायालय के इस मामले में निर्णय देने तक इंतजार नहीं कर सकती। आपने स्वयं यह निर्णय दिया है कि इसमें न्यायालय के साथ संघर्ष होने का प्रश्न नहीं है। इस लिए सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। हमें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है कि यह समिति इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती और उसे न्यायालय द्वारा इस मामले में निर्णय दिए जाने तक इंतजार करना पड़ेगा। यदि उसे कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाता है तो हमें यह प्रस्ताव स्वीकार है, हमें मालूम हुआ है कि सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और हम अपनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं। मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री साफ-साफ शब्दों में स्थिति को स्पष्ट करें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे राज्य सभा में बुलाया गया है।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : रिपोर्ट के अध्ययन के बाद जो कार्यवाही की जाएगी उसके बारे में प्रधान मन्त्री ने कुछ नहीं कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पिछले अधिवेशन से हमारी मांग रही है कि संसद की एक समिति द्वारा जांच होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले मांग यह रखी गई थी कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि प्रधान मन्त्री इस पर पुनर्विचार करें और यह प्रधान मन्त्री पर है कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें या न दें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने अपने वक्तव्य में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

(व्यवधान)

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : हम चाहते हैं कि कार्यवाही अवश्य की जाए। वह क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

Shri Madhu Limaye (Banka) : Shri Morarji Desai has stated that if any Member is found guilty, the Parliament has a right to investigate against him. What is the stand of the Prime Minister in this respect?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या प्रतिवेदन केवल अध्ययन के लिए ही दिया जाएगा या उस पर कार्यवाही भी हो सकती है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि इसे केवल अध्ययन के लिए ही दिया जाता है तो इससे किस उद्देश्य की पूर्ति होगी ?

(व्यवधान)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस महत्वपूर्ण मामले में कोई गलतफहमी नहीं बनी रहनी चाहिए। विपक्ष की मांग स्पष्ट है कि यदि रिपोर्ट और दस्तावेजों के अध्ययन के पश्चात यह ज्ञात हो कि कुछ अन्य संसद सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए तो विपक्ष को उन दस्तावेजों के देखने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर आगे बहस की गुंजाइश नहीं रही **(व्यवधान)** प्रधान मन्त्री को अब और कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें राज्य सभा में जाना है।

श्री पी० जी० मावलंकर : हम संसदीय समिति की मांग करते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसके अतिरिक्त हमारे लिये और कोई चारा नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मन्त्री के उत्तर न देने का अर्थ है कि वह रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की जायगी। **(व्यवधान)**

आयात लाइसेंस कांड के बारे में श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न
Question of Privilege Against Shri L. N. Mishra Regarding Import Licence Case

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं (**व्यवधान**) वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। (**व्यवधान**)

वक्तव्य

सभा को याद होगा कि मैंने 28 अगस्त, 1974 को प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये कुछ आरोपों के स्पष्टीकरण करने के लिये सभा में एक व्यक्तिक स्पष्टीकरण दिया था। दो मुख्य आरोप थे (1) कि मैंने 21 सदस्यों की सिफारिश पर लाइसेंस दिये थे और (2) कि मैंने ज्ञापन बनवाया था जाली ढंग से अपने कार्यालय अथवा निवास स्थान पर बनवाया।

अपने बयान के पहले भाग में मैंने कहा था कि "मुझे याद आता है कि कुछ सदस्यों के हस्ताक्षरों वाला एक ज्ञापन मुझे मिला था जब मैं विदेश व्यापार मन्त्री था। जहां तक मुझे याद है, मैंने

वह पत्र सम्बंधित अधिकारी को भेज दिया था जैसे कि सामान्यत: किया जाता है। मैंने कोई आदेश नहीं दिया था और न ही मैंने अपने उस मंत्रालय में कार्यकाल के दौरान कोई लाइसेंस दिया था।" इस प्रकार यह देखा जायेगा कि मैंने कहा था कि ये लाइसेंस मैंने विदेश व्यापार मंत्रालय के अपने कार्यकाल में जारी नहीं कराये थे और न ही मैंने कोई आदेश दिये थे।

यह बयान तथ्यों पर आधारित हैं और ठीक हैं और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की चार्जशीट में इसकी पुष्टि होती है। चार्जशीट के तथ्यों को लें तो यह पायेंगे कि अभ्यावेदन 22-11-1972 को दिया गया था और सी० सी० आई० ई० को 24-11-1972 को भेजा गया। मैं 5-2-1973 से विदेश व्यापार मंत्री नहीं रहा था। 22-2-1973 को, जबकि मैं इस विभाग का मन्त्री नहीं रहा, तो पांडेचेरी के नियन्त्रक की रिपोर्ट पर विचार किया गया और आगे की कार्यवाही की गई और जिसके फलस्वरूप ये लाइसेंस दिये गये। इन लाइसेंसों को देने का निर्णय 9-9-1973 को किया गया, अर्थात, मेरे इस मंत्रालय को छोड़ने के सात महीने बाद और वस्तुत: लाइसेंस बहुत बाद में दिये गये। मेरे सहयोगी वाणिज्य मन्त्री ने 9-9-1974 को सभा में परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य दिया है कि ये लाइसेंस कैसे दिये गये और उसका औचित्य क्या है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने श्री एन० के० सिंह, ओ० एस०डी० द्वारा सम्बंधित फाइल पर लिखे गये नोट का बहुत उल्लेख किया है (इस नोट का उल्लेख चार्जशीट में है)। इस नोट की तारीख 5-2-1973 है अर्थात वह तारीख जिस से मैं विदेश व्यापार मंत्री नहीं रहा। चूंकि यह कहा गया है कि मेरे 28 अगस्त, 1974 के सभा में दिये बयान के यह नोट विपरीत है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह धारणा रखना निराधार है। इस नोट के होते हुए भी मैं पूरे जोर से कहना चाहता हूं कि इस नोट को किसी भी रूप में लाइसेंस देने का आदेश नहीं कहा जा सकता। वास्तव में, जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि इस नोट के लिखे जाने के सात महीने बाद लाइसेंस देने का आदेश दिया गया था। मैं लम्बे अर्से से मन्त्री हूं और जानता हूं कि किसी मन्त्री को अपने पद से हटते समय किसी लम्बित मामले पर निर्णय नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैंने सी० बी० आई० के जांच अधिकारी को भी इस विषय पर अपना बयान दे दिया है। यह आरोप कितना हास्यास्पद है और इस का चार्जशीट से पता चलेगा कि मैंने यह ज्ञापन तैयार कराया और इसे अपने कार्यालय या निवास स्थान पर जाली रूप में बनवाया। यह आरोप लगाने वालों की मन घड़ंत बात है। मैं पुन: कहना चाहता हूं कि मेरा 28 अगस्त, 1974 का वक्तव्य पूर्णत: ठीक है और किसी रूप में चार्जशीट के विपरीत नहीं है।

दोषपत्र में उल्लिखित श्री तुलमोहन राम के कुछ वक्तव्यों के सम्बन्ध में सभा को यह मालूम होगा कि श्री तुलमोहन राम ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न लोगों से जो कुछ कहा है उसके बारे में बताना मेरा काम नहीं है।

जहां तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस कथन का सम्बन्ध है कि मैंने अपने स्वर्गीय पिता की यादगार में एक स्कूल के निर्माण के बारे में सभा को गुमराह किया है, 9 सितम्बर, 1974 को श्री वाजपेयी ने सभा में कहा कि श्री तुलमोहन राम अपने गांव सरौनी में मेरे पिताजी की स्मृति में एक स्कूल का निर्माण कर रहे हैं। अपने 20 नवम्बर, 1974 के वक्तव्य में श्री वाजपेयी ने उस स्कूल का स्थान बदलकर मेरे गांव में कर दिया।

4 दिसम्बर, 1974 को श्री वाजपेयी ने एक दस्तावेज से उद्धरण पेश किया जिसे उन्होंने 22 फरवरी, 1973 को स्कूल प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवाही से सम्बन्धित बतलाया। इस

दस्तावेज के अनुसार बैठक में श्री तुलमोहन राम ने सुझाव दिया कि स्कूल का नाम रेल मन्त्री के स्वर्गीय पिता श्री रवीन्द्र नाथ मिश्र के नाम पर रखा जाये। मेरे पिता जी का नाम पंडित रविनन्दन मिश्र है न कि रवीन्द्र नाथ मिश्र।

जिस दस्तावेज से श्री वाजपेयी ने उद्धरण दिया है, उसके अनुसार श्री तुलमोहन राम ने कहा कि उन्होंने मेरे साथ इस विषय पर बात की है। श्रीमान ! श्री तुलमोहन राम के वक्तव्यों के बारे में बताना मेरा काम नहीं है। श्री तुलमोहन राम ने कभी भी इस सम्बन्ध में मेरे साथ बातचीत नहीं की।

स्पष्टतया श्री वाजपेयी यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री तुलमोहन राम का मेरे पिता जी के नाम पर स्कूल खोलने के कथित प्रस्ताव का सम्बन्ध किसी न किसी तरह से विचाराधीन लाइसेंसों को जारी करने के प्रश्न से है। श्रीमान जी ! जिस तारीख को अर्थात 22 फरवरी, 1974 को श्री तुलमोहन राम ने यह प्रस्ताव किया था, तब मैं रेल मन्त्री था न कि विदेश व्यापार मन्त्री। उस तारीख तक ये लाइसेंस प्रकाश में नहीं थे और जैसाकि सभा को ज्ञात है कि इन लाइसेंसों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय 9 सितम्बर, 1973 अर्थात मेरे विदेश व्यापार मंत्रालय को छोड़ने के कई दिन बाद और स्कूल की कथित बैठक के बहुत समय बाद लिया गया था।

स्कूल समिति की बैठक की तथाकथित कार्यवाही के अनुसार जिसका कि श्री वाजपेयी ने उल्लेख किया है, बैठक में स्कूल के नाम पर ही चर्चा हुई थी न कि उसके निर्माण पर।

हमारे परिवार में दिवंगत आत्मा के नाम की स्मृति में परिवार के संसाधनों में से ही धर्मार्थ प्रकार के सार्वजनिक भवनों का निर्माण करने की प्रथा रही है। तदनुसार ही लगभग गत 100 वर्षों में मेरे पड़दादा, दादा, दादी, पिता और माता की स्मृति में उन्हीं के नाम पर अस्पताल, स्कूल, सार्वजनिक ग्रंथालय और मन्दिरों का निर्माण कराया गया है। ये सभी संस्थान केवल अपने ही परिवार के संसाधनों से बनाये गये हैं और किसी भी मामले में चन्दा नहीं लिया गया है।

प्रस्ताव के नोटिस पर आरंभिक टिप्पणियां करते हुए विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के कई निराधार और राजनीतिक आधार पर ऐसे मामले उठाये हैं जिनका इस मामले से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। उदाहरणार्थ यह कहा गया है कि 5-12-74 को श्री एस० एन० मिश्र ने स्पष्टत: कहा था कि मैंने फाईल पर 23-11-72 को टिप्पणी लिखी थी कि इस मामले की शीघ्रता से जांच की जाये। उन्होंने यह भी कहा है कि संसद सदस्यों को अभ्यावेदन मंत्री की टिप्पणी के साथ ही 24-11-72 को आयात और निर्यात के महानियंत्रक को प्रेषित किया गया था। इस आधार पर कि उन्होंने इस मामले में मेरी सांठ-गांठ होने का आरोप लगाने और विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का प्रयास किया है। मैं इस घृणित आरोप का खण्डन करता हूं। मैंने 23-11-1972 को, जबकि ज्ञापन पर जाली हस्ताक्षर किये गये थे, फाईल पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं लिखी थी। मेरे विरुद्ध आरोप को सिद्ध करने की अपनी उत्कण्ठा में श्री मिश्र ने अपनी और टिप्पणी की तिथियाँ आपस में मिला दी हैं। मैंने 23-11-72 की कथित टिप्पणी नहीं लिखी है। मुझे याद है कि मैंने तीन महीने पहले अर्थात अगस्त में एक टिप्पणी दी थी जिसका कानूनी मुद्दों के बारे में विधि मन्त्रालय में मामले की जांच करने से सम्बन्ध था। यह वह मामला था जिसमें कि न्यायालय में मुकदमा लड़ना था, न कि किसी व्यक्ति को सहायता देने के सम्बन्ध में।

मैं श्री एस० एन० मिश्र पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने जानबूझ कर तथ्यों को तरोड़ा मरोड़ा है और तिथियों और संदर्भ को मिलाया है। उनका यह आरोप कि मैंने 23-11-72 को इस मामले को दुबारा चालू करने का आदेश दिया था, नितांत गलत है।

विपक्ष के मेरे कुछ साथियों ने आरोप लगाया है कि मैं ही इस षड्यंत्र का कर्णधार हूं। तथ्यों और घटनाक्रम से सिद्ध हो गया है कि यह आरोप कितने निराधार हैं। इस षड़यंत्र के दौरान मेरे आचार और कार्यों का खुलकर विरोध किया गया है। श्री तुलमोहन राम ने अप्रैल, 1971 और अप्रैल, 1972 के दौरान मुझे दो अभ्यावेदन दिये थे। ये दोनों ही अभ्यावेदन मेरे अनुदेशों के द्वारा रद्द कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, मैंने यह भी निदेश दिया था कि मामले को अदालत में भेज दिया जाना चाहिए और तथाकथित भेदभाव के मामले सहित इसके सभी कानूनी पहलुओं की विधि मन्त्रालय के परामर्श से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। मैंने यह कार्यवाही की है। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि श्री एस० एन० मिश्र ने गलत तारीख के साथ जिस टिप्पणी का उल्लेख किया है उसका इसकी दृष्टिकोण से सम्बन्ध है।

जाली ज्ञापन पहले के बहुत से ज्ञापनों के रद्द किये जाने के बाद ही आया था। जहां तक इस जाली ज्ञापन का सम्बन्ध है, वस्तुस्थिति यह है कि इसे सम्बन्धित अधिकारी के भेजे जाने के बाद यह मेरे पास किसी निर्णय आदि के लिये नहीं भेजा गया है।

यह कहा गया है कि मेरे चार भूतपूर्व साथियों ने लाईसेंस जारी करने सम्बन्धी अनुरोधों को रद्द कर दिया था और मैंने उन्हें जारी कर दिया है। मुझे इस आरोप पर बड़ा आश्चर्य है। पहले तथ्यों से पता चलता है कि मेरा दृष्टिकोण क्या था।

श्री तुलमोहन राम की मुझ से घनिष्टता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि पहले दिये गये तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मैंने श्री तुलमोहन राम द्वारा बार बार किए गए अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया था। यदि मेरी इसमें कोई विशिष्ट रुचि होती तो विदेश व्यापार मंत्रालय में मेरे लिए इतनी लम्बी अवधि इस कार्य के लिये काफी थी।

एक अन्य प्रश्न यह उठाया गया है कि मैंने दिनांक 28-8-1972 की आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के इस सुझाव पर ध्यान नहीं दिया कि यदि सम्बन्धित पक्षों द्वारा अदालत में मुकदमा दायर किया गया तो इस मामले की पैरवी की जाये। यह बात सही नहीं है। वस्तुतः आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने अगस्त, 1972 में मेरे उसी मत को दोहराया था जोकि मैंने कभी मई, 1972 में व्यक्त किया था कि यदि सम्बन्धित पक्ष रद्द किए जाने को अदालत में चुनौती दें तो कानूनी सलाह लेकर मामले को अदालत में ले जाया जाना चाहिए।

अतः इस सब से स्पष्ट है कि प्रस्ताव का यह नोटिस नितान्त रूप से भ्रामक है और केवल मुझ पर कीचड़ उछालने की दृष्टि से यह अनुचित अभियान है। ये सभी आरोप और आक्षेप निराधार हैं और ये केन्द्रीय जांच ब्यूरो की चार्जशीट से ही गलत सिद्ध हो गये हैं जिस पर इस प्रस्ताव का नोटिस देने वाले निर्भर करते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

गुजरात पंचायत सेवा नियम 1974 और एक विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (3) के साथ पठित गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 323 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात पंचायत सेवा (राज्य सेवाओं के संवर्गों में पदोन्नति) नियम, 1974 की एक प्रति जो दिनांक 16 सितम्बर, 1974 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी०/207/पी० आर० आर० 1069/74 टी० एच० में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8698/74]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियम 1974 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता/सेवानिवृत्ति तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 4 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 447 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8699/74]

चीनी के लेवी मूल्य के बारे में वक्तव्य
STATEMENT *RE:* LEVY PRICE OF SUGAR

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : मैं चीनी के लेवी मूल्य के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । (व्यवधान)

वक्तव्य

श्री भोगेन्द्र झा ने 2 दिसम्बर, 1974 को सदन का ध्यान 'टाइम्स आफ इण्डिया' के पहली दिसम्बर, 1974 के अंक में प्रकाशित 'अत्यधिक विचलित' करने वाले इस समाचार की ओर दिलाया था, जिसके अनुसार भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री मरुथई पिलै ने मद्रास में 30 नवम्बर, 1974 को यह कहा था कि एक पखवाड़े के अन्दर लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि करने की घोषणा कर दी जाएगी और जब वे मुझे पिछले सोमवार दिनांक 25 नवम्बर, 1974 को मिले थे मैंने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था। श्री झा ने स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा था।

2. यह सच है कि भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन के अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य मुझे मिले थे और उन्होंने मुझ से गन्ने के मूल्य, निर्यात आदि से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर बातचीत की थी। मैंने उन्हें एक पखवाड़े के अन्दर लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि करने की घोषणा करने के बारे में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था जैसाकि दि टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ है। भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन से प्राप्त पत्र में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि एसोसियेशन के अध्यक्ष ने प्रेस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और उनका नाम गलत दिया गया है।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गुजरात) 1974-75
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GUJARAT) 1974-75

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं वर्ष 1974-75 के लिय गुजरात राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं। **(व्यवधान)**

तम्बाकू बोर्ड विधेयक
TOBACCO BOARD BILL

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तम्बाकू उद्योग का संघ के नियन्त्रण के अधीन विकास करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू उद्योग का संघ के नियंत्रण के अधीन विकास करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं। **(व्यवधान)**

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक
SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1974 पर खंडवार विचार, जो 2 दिसम्बर, 1974 को स्थगित कर दिया गया था, पुनः आरम्भ किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1974 पर खण्डवार विचार, जो 2 दिसम्बर, 1974 को स्थगित कर दिया गया था, पुनः आरम्भ किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 7

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं विभाजन चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : लाबी क्लीयर कर दी जाये ।

(व्यवधान)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं रेल मन्त्री के वक्तव्य से पहले ही व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता था । मैं तब भी खड़ा हुआ था ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है (**व्यवधान**) प्रधान मन्त्री ने वक्तव्य दे दिया तथा सभा में अगली कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है । द्वार खोल दिये जायें । इस शोर में न मैं कुछ सुन सका हूं और न रिपोर्टर कुछ सुन सके हैं । मुझे बताया गया है कि मद संख्या 7 के बारे में रिपोर्टर कुछ नहीं सुन सके हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप सत्तारूढ़ दल के साथ षड़यंत्र कर रहे हैं (**व्यवधान**)

(इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई)
(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen minutes past fourteen of the clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर अठारह मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई)
(The Lok Sabha reassembled after lunch at eighteen minutes past fourteen of the clock)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

आयात लाइसैंस काण्ड के बारे में
Re : IMPORT LICENCE CASE

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । मैं सब की बात सुनूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न (**व्यवधान**) प्रश्न काल के पश्चात प्रधान मन्त्री ने वक्तव्य दिया तथा उनके बाद श्री मोरार जी देसाई ने वक्तव्य दिया जिसके अन्त में उन्होंने प्रश्न किया कि क्या उक्त रिपोर्टों के बारे में संसदीय जांच और कार्यवाही पर प्रतिबन्ध होगा (**व्यवधान**) मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या इस बारे में आप अपना विनिर्णय देंगे ।

(**व्यवधान**)

श्री मोरारजी देसाई ने अपने वक्तव्य के अन्त में प्रधान मन्त्री से यह स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों को विपक्षी दल के नेताओं को केवल देखने के लिये उपलब्ध कराया जायेगा या उस पर आगे कार्यवाही भी की जायेगी । प्रधान मन्त्री ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया । इसके कारण कई माननीय सदस्यों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने चाहे किन्तु अध्यक्ष महोदय ने उन्हें नहीं सुना । (**व्यवधान**) मैंने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा किन्तु मुझे भी अनुमति नहीं दी गई । उसी स्थिति में कुछ मदों पर कार्यवाही चली किन्तु मेरे विचार से वह कार्यवाही अवैध थी क्योंकि श्री मोरारजी देसाई द्वारा उठाये गये प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं मिला था । अतः मेरी मांग है कि प्रधान मन्त्री उस आश्वासन के बारे में स्थिति को स्पष्ट करें अन्यथा अध्यक्ष महोदय उसको स्पष्ट करें ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : जिस बात की धमकी दी गई थी वही हमने आज सदन में देख ली है । विपक्षी दल सत्याग्रह कर रहा है (**व्यवधान**) विपक्षी दल के सदस्यों ने सभा में नारे लगाए हैं तथा अनेक नियमों को भंग किया गया है । इतना ही नहीं श्री मधुलिमये ने सभा पटल से पत्र उठाकर फाड़ दिये । (**व्यवधान**) सभी माननीय सदस्य तथा विशेषकर श्री मोरारजी देसाई जानते हैं कि यदि कोई मामला न्यायालय में पहुंच जाता है और उसके पश्चात् कुछ अन्य तथ्यों की जानकारी मिलती है तो माननीय सदस्य कह सकते हैं कि जांच एजेंसी उन तथ्यों की भी जांच करे । उस बारे में धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है । वास्तविक स्थिति यह है कि श्री मोरारजी देसाई रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखे जाने का विरोध कर रहे थे ।

उस सम्बन्ध में एक मूल समस्या उत्पन्न होती है कि न्यायालय केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह आदेश दे सकते हैं कि रिपोर्ट को आम चर्चा के लिये प्रस्तुत नहीं किया जाये । किन्तु

विपक्षी दल के सदस्य स्वयं न्यायाधीश और गवाहों की हैसियत से काम करना चाहते हैं तथा प्रजातंत्र की जड़े खोखली करना चाहते हैं। मैं इस बारे में आप का विनिर्णय चाहता हूं कि क्या विपक्षी दल का यह रवैया संवैधानिक है ।

Shri Madhu Limaye : As soon as shri Morarji Desai had concluded his statement we were on our legs to raise a point of order which is given first priority. But we were not allowed to raise the point of order. That is why I deliberately tore the statement of Shri L. N. Mishra who was allowed to make his statement (*Interruptions*). I admit that I tore the paper because it was irregular to permit Shri L. N. Mishra to make his statement ignoring the point of order (*Interruption*).

So far as the statement of the Prime Minister is concerned it is quite misleading and irregular if we see the provision of article 122 of the constitution.

The Government talk of Parliamentary Committee whenever it suits them. The Government is so dishonest.

Shri Vasant Sathe (Akola): His statement is foolish.

Shri Madhu Limaye: You can say so. But the whole country knows that you are dishonest. I have a point of order. The Prime Minister, by giving this statement, has challenged the ruling of the speaker. Please permit us to discuss the statements of the Prime Minister and that of Shri Morarji Bhai.

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : जब श्री मोरारजी देसाई उप-प्रधान मन्त्री थे तब समवाय कार्य विभाग ने उनके पुत्र श्री कांतीभाई देसाई के विरुद्ध जांच की गई थी तथा श्री मधु लिमये ने उन पर आरोप लगाया था । तब उन्होंने इस आरोप को अस्वीकार कर दिया था। सब लोग जानते हैं कि वह अप्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी हैं ।

आज श्री मोरारजी देसाई भावी पीढ़ियों के हितों के संरक्षण की बात करते हैं । वह ऐसा कैसे कर सकते हैं ?

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : I could not hear anything after the statements of the Prime Minister and Shri Morarji Desai. May I know whether the noisy proceedings would be recorded or not?

I had written a letter to the hon. Speaker to either ask a question himself or permit me to ask a question when Shri L. N. Mishra gives his statement. How is it that it became necessary for the Minister to record two notings in a day on a file?

The Prime Minister says that such documents, as may influence the case in the court. cannot be shown. Is the statement of Shri L. N. Mishra made to C. B. I. a privilleged document? Please ask the Government to place that statement on the table of the House. Then it would be proved that Shri L. N. Mishra is seriously involved in the affair.

The House has a right to know the full facts of the case. We have been denied from these facts.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : श्री मधु लिमये ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। नियमों एवं विनियमों को स्वयं अधिकार में लेने के बाद भी क्या उनके पास यह अधिकार रह जाता है । आज प्रातः ही उन्होंने सभा-पटल से कागज लेकर फाड़ दिये थे । क्या संसद को चलाने का यही तरीका है ? अब वह अनुच्छेद 105 और 122 के अधीन संसद को सर्वोच्च बता रहे हैं । हमने इसे कब चुनौती दी है । जनसंहिता प्रक्रिया 162 में निहित है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष दिये गये वक्तव्य का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा सकता । क्या संसद पर यह अधिनियम लागू नहीं होता ।

श्री पीलू गोदी (गोधरा) : जब इसका संबंध इस सभा के सदस्य से होता है तब हमें अधिकार है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या जनता के लिये तथा हमारे लिये अलग अलग कानून होंगे ? प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट कहा है कि यदि यह कार्यवाही संसद करती है तो संसद और न्यायालय में संघर्ष पैदा हो जायेगा ।

मैं श्री मधुलिमये के इस वक्तव्य को समझ नहीं सका कि प्रधान मन्त्री का वक्तव्य संविधान के अनुच्छेद 122 और 105 के विरुद्ध है ।

विरोधी पक्ष का यह रवैया उनके मन की निराशा को प्रकट करता है । उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई रूलिंग के विरुद्ध रूलिंग नहीं दे सकते । इस लिये व्यवस्था का प्रश्न असंगत है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): मैं बार बार व्यवस्था के प्रश्न उठाता रहा हूं। प्रधान मन्त्री के वक्तव्य से कुछ बातें उठती हैं जिनका प्रधान मन्त्री अथवा अध्यक्षपीठ द्वारा स्पष्टीकरण लेना आवश्यक है ।

पहली बात तो यह है कि क्या प्रधान मन्त्री ने अध्यक्षपीठ की रूलिंग को चुनौती दी है, अथवा नहीं । वास्तव में उन्होंने अध्यक्षपीठ की अवहेलना की है तथा सदन को गुमराह किया है । जब श्री निक्सन के विरुद्ध कांग्रेस तथा न्यायालय में साथ साथ कार्यवाही चल सकती है तब हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है ।

अध्यक्षपीठ ने पहले तो यह कहा था कि जब तक न्यायालय में मामला चल रहा है तब तक सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती । अब कहा गया है कि इस मामले को यहां लिया जा सकता है ।

प्रधान मन्त्री ने अपने वक्तव्य में बताया था कि विरोधी नेता गोपनीयता की शपथ पर सी० बी० आई की रिपोर्ट देख सकते हैं । जब हमने इस मामले पर गृह मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाया था । गृह मन्त्री ने अपने पत्र में कहा है कि सी० बी० आई को कुछ विशिष्ट आरोपों की जांच सौंपी गई थी जोकि उन्होंने शीघ्रता से पूरी कर ली है ।

क्या निदेश-पदों में केवल एक हरिजन गरीब सदस्य का ही उल्लेख किया गया है । क्या उसमें उच्च वर्गीय लोग नहीं थे ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवात्तुपुजा): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस सभा के सदस्य का उल्लेख इन्होंने 'गरीब हरिजन सदस्य' इन शब्दों को असंसदीय घोषित किया जाना चाहिए ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे कथन से अनुचित अर्थ निकालने का यत्न किया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि उच्च वर्गों के सदस्यों को संरक्षण दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय को लिखे अपने पत्र में गृह मन्त्री ने लिखा है कि सामान्यत: केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत की जाती है ।

यदि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है वह चुने हुए दस्तावेज हैं तो उसका कुछ भी उपयोग नहीं है ।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : I have a simple point of order. Shri Mishra had said that this licence scandal would continue for ever. He made this announcement with political motivation. Shri Morarji Desai forgets that while he was the Chief Minister of United Maharashtrya and Gujarat, hundreds of persons were killed in firing. How far he is justified in creating deadlock in this House.

Shri Vajpayee has stated that he wants to resign his seat in this House to bring about revolution. He has stated two reasons for his proposal. One is the Parliamentary politics. This is the highest law making body, which decides the destiny of the people.

The second reason given by him is that this house acts in accordance with the wishes of the people. The people today have problem of food shortage and unemployment. The opposition is creating hindrances in the constructive tasks. In 1971 also they foremd a grand alliance.

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Shri S. M. Banerji (Kanpur) : For so many days we have been demanding that C. B. I. report be laid on the table. It is apparent from the statement of the Prime Minister that the Government is prepared to show the documents we want to see. The point at dispute now is what action the members of the opposition can take after seeing these documents. Whosoever is involved in corruption whether he is Shri Tul Mohan Roy or Shri Lalit Narain Mishra or Shri Dixict. They should go out and do corruption as they like. If case after seeing the documents we are convinced that a probe is necessary, we may urge upon the Prime Minister that Parliamentary probe is necessary.

The Government employees are suffering due to rising prices. If the ruling party gives the clarification the House can look after other constructive work.

श्री वसन्त साठे (अकोला): आज प्रात: प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से स्पष्ट यह बात है कि वे गोपनीयता इसीलिये चाहती हैं ताकि न्यायालय की कार्यवाही में बाधा न पड़े । श्री तुलमोहन राम के मामले के अध्ययन से स्पष्ट हो जायेगा कि इसमें विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं है ।

श्री मोरारजी देसाई ने भी विशेषाधिकार की बात कही है । मामला न्यायालय में है । मह दोनों बातें स्पष्ट हैं । इस बारे में कोई मतभेद नहीं है । बात इतनी ही कही गई है कि न्यायालय के मामले में बाधा न डाली जाये । मैं समझता हूं कि कुछ सदस्य चाहते हैं कि . . .

श्री मधु लिमये : हमारा उससे सम्बन्ध नहीं है ।

श्री बसन्त साठे : श्री मधु लिमये जानते हैं कि वह गलत हैं तभी वह रोष प्रकट कर रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : नानसेंस ।

श्री वसन्त साठे : प्रधान मन्त्री ने कहीं भी नहीं कहा है कि संसद को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही से रोका जा सकता है ।

यह शोर-शराबा क्यों ? (**व्यवधान**) वक्तव्य से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह गोपनीयता चाहती हैं जिससे न्यायालय में चल रही कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । (**व्यवधान**)

विपक्ष न इस मामले में सरकार तथा सत्तारूढ़ दल को देश की जनता के समक्ष प्रतिष्ठाहीन बनाना चाहा है यह कहकर कि सरकार एक व्यक्ति को बचाना चाहती है और कागजात दिखाना नहीं चाहती ।

बिना कोई चीज देखे ही विपक्ष पहले से ही ऐसे वक्तव्य की अपेक्षा क्यों करता है कि यदि रिपोर्ट में कोई बात पाई गई तो वे जनता को बता देंगे ? यदि विपक्ष देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता है तो उन्हें इस विषय में सोचना पड़ेगा। हमने जो कुछ किया है उसमें संसदीय प्रणाली दृढ़ नहीं होती ।

सभा की कार्यवाही में बाधा डालने से क्या उपलब्ध होगा ? चिल्लाने से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, श्री मोरारजी देसाई ने गांधी जी से सत्याग्रह का पाठ पढ़ा है परन्तु गांधी जी ने कभी अस्त-व्यस्त रूप में संसद में कभी सत्याग्रह नहीं किया। विपक्ष ने कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं किया। कार्यवाही की कोई योजना नहीं बनाई। उन्हें इस ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्यों का देश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब भी देर नहीं हुई है हमें स्थिति को ठीक कर लेना चाहिए ।

श्री पीलूमोदी (गोधरा) : सत्याग्रह पर टिप्पणी करके श्री वसंत साठे ने अपने भाषण का रूप विकृत कर दिया। उन्हें उतना बोलना चाहिये जितना वे जानते हैं। हम विपक्ष वाले श्री साठे का प्रस्ताव मानने को तैयार हैं परन्तु उन्हें अपने दल को अपनी बात स्वीकार करानी चाहिए। हमने जो आश्वासन मांगा था श्री साठे ने अपने नेता को वह आश्वासन देने के लिये क्यों तैयार नहीं किया। आप सब को मिल कर उन्हें तैयार करना चाहिए।

सत्तारूढ़ दल के सदस्य देश में केवल एक ही नेता मानते हैं, एक ही दल को समझते हैं। सत्याग्रह की आलोचना करने वाले इन सदस्यों को पहले सत्याग्रह का अर्थ सीखना चाहिए।

श्री रामसहाय पांडे ने कहा है कि अमुख व्यक्ति के प्रधान मन्त्री रहते हुए कितने व्यक्ति मारे गये। यदि आज गोलीकांड में मारे गये व्यक्तियों की गणना की जाये तो प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी के समय के आठ वर्षों में पुलिस की गोली से सर्वाधिक व्यक्ति मारे गये हैं। कहना कुछ और है तथ्य कुछ और हैं ।

संसदीय प्रक्रिया के विरुद्ध अध्यक्ष तथा सत्तारूढ़ दल ने निर्णय किया कि सभा का कार्य चलेगा। श्री एल० एन० मिश्र से वक्तव्य देने को कहा गया। समूचे सदन में तो व्यवस्था के प्रश्न के बारे में श्री दंडवते की आवाज साफ सुनाई पड़ी। व्यवस्था के इन प्रश्नों को सुना जाना चाहिए था। यदि सभा का कार्य चलाना है तो अध्यक्ष को व्यवस्था के प्रश्न की उपेक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। एक ओर वह सभा का कार्य चलाना चाहते हैं और दूसरी ओर सभा के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

जहां तक संसदीय प्रक्रिया का सम्बन्ध है, विरोधी दलों पर सभी प्रकार का अन्याय किया जा रहा है और हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है और सरकार में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में देश को बताने से हमें हर तरह से वंचित किया जा रहा है। ये लोग 'लोक तन्त्र बचाओ' अभियान चिल्लाते हैं। परन्तु लोक तन्त्र का अर्थ तक नहीं जानते हैं। लोकतंत्र कोई खिलौना नहीं है, कोई खेलने की चीज नहीं है। वे इसे खिलौना समझ रहे हैं। लोकतंत्र जीवन जीने का एक ढंग है मस्तिष्क की एक विचारधारा है। यह एक उदार विचार है और एक स्वच्छ वायु है जिसका हम पान करते हैं। संसद सदस्यों के सिर गिन लेना लोकतंत्र नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार सल्वे (बेतूल) : क्या प्रधान मन्त्री के वक्तव्य में कोई ऐसी चीज है जिससे संसद के विशेषाधिकारों तथा कानून के अनुसार कार्यवाही करने के बीच कोई विवाद खड़ा होता हो ? ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखे जाने के बारे में मांग का प्रथमतः यह अभिप्राय है कि यह सुनिश्चित हो जाए कि सरकार किसी व्यक्ति को अनावश्यक

रूप से बचाने का प्रयास तो नहीं कर रही है। निश्चित रूप से विपक्ष के लिए, जिसे संसदीय लोकतंत्र में जनता के हितों की रक्षा करनी है, यह सुनिश्चित करने की खुली छूट है कि सरकार उचित प्रक्रिया समपन्न करने के बहाने कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं कर रही है। अतः प्रधान मन्त्री ने यह स्पष्ट कहा है कि विपक्ष के नेता गोपनीयता की शपथ लेकर उस प्रतिवेदन को देख सकते हैं और मामले से सम्बद्ध डायरी कभी देख सकते हैं। अतः कानून की उचित प्रक्रिया की क्रियान्विति और संसद के विशेषाधिकार के बीच कोई विवाद नहीं है।

नियम 368 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने के लिये कहा गया है। जब यह पता चला कि उस नियम के अधीन केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन को सरकार द्वारा सभा पटल पर रखे जाने की लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो श्री मोरारजी देसाई ने गृहमंत्री द्वारा दिये गये उस आश्वासन के अनुसरण में एक वक्तव्य दिया जिसमें प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाना अन्तर्निहित था। विपक्ष ने इस प्रकार का रुख अपनाया है और प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने की मांग की है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : हमने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बद्ध कागजातों की मांग की है। प्रधान मन्त्री ने इस मांग को अनिच्छा से स्वीकार किया है।

जैसे ही इस सभा को यह मालूम होता है कि किसी सदस्य ने अपराध किया है तो इस सभा को कार्यवाही करने की शक्ति और अधिकार सहज ही प्राप्त होते हैं। मैं नहीं जानता कि क्यों नेताओं ने, विशेष रूप से विपक्ष के नेताओं ने, इस सुझाव को मान लिया है कि केवल नेता ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन को देखेंगे। उन्होंने यह मांग की थी कि सारी सभा को इसे देखना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि एक गुप्त सभा हो और गोपनीयता की शपथ समस्त संसद पर लागू होनी चाहिए। सारी संसद को प्रतिवेदन पर चर्चा करनी चाहिए और किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए।

Shri Shankar Dyal Singh (Chatra) : I would not like to consume more time of the House. This serious matter was raised during the last session and it has been debated upto 85 hours. The Cost of one minute of the House is Rs. 300 and in this way this item has consumed nearly 14, 15 Lakhs of rupees. This is too much.

I would like to raise a point of order under the rules.

There are Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. There is a provision of Adjournment motion, No Confidence motion, Calling Attention etc. There is no provision of launching a Satyagraha in the House in the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

In his autobiography, Shri Morarji Desai has written that anger makes a man blind and it is unpardonable in all the circumstances. I would like to ask him whether he is not launching his Satyagraha or Duragraha under anger. I would also like to ask you to give your ruling if this satyagraha is permissible under the rules.

श्री सेज़ियन : मैं अपने भाषण को सदन के अन्दर कही गई बातों तक ही सीमित रखूंगा। प्रधान मन्त्री ने सदन के अन्दर ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट, केस डायरी और अन्य सम्बद्ध दस्तावेज विरोधी पक्ष के नेताओं की समिति के समक्ष रखने का प्रस्ताव किया है। इसके बाद मोरारजी देसाई ने इस शर्त के साथ प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद भावी कार्यवाही के लिये सुझाव देने की अनुमति होनी चाहिए। इस लिए मतभेद अब कम बातों पर है। श्री

साठे और श्री साल्वे भी इस बात से सहमत हैं कि अगर दस्तावेज देखने के लिये दिये जाते हैं, तो सुझाव भी देने की अनुमति होनी चाहिए। अगर हमें सुझाव देने की अनुमति नहीं दी जाती है तो फिर रिपोर्ट पढ़ने से फायदा ही क्या है।

फिर यह कहा गया कि विरोधी पक्ष अपने रुख को बदलता रहा है। पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की मांग की गई और जब रिपोर्ट दिखाने के लियें सरकार सहमत हो गई, तो विरोधी पक्ष संसदीय समिति के गठन की मांग करने लगे। 28 अगस्त को जब यह मामला सदन में उठाया गया, तो सबसे पहले सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने ही संसदीय समिति गठित करने की माँग की थी। दूसरे सदन में श्री कृष्ण कान्त ने कहा था कि हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो में विश्वास नहीं है और इस बारे में संसदीय जांच होनी चाहिए।

हमने मुदगल केस और अन्य मामलों का भी उल्लेख किया। यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। जब किसी सदस्य के आचरण से सदन की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचती है, तो सदन को इस बारे में चिन्तित होना चाहिए, इस लिये हम संसदीय जांच के पक्ष में रहे हैं। उस समय यह कहा गया कि संसदीय जांच इस लिए शुरू नहीं की जा सकती, क्योंकि उक्त मामला जांच पड़ताल के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है।

पिछले सत्र के अन्तिम दिन सरकार ने इस सदन में यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि जांच पड़ताल पूरी हो चुकने के बाद, आगे की कार्यवाही करने से पूर्व सरकार मामले को सदन के समक्ष लायेगी। इस सत्र के प्रारम्भ होने के पहले दिन केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की मांग की गई। पहले की मांग तो संसदीय जांच के बारे में ही थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट का तो हम इस लिये अध्ययन करना चाहते हैं कि उस पर कुछ न कुछ आगे कार्यवाही की जानी है। हम अध्यक्ष महोदय को अपनी सिफारिशें दे सकते हैं और स्रोत का कोई उल्लेख नहीं करेंगे।

यह प्रश्न श्रीमती इन्दिरा गांधी या श्री मोरारजी देसाई के बीच सवाल नहीं है और न विरोधी पक्ष या सत्तारूढ़ पार्टी के बीच का प्रश्न है। यह सारे सदन का प्रश्न है और सन्देह को दूर करने के लिये संसदीय समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि कार्य संचालन और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। विरोधी पक्ष में मतभेद हो सकते हैं। विरोधी पार्टियों के सदस्यों की संख्या भी कम हो सकती है, परन्तु आज विरोधी पक्ष यह महसूस करता है कि देश में लोकतन्त्र की रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए हम इसकी जांच के लिए संसदीय जांच समिति की नियुक्ति चाहते हैं। संसदीय समिति नियुक्त करने में आपको क्या भय है ?

किसी ने कहा कि मतभेद का दायरा बहुत छोटा हो गया है। प्रधान मन्त्री कांग्रेस पार्टी की ही नेता नहीं हैं, बल्कि वह सदन की भी नेता हैं और उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि विरोधी नेताओं की समिति रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अध्यक्ष महोदय को अपने निष्कर्षों और कार्यवाही हेतु सुझावों से अवगत करा सकेंगी।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : प्रधान मन्त्री के वक्तव्य में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि दस्तावेजों को देखने के बाद समिति को किसी भी व्यक्ति के बारे में भी कोई भी निर्णय लेने का अधिकार होगा। विपक्ष की मांग यह थी कि रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाए। सरकार रिपोर्ट और अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों को सदन के बजाय विरोध पक्ष के नेताओं के समक्ष रखने को सहमत हो गई है और वह भी किसी प्रकार की समिति के समक्ष नहीं।

प्रो० चट्टोपाध्याय ने राज्य सभा में कुछ सदस्यों के नामों की सूची प्रस्तुत की थी, जिन पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का आरोप था। उन सदस्यों के विरुद्ध इस सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया। उनमें से 20 सदस्यों ने हस्ताक्षर करने से साफ इन्कार कर दिया। उनका मुख्य आरोप जालसाजी का था। उसके बाद पिछले सत्र में इसी मसले पर चर्चा होती रही। इन सदस्यों ने संसदीय जांच की भी मांग की थी। यही नहीं, इस बारे में सदन में संकल्प भी प्रस्तुत किया और जिसे सदन ने सर्वसम्मति से अस्वीकार भी कर दिया था। बहस के दौरान गृह मन्त्री श्री उमाशंकर दीक्षित ने यह वक्तव्य दिया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी हो जाने के बाद सदन को सारी स्थिति से अवगत करा देंगे और आगे कार्यवाही के लिये सदन की इच्छा जानना चाहेंगे।

वर्तमान सत्र शुरू होते ही मन्त्रियों के विरुद्ध आश्वासन भंग करने के आरोप को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गये। आरोप यह था कि निष्कर्ष सभा पटल पर नहीं रखे गये और आगे कार्यवाही के लिए सदन की सलाह नहीं ली गई। गृह मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने सदन को बताया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में से क्या क्या निष्कर्ष निकले हैं। विरोधी पक्ष ने तत्काल यह मांग रखी कि मन्त्री महोदय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट को उद्धृत किया है, इस लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाए। ऐसी मांग किये जाने से पूर्व ही 22 तारीख को मन्त्री महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट से कोई भी उद्धरण नहीं दिया है। यह निर्णय भी दिया जा चुका है कि सरकार रिपोर्ट पेश करने के लिए बाध्य नहीं है।

इसके बाद मन्त्रियों के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किये गए और अन्त में अध्यक्ष महोदय ने विस्तृत निर्णय दिया। इस निर्णय में अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के सारांश, अभियोग पत्र आदि सदन में पेश करने में थोड़ा विलम्ब तो हुआ है, परन्तु आश्वासन पूरा करने में सरकार की ओर से जानबूझकर आनाकानी नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय के निर्णय से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आश्वासन में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सभा पटल पर रखना शामिल नहीं है।

किसी भी स्तर पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की मांग नहीं की गई थी। फिर अध्यक्ष महोदय ने दो उपाय बताये एक तो यह कि तुलमोहन राम के मामले पर बहस की जा सकती है और दूसरे, इस बात पर बहस की जा सकती है कि आश्वासन पूरी तरह और ठीक समय पर क्रियान्वित किया गया या नहीं। इन दोनों से विरोध बराबर बढ़ता रहा है और अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की मांग करने लगा है।

मैं विरोधी पक्ष को इस बात की चुनौती देता हूं कि वह कार्यवाही वृत्तान्त के किसी भी भाग को उद्धृत करके यह सिद्ध करे कि किसी भी स्तर पर उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के लिए और समिति की पहले मांग की थी। यह एक नई मांग की जा रही है।

विरोधी पक्ष बार बार अपने दृष्टिकोण को बदलता रहा है। जसाकि श्री शमीम ने कहा कि विरोधी पक्ष ने जो मांग की थीं, वे सब सरकार ने मान ली हैं। अब नई मांग की जा रही है। अगर यह मांग भी मान ली गई, तो फिर और नई मांग की जाएगी। यह मांग धारा 162 के भी विरुद्ध है, जिसके अनुसार जांच आदि के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए लिखित वक्तव्य या पुलिस डायरी का उपयोग नहीं किया जा सकता।

सरकार रिपोर्ट दिखाने के लिये भी सहमत हो गई है । अब संसदीय समिति की मांग की जा रही है। संसदीय समिति की नियुक्ति तो सदन करेगा, न कि सरकार या अध्यक्ष महोदय। अपनी इच्छा को विरोधी पक्ष सदन पर लादने का प्रयास कर रहा है। श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध बराबर वक्तव्य दिये जाते रहे हैं, परन्तु जब वह उनका उत्तर देने के लिये खड़े हुए तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। संसद को कार्य नहीं करने दिया जा रहा । इस प्रकार नियमों और संविधान का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय संसद के पावन भवन को और लोक तन्त्र को धुन्धला किया जा रहा है ।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : श्रीमान् जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस भावुक मामले पर व्यवस्था सम्बन्धी कठिन प्रश्नों को सुन रहा हूं । मन्त्री महोदय व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ।

The Minister of State in the Ministry of Industries and Civil Supply (Shri B. P. Maurya): Sir, before the House adjourned for lunch some of the clauses of Sick Textiles Undertakings Bill were taken up....(*Interruption*)

Shri P. G. Mavalanker (Ahmedabad) : The clauses were not undertaken....(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय का यह व्यवस्था का प्रश्न है कि विधेयक पर चर्चा जारी रखी जाये। माननीय सदस्यों ने व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाये हैं और निवेदन भी किये हैं। सदस्यगण सदन की कार्यवाही में पूरी तरह भाग ले रहे हैं । विधेयक पर चर्चा कल या परसों भी हो सकती है । असली बात है सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : विपक्ष काफी हद तक अपनी मांग पूरी करवाने में सफल हुआ है। कुछ कारणों से सरकार सी० बी० आई० की रिपोर्ट दिखाने से बच रही थी, परन्तु अब सरकार विरोधी पक्ष के नेताओं को उक्त रिपोर्ट दिखाने के लिये सहमत हो गई है। प्रधान मन्त्री को यह आश्वासन भी देना चाहिए कि विरोधी नेता रिपोर्ट पढ़ने के बाद सुझाव देना चाहें, तो सरकार को उन पर विचार करना चाहिए । सरकार के इस पर सहमत हो जाने पर सदन की कार्यवाही ठीक प्रकार चल सकती है । जहां तक सत्याग्रह का सम्बन्ध है, मेरी पार्टी ऐसे असंवैधानिक कार्य का समर्थन नहीं कर सकती ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : यह प्रसन्नता की बात है कि अब सदन की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से चल रही है और मैं आशा करता हूं कि सुबह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। श्री एल० एन० मिश्र से प्रश्न पूछने का श्री अटल बिहारी वाजपेयी को क्या अधिकार है जबकि उनकी स्वयं की पार्टी के सदस्य ही शोर मचा रहे थे ? जब विरोधी पक्ष के सदस्यों ने महासचिव के हाथ से मन्त्री के सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य को छीन फाड़ डाला, तब प्रश्न पूछने का उन्हें क्या अधिकार है ? यह शर्म की बात है ।

प्रधान मन्त्री का वक्तव्य स्वत: स्पष्ट है और उसकी खुलासा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। श्री शमीम ने जैसा कहा कि प्रधान मन्त्री ने जो प्रस्ताव किया है, वह विरोधी पक्ष के लिये स्वर्णीय अवसर है ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : The Congress Party called the opposition as foolish, but the opposition called the Congress Party as corrupt and dishonest. Whosoever calls Congress Party corrupt is termed a fool. The question of sanctioning D. A. to Central Govt. employees and many other questions are not being solved by the Govt.

The Prime Minister made her statement, thereafter Shri Morarji Bhai made his statement. The Prime Minister thereafter went to Rajya Sabha ignoring the fact that there is very much tension in the House and every minute Rs. 300 are being spent over the debate.

The ruling party has created a situation in the House where all rules and constitution are being ignored. In the forenoon Mr. Speaker was in the chair and he totally ignored the opposition. He should not have taken the partisan attitude.

I would like to warn the ruling party that we would not resign, but would always oppose wrong deeds of the Government. I would also like to congratulate Mr. Dy. Speaker for restoration of peace and order in the House. Now, hardly 30 per cent of the persons are there who went to jails before 1947.

The Prime Minister has stated, "but may also result in a conflict between the Courts and Parliament" I want to know as to which Parliament and Courts she has referred to ? Will the judiciary die after a conflict arises between Tis Hazari Court and Parliament or between the Supereme Court and Parliament ?

The other thing she has said is 'Does this not indicate that the real intention behind the demand is not a proper discussion of the case but rather its exploitation for a political purpose?' The political purpose of the opposition is the arrest of the culprits while the ruling party is political purpose is allowing the culprit to go scotfree. I am afraid the pioneer in this case is not Shri Lalit Narain Mishra but the Prime Minister herself—it is my allegation.

Lastly, I would like to say one thing—before 1947 the politics of the nation that inclined towards sacrifice was caught in the grip of luxury after 1947 * * unless that is not * * ended. . .

(व्यवधान)

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्दगांव) : ये शब्द अपमानजनक हैं, इन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए ।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : जब मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तब आपने मुझे अनुमति नहीं दी ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्री मौर्य को या तो सदस्य या मन्त्री दोनों में से एक के रूप में बोलना चाहिए ।

श्री राम सहाय पांडे : माननीय सदस्य द्वारा कहे गए शब्द कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस शब्द की जांच कर रहा हूं क्योंकि मेरा हिन्दी का ज्ञान सीमित है ।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मूल प्रश्न यह है कि क्या सभा का कार्य नियम से होगा या दलों और कुछ व्यक्तियों के मनोभावों के अनुसार होगा ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।
Expunged as ordered by the Chair.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे टेबल से बताया गया है कि हिन्दी में प्रयुक्त शब्द * * है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह शब्द कार्यवाही-वृत्तान्त में नहीं जाना चाहिए।

Shri Janeshwar Mishra : You have little knowledge of Hindi and it may be that the Table might have misguided you ? . . . (*Interruption*)

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक): नियम 380 के अधीन वह अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं। आप और क्या चाहते हैं ?

Shri Janeshwar Mishra : Had any Minister or the Prime Minister or the hon. Minister of Home Affairs objected to what I have said, I would have explained the meaning of that word.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : ऐसा शब्द न केवल प्रधान मन्त्री ही अपितु सभा के किसी भी प्रमुख सदस्य के लिये नहीं बोला जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से यह शब्द वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

Shri Janeshwar Mishra : We have called a system as * *. After 1947 'indulgence' has sprung up * * that is to be removed . . . (*Interruption*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सारा विवाद सुलझ गया है। चाहे वह शब्द कुछ भी हो, यदि ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसका विशेष अर्थ यही है तो वह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): यदि माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होंने यह शब्द प्रधान मन्त्री के लिये प्रयुक्त नहीं किया है तो आपको उसके बारे में क्या कहना है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मैं प्रत्येक सदस्य के भावों से सहमत हूं कि किसी भी महिला सदस्य के लिये ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है * * प्रधान मन्त्री का उल्लेख नहीं है।

श्री चपलेंदु भट्टाचार्य : अभी आपने भाषा का प्रदर्शन देखा. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप उस भाषा का और अधिक उल्लेख न कीजिए। उसे कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

श्री चपलेंदु भट्टाचार्य : विरोधी पक्षों ने कठिनाई उत्पन्न की है। सरकार विरोधी पक्ष के नेताओं को प्रत्येक चीज दिखाने के लिये सहमत हो गई है।

हमें संसदीय लोकतन्त्र के बारे में तथा उनके द्वारा लोक तंत्र की रक्षा करने के बारे में बताया जा रहा है। क्या लोक तन्त्र की रक्षा का यही तरीका है कि वक्तव्य फाड़ दिये जायें और सरकारी बैंचों के प्रति वक्रोक्ति में कहा जाये ?

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the Chair.

मैंने अभ्रक और लाख उद्योग के श्रमिकों की समस्याओं के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है परन्तु मुझे उस पर अनुमति नहीं मिली क्योंकि सभा का समय छोटी छोटी बातों पर बेकार जा रहा है ।

व्यवस्था के प्रश्न उठाने की ओट में वे सभा की कार्यवाही में रुकावट डाल रहे हैं । इसे बन्द किया जाना चाहिए । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सत्याग्रह प्रक्रिया नियमों का अंग नहीं है और न ही वास्तविक है ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): जब हम इस सभा में प्रवेश करते हैं तो यह शिक्षा-प्रद श्लोक देखते हैं :

"न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा"

अर्थात्, जिस सभा में बुद्धिमान या ज्ञानवान व्यक्ति नहीं हैं, वह सभा नहीं है ।

इस वर्ष सितम्बर के आरम्भ से विरोधी पक्षों की जो मांग रही है वह इस समूचे मामले की संसदीय जांच के लिये है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी पीठ के ऊपर एक उद्धरण है—

"धर्मचक्र प्रवर्तनाय "

कानून का एक नियम होगा । यदि यह सही है तो इस पर अमल किया जाना चाहिए और यदि यह गलत है तो इसका विरोध किया जाना चाहिए । हम विरोध के माध्यम से जो कुछ कर रहे हैं उसे प्रधान मन्त्री ने बाधक के रूप में वर्णित किया है । अत:, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप यह पता लगायें कि क्या हो रहा है, विशेषकर आज और गत शुक्रवार को । गत शुक्रवार को हम में से अनेक व्यक्तियों ने सरकार से कहा था कि हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हम सत्य तक न पहुंच जायें । अमरीका जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में स्वतन्त्र प्रेस और जागरूक कांग्रेस के बढ़ते हुए दवाब के कारण श्री निक्सन को पद छोड़ना पड़ा और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण जापान के प्रधान मन्त्री श्री तनाका को जाना पड़ा तो मैं पूछता हूं कि क्या उन बेंचों पर विराजमान कोई भी मन्त्री भारत माता से अधिक महत्वपूर्ण है ? क्या वे लोकतंत्र से अधिक महत्वपूर्ण है ? क्या वे सच्चाई से अधिक महत्वपूर्ण हैं ?

अत: यदि सच्चाई और भारत माता की सेवा के लिये हम ऐसा कहते हैं कि इस दुर्भाग्य-पूर्ण और गंदे मामले के सभी पहलुओं पर उन्मुक्त और निर्बाध वाद-विवाद और चर्चा हो तो आपका क्या मार्गदर्शन है ? मेरे लम्बे व्यवस्था के प्रश्न का यह (क) भाग है ।

अब मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न के (ख) भाग पर आता हूं । क्या हमें अपने कर्त्तव्यों के पालन का हक नहीं है ? प्रधान मन्त्री का कहना है कि इस वाद-विवाद के कारण आर्थिक आयोजना आदि में रुकावट पड़ रही है । मैं पूछता हूं कि इससे अधिक महत्वपूर्ण बात और क्या हो सकती है ? जब देश में भ्रष्टाचार का वातावरण है तो हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो और दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जाये ।

यदि प्रधान मन्त्री ने समय चाहा तो हमने उन्हें समय दिया और आज तक प्रतीक्षा की उन्होंने तीन पंक्ति का संचेतक जारी किया । उन्होंने कहा कि मोराजी देसाई बाधा डाल रहे हैं । मैं विनम्रता-पूर्वक आपसे पूछता हूं कि यदि वह विरोधी पक्ष पर बाधा डालने का आरोप लगाती हैं तो उनके द्वारा

दिये जाने वाले दमनकारी निदेशों का क्या होगा ? महात्मा गांधी ने हमें यह सिखाया था कि जब अधिकारी मनमानी करे तो लोगों में उसका विरोध करने की क्षमता होनी चाहिए । मोरारजी भाई तथा हम सभी का विरोध सत्ता के इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध है । परन्तु इस समय सत्तारूढ़ दल जिस ढंग से बर्ताव कर रहा है वह इन दिनों में न तो उत्तरदायी है और न ही प्रतिक्रियात्मक । प्रधान मन्त्री और उनके दल ने चुनाव कानूनों को मखौल बना दिया है । प्रधान मन्त्री ने कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट को सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता । मुझे एक उच्च न्यायिक अधिकारी से पता चला है कि रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखने से विवादास्पद मामले के अपराधिक प्रश्नों की जांच और उसके न्यायिक पहलुओं के सम्बन्ध में न्यायालय के मार्ग में कोई बाधा नहीं आयेगी ।

प्रधान मन्त्री ने कहा कि सरकार आपके (अध्यक्ष महोदय के) सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि विरोधी दलों के नेता सी० बी० आई० की रिपोर्ट को गोपनीयता की शपथ लेकर देख सकते हैं । मैं इस समूचे विचार पर आपत्ति करता हूं । मुझे इस बात पर भी आपत्ति है कि विरोधी पक्षों के नेता हैं कौन ? इस सभा के सभी सदस्य समान हैं ।

हम समझते हैं कि संसद के अन्दर सत्याग्रह से संसदीय लोकतंत्र नहीं चल सकते हैं परन्तु यदि बहुमत वाला दल अल्पमत वाले दल की सम्मति के बिना अपने बहुमत के बल पर दमनकारी ढंग से कार्य करें तो उसका क्या उपाय है ? इसके अतिरिक्त, मोरारजी ने प्रधान मन्त्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण चाहा परन्तु प्रधान मन्त्री ने यह स्पष्टीकरण नहीं दिया कि क्या जिन नेताओं को यह रिपोर्ट दिखाई जायेगी वे इसे किसी कार्यवाही के लिये पढ़ेंगे या नहीं । जब मोरारजी देसाई ने स्पष्टीकरण के लिये पूछा उसके तुरन्त बाद श्री मधु दंडवते तथा मुझ सहित बहुत से अन्य सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये खड़े हुए परन्तु अध्यक्ष महोदय ने हम में से किसी को बोलने का अवसर नहीं दिया । अध्यक्ष महोदय को कैसे पता चला कि हम बाधा डाल रहे हैं ? तो जब हमने विभिन्न व्यवस्था के प्रश्नों के लिये समय का प्रश्न पूछा तो अध्यक्ष महोदय ने रेल मन्त्री से वक्तव्य देने को कहा क्या वह पढ़ रहे थे या भगवान से प्रार्थना कर रहे थे ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सब आज का कार्य है ? कल के लिये क्या बुलेटिन होगा ? मध्याह्न भोजन तक व्यवस्था के प्रश्नों के रूप में जो कुछ हुआ है, क्या वह कार्य का अंग बनेगा ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : * *

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि राज्य-सभा में जो कुछ हुआ उसका उल्लेख आप यहां करें । कृपया, बैठ जाइये । जब तक उचित ढंग से कोई संदेश हमारे पास न आये, मैं कुछ नहीं जानता ।

मैं समझता हूं कि आज दोपहर हमने सीमित उद्देश्य प्राप्त कर लिया है । मैं महसूस करता हूं कि हम काफी चर्चा कर चुके हैं ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात बाद में कह लेना । आप कह सकते हैं कि मैंने इसे काफी समय पहले कहा था परन्तु इस सभा के प्रति मेरा उत्तरदायीत्व है जो मायने रखता है ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

मेरे विचार में इस विषय पर बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण चर्चा हो चुकी है। सदन के दोनों पक्षों के 21 वक्ता अपने विचार प्रकट कर चुके हैं और अभी कई सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। अत: मैं माननीय सदस्यों की राय जानना चाहता हूं। आप इस विषय पर और चर्चा करना चाहते हैं अथवा कि इसे यहां समाप्त किया जाये। मेरे विचार में हर दल अपने विचार प्रकट कर चुका है। अब हमें एक समय सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भागना चाहता। मैं प्रत्येक सदस्य को दो मिन्ट बोलने का अवसर दूंगा। क्या सदस्य इस बात से संतुष्ट हैं ?

Shri Sarjoo Pandey (Gajipur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the discussion on this topic has been going on for the last 10-15 days. The Government has agreed to show the C. B. I. report to the opposition leaders on the condition that they would not ask for further action. The Government should not impose any condition. The opposition should also not insist on any preconditions in this regard. After perusal of the report there can be further discussion . . .

श्री शंकरराव सावंत (कोलाबा) : क्या आज आधे घंटे की चर्चा नहीं होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ व्यवस्था के प्रश्न उठाय गये हैं। जब तक उनका समाधान नहीं होता तब तक हम किसी अन्य विषय को नहीं लेंगे।

श्री शंकरराव सावंत : सामान्य प्रक्रिया के अनुसार हम किसी भी विषय पर चर्चा को 5.30 बजे समाप्त कर देते हैं और आधे घंटे की चर्चा को लेते हैं।

श्री वसंत साठे (अकोला) : आप इस विषय पर चर्चा कल जारी रख सकते हैं। अब सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आधे घंटे की चर्चा को लिया जाए। इसमें कम से कम आप सहयोग दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न है अत: इसे कल तक स्थगित नहीं किया जा सकता। यह कोई अन्य विषय होता तो हम चर्चा आज स्थगित करके कल जारी रख सकते थे। किन्तु व्यवस्था के प्रश्नों को निपटाना ही पड़ता है।

श्री वसंत साठे : नियम 376 के अनुसार आपको व्यवस्था के प्रश्न को निर्णय देने से पहले सुनने का अधिकार है, पर यह आवश्यक नहीं कि विनिर्णय उसी दिन ही दिया जाए। यदि आप यह महसूस करते हैं कि ये व्यवस्था के प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन पर अन्य सदस्यों के विचार भी जानने जरूरी हैं तो आप इसे कल तक जारी रख सकते हैं। इसलिए आधे घंटे की चर्चा को हम ले सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में है। इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक सुझाव है। चूंकि व्यवस्था के प्रश्न उठाय जा रहे हैं और आप अपना विनिर्णय नहीं दे पा रहे तो श्री सावंत आधे घंटे की चर्चा में जिस विषय को लेना चाहते हैं उसे व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाएं और मन्त्री महोदय व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उत्तर दे दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : आधे घंटे की चर्चा को स्थगित किया जाए। श्री सावंत को चर्चा पुन: उठाने के अवसर से क्यों वंचित किया जाए।

Shri Sarjoo Pandey : Mr. Dy. Speaker, a lot of time has already been taken in the discussion of this matter. I would like to request that report should be placed without pre-conditions and the opposition should examine the report and thereafter discussion might be resumed. The opposition leaders should find a way out after discussion. The persons responsible should be punished. Until a clear picture comes out, the matter could not be solved.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : This should not be the impression that Government is afraid of the threatened satyagraha by Shri Morarji Desai. This is only to meet the demand put forth by the opposition that the Government has agreed to show the CBI report to the leaders of opposition. But this should not be taken as a precedent, because if it becomes a practice it will be difficult for the Government to resist such demands in future.

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोआ) : सत्तारूढ़ दल के सदस्य श्री गोस्वामी ने चर्चा में भाग लेते हुए कुछ देर पहले कहा कि विरोधी पक्ष राजनीतिक खेल खेल रहा है। उनका कहना बिल्कुल सही है। जो प्रणाली हमने चुनी है उसके अनुसार सदस्यों का आचरण ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई उंगली न उठा सके। इस सदन के 20 सदस्यों, जिसमें मंत्री भी सम्मिलित हैं, के प्रति आरोप लगाए गए थे। वे आरोप लगाए जाने के बाद सरकारी एजेंसी द्वारा जांच की गई। यह सरकारी ऐजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस सदन के एक सदस्य ने दण्डनीय अपराध किया है। बाकी के सदस्यों को मुक्त किया गया है। इस संदर्भ में तीन बातें उठती हैं। इस बात पर कौन विचार कर सकता है कि श्री तुलमोहन राम कदाचार के दोषी हैं। मेरा निवेदन यह है कि न तो सरकार, न केन्द्रीय जांच ब्यूरो और न ही न्यायालय इसका निर्णय कर सकता है। इस बात का निर्णय सदन को करना है और उसे करना भी चाहिए। दूसरे यह कि मंत्रियों तथा इस सदन के अन्य सदस्यों पर इस सभा में तथा सभा के बाहर लगाए गए आरोपों से उन्हें कौन दोष मुक्त कर सकता है। क्या सरकार ऐसा करने में समर्थ है? क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ऐसा कर सकता है? नहीं, यह कार्य सदन का है और सदन को ही उन्हें दोषमुक्त करना होगा। मेरा तीसरा प्रश्न है कि क्या सदन उस जानकारी को पाए बिना जिसे सरकार इस सभा को नहीं देना चाहती, किस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि (क) क्या श्री तुलमोहन राम संसदीय कदाचार के दोषी हैं (ख) क्या जिन सदस्यों को दोषमुक्त किया गया है, सही दोषमुक्त किया गया है अथवा नहीं। इस सदन के सदस्य को दोषमुक्त करने का अधिकार केवल इस संसद को है अन्य किसी को नहीं। अतः, आप जो कोई विधि अपनाएं। चाहे जानकारी पहले समिति के पास जाए या सदन के किसी गुप्त सत्र में दी जाए। जानकारी को संसद से छिपाया नहीं जा सकता; क्योंकि सदस्यों के आचरण संबंधी दोषों को मुक्त करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है।

श्री वयालर रवि (चिरयिंकील) : माननीय सदस्य श्री मावलंकर ने कहा कि भ्रष्ट मंत्रियों को सामने लाया जाए। सत्तारूढ़ दल और सरकार में आयोग नियुक्त करके भ्रष्टाचार करने वाले मंत्रियों को निकाल बाहर करने का साहस है। सरकार कुछ भी नहीं छिपाना चाहती। वह केवल केन्द्रीय जांच ब्यूरो की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना चाहती है। क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी। परन्तु इस संस्था को तो रहना है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप उसका अपमान करना चाहते हैं तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा।

दुर्भाग्यवश श्री मावलंकर ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री डी० के० बरुआ के संबंध में कुछ अनकहनी बातें कहीं हैं। वह एक विद्वान है और देश की उन्होंने बड़ी सेवा की है। उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिएं। मुझे इस पर अत्यंत दुख है।

श्री तुलमोहन राम के संबंध में अध्यक्ष महोदय अपना विनिर्णय दे चुके हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि आप केवल उनके अपराधपूर्ण व्यवहार के बारे में चर्चा कर सकते हैं; यदि इसके संबंध में सभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो।

जहां तक अन्य सदस्यों की बात है वे यह कह चुके हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आधार पर तैयार किए गए आरोप-पत्र में भी यह स्पष्ट है कि अन्य सदस्यों का इससे कोई संबंध नहीं है और केवल श्री तुलमोहन राम ही इसके लिये दोषी हैं।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I rise on a point of order. I want to know on what basis we can discuss this matter in this House ? We wanted to discuss the matter but we were told that Tulmohan Ram's conduct could not be discussed. When we want to see the Prime Minister, she told that unless C. B. I. completes its investigations, we could not discuss the case. Even then we said that we have a right to discuss the matter. Now, when the C. B. I. has completed its investigations, it is necessary that the case be discussed in the Light of the Investigation Report. Mr. Speaker has not admitted the privilege motion but he has agreed to discuss Shri Tulmohan Ram's conduct. C.B. I. has found him guilty. But unless the report is before the House, his conduct cannot be discussed. The Prime Minister has now said that if the matter is discussed here it would raise a controversy between the House any the Judiciary. As a member, I have a right to know whether the matter can be discussed in the House or not? I want your ruling about this. If Mr. Speaker has agreed for discussion what we are to discuss unless the report is before the House?

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : इस प्रकार के मामलों की सच्चाई को सामने लाने के लिये अनेक कानून हैं। इस कार्य के लिये श्री मोरार जी देसाई को सत्याग्रह नहीं करने दिया जा सकता। अत: मैं सदन के दोनों पक्षों से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य के लिये उन्हें सदन के भीतर सत्याग्रह नहीं करने दिया जाये। सत्याग्रह का अस्त्र महात्मा गांधी ने विदेशी शासन से छुटकारा पाने के लिये निकाला था। और फिर यदि सदन में इस प्रकार की बातें प्रारम्भ हुई तो उनका कहीं अन्त नहीं होगा।

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सत्र के प्रारम्भ से ही संसदीय समिति के गठन की मांग की जा रही है। सदन में तथा सदन के बाहर लगातार इस मांग के पश्चात् अब प्रधान मन्त्री ने इस बारे में वक्तव्य दिया है। परन्तु अब भी जो कुछ उन्होंने कहा है उसे माना नहीं जा सकता। उन्होंने यह माना है कि विपक्ष के नेता सारे रिकार्ड देख सकते हैं परन्तु वे किसी को उनके बारे में कुछ कहेंगे नहीं और बाद में और आगे जांच की मांग नहीं करेंगे। इस प्रकार की शर्त के साथ रिकार्ड दिखाने का कोई लाभ नहीं है। इस पर आप अपना विनिर्णय दें। रिकार्ड दिखाने पर यदि आगे कार्यवाही अपेक्षित प्रतीत हो तो उसके लिये मांग का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस बात का पता लगाना चाहिए कि श्री तुलमोहन राम के अतिरिक्त किसी अन्य का भी इस घोटाले में हाथ है अथवा नहीं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो विपक्षी नेताओं को रिकार्ड दिखाने का कोई लाभ नहीं।

Shmt Roza Deshpande (Bombay-Central) : Sir, I feel this matter should now end. It has already taken too much of our time. There are a number of important Bills which have to be taken up.

I also feel that the Government should have accepted earlier the demand to place C. B. I's report before the House. It should also agree to discuss the report in the House.

Shri Morarji Desai has threatened to go on Satyagraha in the House over this issue. He says that corruption has increased very much in the Country. But when he himself was Chief Minister of Maharashtra, he introduced 'Prohibition, which laid the Foundation stone of Corruption. He killed 105 people during Maharashtra agitation and now he is talking of defending Democracy. We are not going to support such persons. (*Interruptions*)

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): opposition has been shifting its stand on this issue. It demanded tabling of C. B. I's Report and then it demanded a Parliamentary Committee to probe the matter. This demand was rejected. Now, when the Government has offered to show

the report to leaders of the opposition, they want to bring the Report before the House. (*Interruptions*). There is a member in the House who has now shifted to opposition but when he belonged to the ruling party he opposed the idea of placing C. B. I. Report on the table of the House. Then, I would submit it is not a question of majority or minority. In fact, it is a question of justice. Justice can be got from court of Justice only.

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak): We are not satisfied with Prime Minister's statement. If any further action is not to be taken in the matter, merely going through the Report is not going to solve the problem.

It has come out in News-papers that C. B. I. raid on Mr. Tulmohan Ram's house yielded documents involving politicians and bureaucrats. The C. B. I. source called the documents "political dynamite". Daily such disclosures are being made (*Interruption*) I have given a notice of Adjournment motion, which has been rejected unless the Report is made public we cannot know the contents.

उपाध्यक्ष महोदय : यह सदन केवल मात्र इस देश की संसद ही नहीं है। सदन में जो कुछ कहा जाता है वह न केवल राष्ट्रीय अपितु अन्तर्राष्ट्रीय समाचारपत्रों में भी प्रकाशित होता है। हमें इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए।

सत्याग्रह की धमकी को देखते हुए हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या इस प्रकार सभा कार्य कर सकती है। प्रधान मन्त्री ने भी अपने वक्तव्य में इस बात पर बल देते हुए कहा है कि हमें पूर्ण जागरूकता के साथ अपना उत्तरदायित्व निभाना है। वास्तव में कोई यह नहीं चाहता कि सभा के कार्य में गतिरोध आए। विपक्ष चाहता है कि सभा वास्तविक सभा के रूप में कार्य करे। इसी कारण उसकी ओर से इस प्रकार की मांग की गई है कि सभी जानकारी मिलनी चाहिए।

आज देश में जो परिस्थितियां हैं उनके लिये हम जिम्मेदार हैं। हमारा देश एक शरीर के समान है जिसके भीतरी भाग में एक फुन्सी सी हो गई है। यह सभा उस फुन्सी का ऊपरी भाग अर्थात् मुंह है। यह फुन्सी ठीक किस प्रकार से हो ? इसका इलाज तो तभी हो सकता है यदि इसके ऊपरी भाग की चीरफाड़ की जाये जिससे कि भीतर का मवाद बहकर निकल जाए और शरीर स्वस्थ हो। परन्तु हमने यह भी ध्यान रखना है कि पेड़ की जिस शाखा पर हम बैठे हैं हम कहीं उसी को तो नहीं काट रहे। इसी दृष्टि से यहां पर चर्चा करनी आवश्यक है। क्योंकि यदि यहां पर विचार व्यक्त न किये जाएं तो और कहां पर व्यक्त होंगे। प्रधान मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है। वह सदन के सामने है और यह भी अच्छी बात है कि विपक्ष के नेताओं ने उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसी प्रकार श्री मोरार जी के वक्तव्य व उनके सत्याग्रह करने के मन्तव्य के बारे में भी विचार व्यक्त हुए हैं। इन सब विचारों से सदस्यों के विचार एवं प्रतिक्रियाएं स्पष्ट हुई हैं।

मेरी अपील है कि प्रधान मन्त्री एवं श्री मोरारजी देसाई को इन अभिव्यक्तियों एवं प्रतिक्रियाओं पर विचार करना चाहिए।

दोनों पक्षों के विचारों में भिन्नता होते हुए भी दोनों में कुछ समानताएं भी हैं। सब से पहले, कोई भी पक्ष संसद के कार्य में गतिरोध नहीं चाहता। प्रधान मन्त्री के वक्तव्य से स्पष्ट है कि सरकार ने विपक्ष की मांग को कुछ सीमा तक मान लिया है। उस वक्तव्य के संदर्भ में यह विचार भी व्यक्त किया गया है कि विपक्षी नेता दस्तावेज देखने के बाद प्रधान मन्त्री से उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। इसी प्रकार एक अन्य सदस्य श्री शमीम ने कहा है कि शपथ के अन्तर्गत दस्तावेज देखने के बाद हम उनसे अपने निष्कर्ष निकालने के लिये और मामले में आगे कार्यवाही करने के लिये सुझाव देने के लिये स्वतन्त्र हैं।

इन अभिव्यक्तियों को देखते हुए मैं अनुभव करता हूं कि इस बारे में अभी भी बातचीत की गुंजाइश है और कोई न कोई समझौता हो सकता है। श्री देसाई जैसाकि मैंने समझा है, स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि समिति चाहे वह औपचारिक हो अथवा विपक्ष के नेताओं की अनौपचारिक समिति हो, आगे की कार्यवाही सुझाने के लिये स्वतन्त्र हो। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इन बातों की ओर ध्यान दिया जाये। सारा देश ही नहीं अपितु सारा विश्व ही इस अवसर पर हमारी ओर देख रहा है कि इस समस्या को किस प्रकार से हल किया जाता है। यदि हम उसमें सफल हुए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। यह विश्व के अन्य देशों के लिये उदाहरण होगा।

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 10 दिसम्बर, 1974/19 अग्रहायण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई।

Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, December 10, 1974/ Agrahayana 19, 1896 (Saka).

MGIPNLK—4/Lok Sabha/75—19-5-74—200 DKS.